तृतीय माला, खण्ड २१—अंक २३

गुरुवार, १२ सितम्बर, १९६३
२१ भाद्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(पांचवां सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड २१ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया

विषय सूची

[तृतीय माला, खण्ड २१—अंक २१ से ३०—१० से २१ सितम्बर, १९६३/१९ से ३० भाद्र, १८८५ (शक)]

अंक २१—मंगलवार, १० सितम्बर, १९६३/१९ भाद्र. १८८५ (शक) पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८० से ५८३, ५८६ से ५८९, ५९७, ५९१ और ५९२ . . . . . २५७५–२६००

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८४, ५८५, ५९०, ५९३ से ५९६ और ५९८ से ६०४ . . . . . २६००–०६

अतारांकित प्रश्न संख्या १६६४ से १७४७ . . . २६०६–४२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कराची स्थित भारतीय उच्च आयोग के कुछ अधिकारियों को वापिस बुलाने की पाकिस्तान की कथित प्रार्थना . २६४२–४४

वक्तव्य में कथित अशुद्धि के बारे में– . . २६४४–४५

विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के बारे में . . . २६४५—४७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६४७

राज्य सभा से सन्देश २६४७

खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि और खाद्य-नीति के बारे में प्रस्ताव २६४८—५५

राष्ट्रीय आय के वितरण के बारे में चर्चा . . . . २६५५—८१

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . २६८१—९१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २६९२—९७

अंक २२—बुधवार, ११ सितम्बर, १९६३/२० भाद्र, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६१६ . . . . २६९९–२७२५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . २७२६–३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६१७ से ६२८ . . . . २७३३—३८

अतारांकित प्रश्न संख्या १७४८ से १८१७ . . . २७३८—७१

विषय	पृष्ठ
सभा के कार्य के बारे में	२७७१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२७७१
संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	२७७२—८६
आगरा के निकट हुई विमान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	२७८६—८८
चीनी की स्थिति के बारे में चर्चा	२७८८—२८१६
दैनिक संक्षेपिका	२८१७—२१
अंक २३—गुरुवार, १२ सितम्बर, १९६३/२१ भाद्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६२९, ६३५, ६३० से ६३४ और ६३६ से ६४०	२८२३—४७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४१ से ६५१	२८४७—५४
अतारांकित प्रश्न संख्या १८१८ से १८२३ और १८२५ से १८६३	२८५४—७१
अनिवार्य जमा योजना के बारे में	२८७१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
स्वर्ण नियंत्रण आदेश	२८७२—७७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२७७७—७८
राज्य सभा से सन्देश	२८७८—७९
भेषज तथा चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) संशोधन विधेयक—	२८७९
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—सभा पटल पर रखा गया	२८७९
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
छठा प्रतिवेदन	२८७९
चीनी की स्थिति के बारे में चर्चा	२८७९—८८
संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	२८८८—२९०७
भेषज तथा शृंगार सामग्री (संशोधन) विधेयक	२९०७—१४
संयुक्त समिति को सौंपने की राज्य सभा की सिफ़ारिश से सहमति देने का प्रस्ताव	२९०७—१४
आगरा के निकट हुई विमान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	२९१४—१६
दैनिक संक्षेपिका	२९१७—२२

†किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

विषय पृष्ठ

अंक २४—शुक्रवार, १३ सितम्बर, १९६३/२२ भाद्र, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६५२ से ६५५, ६५७ से ६६६, ६६८ से ६७३ और ६७५ . . . . . २९२३—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६५६, ६६७ और ६७४ . . २९५५–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८६४ से १८९६ और १८९८ से १९०० .. . . . . २९५६—७३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना— २९७३—८०

(१) एक मजिस्ट्रेट द्वारा फौजदारी के एक मुकदमे के स्थानान्तरण के बारे में एक शपथ पत्र दायर किये जाने के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा कही गई न्याय संबंधी बातें

(२) चीनी दूतावास के पदाधिकारियों द्वारा दिल्ली में सरकारी सम्पत्ति पर साम्यवादी झण्डों के फोटो लिये जाने की कथित घटना

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९८०–८१

राज्य सभा से सन्देश २९८१

लोक लेखा समिति—

तेरहवां प्रतिवेदन २९८१

याचिका का उपस्थापन . २९८१

सभा का कार्य . . . २९८१—८६

भेषज तथा शृंगार सामग्री (संशोधन) विधेयक— २९८६—३००१

राज्य सभा की संयुक्त समिति को सौंपने की सिफारिश से सहमति देने का प्रस्ताव

संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६३ (अनुच्छेद १७१ का संशोधन)—(श्री सेझियान का)——पुरःस्थापित . ३००१–०२

समवाय (संशोधन) विधेयक (धारा १५, ३० आदि का संशोधन)—(श्री प० ला० बारूपाल का)—वापिस लिया गया—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३००२—११

विषय	पृष्ठ
दंड विधि (संशोधन) विधेयक—(श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा का)—परिचालित—	
विचार करने का प्रस्ताव	३०११—२४
परिचालन के लिए संशोधन—स्वीकृत .	३०२२—२४
संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६२ (अनुच्छेद १३६, २२६ आदि का संशोधन)—(श्री श्रीनारायण दास का)—विचाराधीन—	
विचार करने का प्रस्ताव	३०२५
विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	३०२५—२७
दैनिक संक्षेपिका . . .	३०२८—३२
अंक २५—सोमवार, १६ सितम्बर, १९६३/२५ भाद्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७६ से ६८४ और ६८६ . . .	३०३३—५६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . .	३०५६—५८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८५, ६८७ से ६९०-क और ६९१ से ६९९ .	३०५९—६६
अतारांकित प्रश्न संख्या १९०१ से १९७४ . .	३०६६—९६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	३०९६—३१०२
(१) चीनी दूतावास के पदाधिकारियों द्वारा दिल्ली में सरकारी सम्पत्ति पर साम्यवादी झण्डों के फोटो लिये जाने की कथित घटना	
(२) अनिवार्य जमा योजना पर कथित पुनर्विचार	
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	३१०२—०३
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति .	३१०३
समिति के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय जूट समिति . .	३१०३—०४
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव .	३१०४—३०
दैनिक संक्षेपिका	३१३१—३५
अंक २६—मंगलवार, १७ सितम्बर, १९६३/२६ भाद्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०० से ७०२, ७०४ से ७१० और ७१३ . . .	३१३७—६०

विषय	पृष्ठ
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ और ७ . . .	३१६०—६३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०३, ७११, ७१२, ७१४ से ७१६, ७१६-क, और ७२० से ७२७	३१६४—७२
अतारांकित प्रश्न संख्या १६७५ से २००६, २००८ से २०७३, २०७३-क और २०७३-ख	३१७२—३२१७
दिनांक १६ अप्रैल, १६६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६५१ के उत्तर में शुद्धि . . .	३२१८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
देश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति . . .	३२१८–१६
स्थगन प्रस्तावों और ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में . .	३२१६–२०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३२२०–२१
लोक लेखा समिति—	
चौदहवां प्रतिवेदन	३२२१
आक्कलन समिति—	
अड़तीसवां प्रतिवेदन . . .	३२२१
अनुपस्थिति की अनुमति	३२२१—२३
गन्दी बस्तियां (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित .	३२२३
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . .	३२२३—५७
दैनिक संक्षेपिका	३२५८—६४
अंक २७—बुधवार, १८ सितम्बर, १६६३/२७ भाद्र, १८८५(शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२८, ७३०, ७३१, ७३३, ७३५, ७३७ से ७४०, ७४२ और ७४३ . .	३२६५—६०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ और ६	३२६०—६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२६, ७३२, ७३४, ७३६, ७४१, ७४४ से ७५३, ७५३-क और ७५५	३२६६—३३०३
अतारांकित प्रश्न संख्या २०७४ से २१४० और २१४२ से २१६१ :	३३०४—३६

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	३३४०–४५
(१) नागा विद्रोहियों द्वारा सुरक्षा सेना के छै व्यक्तियों के मारे जाने की कथित घटना	
(२) लाटीटीला में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाये जाने की कथित घटना	
एक समाचार पत्र द्वारा सभा की कार्यवाहियों का अशुद्ध प्रकाशन किये जाने के बारे में	३३४५–४६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३३४६–४७
राज्य सभा से सन्देश	३३४७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति-- छब्बीसवां प्रतिवेदन . .	३३४७
भेषज तथा शृंगार सामग्री (संशोधन) विधेयक—	३३४७–६१
राज्य सभा की संयुक्त समिति को सौंपने की सिफारिश से सहमति देने का प्रस्ताव .	३३४७
समय नियत करने के बारे में प्रस्ताव	३३६०—६१
संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६३—	३३६१–७९
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . .	३३६१
देश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति	३३७९—८३
दैनिक संक्षेपिका	३३८४–९०

अंक २८—गुरुवार, १९ सितम्बर, १९६३/२८ भाद्र, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७५६ से ७६६ . .	३३९१–३४१४
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० और ११	३४१४–१८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७६७ से ७८१ . . .	३४१८–२४
अतारांकित प्रश्न संख्या २१६२ से २२१७ और २२१७-क .	३४२४–४९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	३४५०–५१
चीन में रहने वाले भारतीयों के साथ किया गया कथित अमानवीय व्यवहार	
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	३४५२

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३४५२–५३
संसदीय समिति के कार्यवाही सारांश	३४५३–५४
लोक लेखा समिति—	
पद्रहवां प्रतिवेदन . .	३४५४
संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६३—	३४५४—८६
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . .	३४५४
तारांकित प्रश्न संख्या ७६० के बारे में वक्तव्य—	
विदेशी बैंकों में मंत्रियों के खाते	३४५८–५९
नेफा जांच के बारे में चर्चा . .	३४८६—९२
आकाशवाणी से प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	३४९२—३५००
दैनिक संक्षेपिका . .	३५०१–०६

अंक २९—शुक्रवार, २० सितम्बर, १९६३/२९ भाद्र, १८८५(शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७८२ से ८५, ७८७, ७८९, ७९० तथा ७९२ से ७९८	३५०७—३२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ तथा १३.	३५३२—३६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७८६, ७८८, ७९१, ७९९ तथा ८०० से ८०४ .	३५३६—४०
अतारांकित प्रश्न संख्या २२१८ से २२७३	३५४०—६३
स्थगन प्रस्ताव और ध्यान दिलाने के प्रस्ताव की सूचना के बारे में .	३५६३–६४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	३५६४—६६, ३६०९—१२
(१) पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के निकट चांगसानी स्टेशन के यार्ड में एक माल डिब्बे में से गेलेटाइन बक्सों की चोरी	
(२) पश्चिम बंगाल में खाद्य तथा चीनी की स्थिति	
(३) कलकत्ता में कपड़े की कीमतों में वृद्धि .	
सभा पटल पर रख गये पत्र . .	३५६७—६९
प्राक्कलन समिति .	
सिफारिशों के उत्तर	३५६९

विषय	पृष्ठ
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . .	३५६९
कार्यवाही सारांश . .	३५६९
सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक प्रबन्ध के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा गया . .	३५६९
गौहाटी तेल शोधक कारखाने के बारे म वक्तव्य . . .	३५६९–७०
सरकारी आश्वासनों के बारे में	३५७१
नेफा जांच के बारे में चर्चा तथा "हमारी प्रतिरक्षा तैयारी" के बारे में प्रस्ताव	३५७१––९१
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन . . .	३५९२
भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के बारे में संकल्प––अस्वीकृत . .	३५९२––३६००
सशस्त्र सेनाओं के लिये निवृत्ति-वेतन के बारे में संकल्प . .	३६००––१२
मौरिस कारों के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३६१२––१७
दैनिक संक्षेपिका .	३६१८––२४

अंक ३०—शनिवार, २१ सितम्बर, १९६३/३० भाद्र, १८८५(शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ से १८ . . .	३६२५––३२
आसाम–पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर गोली चलाना बन्द किये जाने के बारे में वक्तव्य	३६३२––३६
स्वर्ण-नियंत्रण तथा अनिवार्य जमा योजनाओं के बारे में वक्तव्य . .	३६३६––४१
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	३६४१
याचिका समिति	
कार्यवाही-सारांश .	३६४ १
राज्य सभा से सन्देश	३६४१
मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में . .	६६४२
नेफा जांच संबंधी प्रतिवेदन पर चर्चा के बारे में . . .	३६४२
नेफा जांच के बारे में चर्चा तथा "हमारी प्रतिरक्षा तैयारी" के बारे में प्रस्ताव	३६४३––८३

विषय	पृष्ठ
सरकारी उपक्रमों सबंधी समिति के बारे में प्रस्ताव . .	३६८३—८५
तारांकित प्रश्न संख्या ७४३ के उत्तर में शुद्धि	३६८५
दैनिक संक्षेपिका	३६८६–८७
पांचवे सत्र का कार्यवाही संक्षेप . . .	३६८८—९०, १–९

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III 1305 (Ai) LSD—28-10-63—160.

विषय सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न* संख्या ६२६, ६३५, ६३० से ६३४ और ६३६ से ६४० . २८२३—४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६४१ से ६५१ . २८४७—५४

अतारांकित प्रश्न संख्या १८१८ से १८२३ और १८२५ से १८६३ २८५४—७१

अनिवार्य जमा योजना के बारे में २८७१

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना २८७२—७७

स्वर्ण नियंत्रण आदेश

सभा पटल पर रखे गये पत्र २८७७—७८

राज्य सभा से सन्देश . २८७८—७९

भेषज तथा चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) संशोधन विधेयक २८७९

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—सभा पटल पर रखा गया

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

छठा प्रतिवेदन . . २८७९

चीनी की स्थिति के बारे में चर्चा २८७९—८८

श्री तुलशीदास जाधव २८७९—८१

श्री स्वर्ण सिंह . . . २८८२—८८

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . २८८८—२९०७

श्री यशपाल सिंह . २८८८—९१

श्री म० प० स्वामी २८९१—९२

श्री ओंकार लाल बेरवा २८९२—९४

श्रीमती लक्ष्मी बाई २८९५—९७

श्री अब्दुल गनी गोनी २८९८

श्री धुलेश्वर मीना २८९८—२९०

श्री श० ना० चतुर्वेदी २९०

श्री हजरनवीस . . . . . २९००—०

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

गुरुवार १२ सितम्बर, १९६३

२१ भाद्र,१८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : संख्या ६२९ ।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : श्रीमान, मेरा सुझाव है कि प्रश्न संख्या ६३५ को भी प्रश्न संख्या ६२९ के साथ लिया जा सकता है । यह भी इसी विषय पर है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या श्री बेरवा हैं ? अच्छा, इसका भी उत्तर दिया जाये ।

रूस से उपकरण

†*६२९. { **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत् एककों के लिए उपकरण के संभरण के हेतु रूस के साथ ब्योरा अन्तिम रूप से तय कर लिया गया है ; और

(ख) क्या उन के मंत्रालय के विशेषज्ञों द्वारा मद्रास के नीवेली तापीय विद्युत् केन्द्र तथा उत्तर प्रदेश के ओबरा तापीय विद्युत् केन्द्र के बारे में विस्तृत रूसी प्रतिवेदनों पर चर्चा कर ली गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)**: (क) जी हां, नीवेली प्रथम अवस्था, कोरबा, पथरातू तापीय विद्युत् केन्द्रों और भाखड़ा के सीधे किनारे, मुत्तूर सुरंग तथा हीरा कुद जल विद्युत् योजनाओं संबंधी ब्यौरों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) नीवेली द्वितीय अवस्था और ओबरा विद्युत् केन्द्र की विस्तृत रिपोर्टें मिल गई हैं। रूसी विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श भी हो गया है। यंत्र का मूल्य अभी निश्चित नहीं हुआ है जिस के लिए आशा है कि रूसी विशेषज्ञों का एक दल यहां शीघ्र ही आयेगा।

भाखड़ा बांध

\+

†*६३५. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री माते :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने भाखड़ा बांध के दाहिने किनारे पर बनाये जाने वाले ४८०,००० किलोवाट के बिजलीघर के लिए सारा साजसामान उधार देना मंजूर कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ; और

(ग) उस बिजलीघर के बनाने में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(ख) भाखड़ा बांध के दाहिने किनारें पर बनाये जाने वाले ५.६ करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा के व्यय के बिजली घर के लिए चार विद्युत्-जनक यंत्रों तथा अन्य सामान्य और टेक्निकल सहायता के करार पर रूसी प्राधिकारियों तथा पंजाब राज्य विद्युत् बोर्ड ने ३ जुलाई, १९६३ को हस्ताक्षर किये। यह सहायता रूसी ऋण के रूप में होगी जिस का भुगतान भारत सरकार १२ वर्ष में समान किस्तों में और भारतीय मुद्रा में करेगी। ऋण के भुगतान की पहिली किस्त यंत्र, मशीन और सामान की, जो बिजली घर को चलाने के लिए चाहेंगी, प्राप्ति के एक वर्ष बाद देय होगी। ऋण पर २ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत व्याज ऋण के तत्स्थानी भाग के प्रयोग की तारीख से लगेगा और जिस वर्ष का व्याज होगा उस के बाद के वर्ष के पहिले तीन महीनों में दिया जायेगा। अन्तिम भुगतान मूल राशि के भुगतान के साथ ही दिया जायेगा।

(ग) आजकल विद्युत् संयंत्र के निर्माण कार्य काफी आगे बढ़े हुए हैं और सन्तोषजनक ढंग से हो रहे हैं। आशा है कि संयंत्र और यंत्र १९६४ और १९६५ में प्राप्त होंगे। आशा है कि यूनिट १९६५–६६ में चालू हो जायेगा।

†**श्री भागवत झा आजाद :** इस मंत्रालय ने इन दो परियोजनाओं के बारे में रूसी विशेषज्ञों से जो विचार विमर्श किया था उसको अन्तिम रूप कब दिया जायेगा।

†**डा० कु० ल० राव :** सभी टेक्निकल बातें निश्चित हो गई हैं और मशीन का निर्माण हो रहा है।

†**श्री भागवत झा आजाद :** जिस मशीन के लिए करार किया गया है, वह कब तक देश में आने लगेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० कु० ल० राव :** ये सब परियोजनायें तीसरी योजना की परियोजनायें हैं और सभी सामान, कुछ संयंत्रों को छोड़ कर, निश्चित समय पर आयेगा । ये संयंत्र चौथी योजना के प्रथम वर्ष में आयेंगे ।

†**श्री भक्त दर्शन :** क्या उत्तर प्रदेश में कोरवा तापीय विद्युत् केन्द्र के बारे में रूसी विशेषज्ञों से केवल वार्ता हो रही है या वास्तव में कुछ किया गया है ?

†**डा० कु० ल० राव :** मूल्य को छोड़ कर सभी बातें निश्चित हो गई हैं और मशीनों का निर्माण हो रहा है । तीसरी योजना में १५० मैगावाट क्षमता अधिष्ठापित हो जायेगी और चौथी योजना के पहिले वर्ष में १०० मैगावाट बिजली प्राप्त होगी ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ़ :** इन परियोजनाओं पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी और क्या इस का भुगतान रुपयों में होगा या यहां से निर्यात करने के लिए कुछ वस्तु विनिमय का भी करार होगा ?

†**डा० कु० ल० राव :** सात परियोजनायें हैं । वह किस परियोजना का उल्लेख कर रहे हैं ?

†**श्री श्याम लाल सर्राफ़ :** में इन दो परियोजनाओं पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा की राशि जानना चाहता हूं ।

†**डा० कु० ल० राव :** नीवेली तापीय विद्युत् केन्द्र के विस्तार की दूसरी अवस्था पर ७.५ करोड़ रु० और कोरबा पर १४.५ करोड़ रु० व्यय होंगे ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या नीवेली विद्युत् केन्द्र के लिए रूस से प्राप्त होने वाला सामान विशेष कर लिग्नाइट के लिए, जो हम वहां पैदा करते हैं, उपयुक्त होगा ? क्या वे लिग्नाइट का प्रयोग करेंगे ?

†**डा० कु० ल० राव :** जी हां ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि अगर इस ओबरा हाउस को हरद्वार हैवी इलैक्ट्रिकल्स के पास लगाया जाता तो कितना खर्चा कम हो जाता ?

†**डा० कु० ला० राव :** मैं समझता हूं कि समय निकल गया । केन्द्र बन गया है ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या यह सच नहीं है कि बल्ली मेला परियोजना के लिए सामान देने के लिए रूस से वार्ता हो रही थी और क्या यह राज्य सरकार ने की थी या रूस सरकार से वार्ता करने का काम किसी गैर-सरकारी समवाय को दे दिया गया है ?

†**डा० कु० ल० राव :** मेरा सुझाव है कि पृथक् प्रश्न पूछा जाये, परन्तु जहां तक विद्युत् परियोजना का सम्बन्ध है, बल्लीमेला के बारे में विचार नहीं किया गया था, मालूम होता है कि मशीनरी के निर्माण के बारे में बातचीत राज्य द्वारा की गई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशों में भारतीयों के औद्योगिक एकक

+

†*६३० **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० पू० ना० खां :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगपतियों को अविकसित देशों में औद्योगिक एकक स्थापित करने की अनुमति देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने एकक स्थापित किये जायेंगे ; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां ये एकक स्थापित किये जाने वाले हैं ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) भारत सरकार ने कोई सामान्य निश्चय नहीं किया है। प्रत्येक मामले पर, देश में विकास-कार्यों के लिए आवश्यकताओं का ध्यान रख कर और विदेश मुद्रा का ध्यान रख कर, विशेषताओं के अनुसार विचार किया जाता है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : किसने सरकार से प्रार्थना की है कि उन्हें अल्प विकसित देशों में जाकर उद्योग खोलने की अनुमति दी जाये ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : उद्योगपति सरकार से प्रार्थना करते हैं। विदेशों में धन लगाने के सात मामले स्वीकृत हुए हैं ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : क्या सरकार ने सोचा है कि देशी पूंजी को बाहर जाने की अनुमति देने से हमारे देश के औद्योगीकरण पर प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : साधारणतया हम विदेशों में उतनी राशि लगाने की अनुमति देते हैं जितने मूल्य की मशीनें हम उन देशों को सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए निर्यात करते हैं और जितने मूल्य की हम टेक्निकल जानकारी देते हैं । परन्तु कुछ अपवाद के मामलों में यदि अपेक्षित विनियोग अपेक्षित होता है, तो हम विनिमय करते हैं क्योंकि अल्प विकसित देशों की औद्योगिक प्रगति में भारतीय सहयोग बढ़ रहा है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : देश में बढ़ते बेरोजगार का ध्यान रख कर क्या सरकार के लिए यह उचित है कि वह उन उद्योगपतियों को विदेशों में उद्योग स्थापित करने की अनुमति दे ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इसका उत्तर मैं दे चुकी हूं ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : उपमंत्री ने बताया है कि सात यूनिटों को अनुमति दी जा चुकी है । उन सात यूनिटों के क्या नाम हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** वह अलग से पूछ सकते हैं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** यह कहां तक ठीक है कि इन सात यूनिटों को अल्पविकसित देशों के औद्योगिकीकरण तथा औद्योगिक प्रगति में सहायता देने के लिए अनुमति दी गई है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मैं इसका उत्तर दे चुकी हूं । प्रश्न के दो भाग हैं : एक हमारा स्वयं का लाभ और दूसरा सहयोग ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या आजकल भारतीय उद्योगपतियों के कोई कारखाने विदेशों में चल रहे हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या मैं नाम बताऊं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि यह उत्तर लम्बा है, तो मैं अनुमति नहीं देता ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** सात यूनिटों को अनुमति दी गई है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वे यूनिट नहीं । माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्य हमारे नागरिकों ने विदेशों में कोई उद्योग खोले हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** ये कारखाने और ये यूनिट वे हैं जिन में पूंजी-सहयोग हो रहा है और इन उद्योगों की प्रगति उन देशों में हो रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इन्हें छोड़ कर, क्या हमारे किन्हीं नागरिकों ने विदेशों में पहिले ही कोई उद्योग स्थापित किये हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** इस प्रश्न के लिए मैं अलग से पूर्व सूचना चाहती हूं ।

†**श्री त्यागी :** विदेशों में इन कारखानों की स्थापना के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है और क्या वह विदेशी मुद्रा हमारी मुद्रा के बदले में दी जायेगी या यह वे देश देंगे ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** अधिकतर ये विनियोग मशीनों के निर्यात और टेक्निकल जानकारी के रूप में किये जाते हैं । इस प्रकार हम प्रत्यक्ष में विदेशी मुद्रा नहीं देते । इन सभी मामलों में इन यूनिटों का कुल मूल्यांकन मेरे पास है । एक में यह राशि ५८८ लाख रु० है; दूसरे में ५ लाख रु० है; तीसरे में ६ लाख रु० है; चौथे में १५ लाख रु० है; पांचवें में ७.५ लाख रु० है । एक और मामला है जिस में इसका मूल्य ६.८ लाख रु० है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या इन स्वीकृत प्रार्थनापत्रों में एक प्रार्थनापत्र श्री राम गुट के नाम इंजीनियरिंग वर्क्स की है और दक्षिणपूर्व एशिया के एक देश में सीने की मशीनों का कारखाना बनाने के लिए है और यदि हां, तो इस में कितना भारतीय धन लगेगा ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** जय इंजीनियरिंग वर्क्स को लंका में सिलाई की मशीनों का कारखाना लगाने की अनुमति दी गई है और लगभग भारतीय ६ लाख रु० लगेंगे ।

†**श्री कपूर सिंह :** क्या इन मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी की गई है कि सहायता लेने वाले देशों में भारतीय पूंजी को जब्त नहीं किया जायेगा या अन्य प्रतिबन्ध नहीं लगाये जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** जी हां ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** माननीय उपमंत्री ने अभी बताया है कि कुछ भारतीय उद्योगपति विदेशों में कुछ उपक्रमों में पहिले से ही भाग ले रहे हैं । क्या विदेशों में भारतीय उद्योगपतियों का व्यवहार तथा व्यापार सम्बन्धी आचरण सन्तोषजनक है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** जी हां । यह सन्तोषजनक है ।

तेल शोधक कारखानों में जीवन बीमा निगम की पूंजी

†*६३१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम का विचार दक्षिण भारत में सरकारी क्षेत्र में बनने वाले तेल शोधक कारखाने के कुछ अंश खरीदने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) प्रस्ताव अभी जीवन बीमा निगम के विचार करने के लिए तैयार नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** यह किस अवस्था में है ? क्या प्रस्ताव पर विनियोग समिति विचार कर रही है या कोई और निकाय विचार कर रहा है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** इस प्रस्ताव पर कम्पनी बनने के बाद ही पूरी तरह विचार किया जा सकता है और इसलिए निगम अभी इस बारे में अपना विचार नहीं बना सकती ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या कम्पनी ने यह तेल शोधक कारखाना चलाने के लिए कुछ राशि नियत करने के लिए जीवन बीमा निगम को लिखा है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** कम्पनी नहीं अपितु खान और ईंधन मंत्रालय ने जीवन बीमा निगम को लिखा है कि वह इस मामले में कार्यवाही करे । जीवन बीमा निगम की इस मामले में निश्चय ही दिलचस्पी है । परन्तु यह इस अवस्था में कोई प्रस्ताव नहीं बना सकती है ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** जीवन बीमा निगम के धन को सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में लगाने के बारे में सरकार की वर्तमान नीति की मुख्य बातें क्या हैं ? क्या प्रस्तावित बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए भी ऐसे विनियोग पर विचार किया जायेगा ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** यह प्रश्न बहुत ही सीमित है ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** मेरे प्रश्न के कम से कम पहिले भाग का उत्तर दिया जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न इस प्रकार पूछा जाना चाहिये कि उसका प्रश्नकाल में पर्याप्त उत्तर दिया जा सके ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** श्रीमान्, मैं प्रश्न पूछूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्हें एक अवसर दिया गया था और यदि वह उचित प्रश्न नहीं पूछते तो उनका अवसर समाप्त हो जाता है । मैं देखूंगा कि उन्हें दूसरा अवसर दिया जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी :** मंत्री उत्तर क्यों नहीं दे रही हैं ? हम मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** उन्होंने हाल में ही भार संभाला है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** उन्हें कुछ समय दीजिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या वह उपमंत्री के उत्तर देने से सन्तुष्ट नहीं हैं ? श्री सर्राफ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ़ :** क्या जीवन बीमा निगम के धन का विनियोग का मार्गदर्शन करने के लिए प्रोग्राम स्वरूप जीवन बीमा निगम का विनियोग की मोटी नीति बनाई गई है, और यदि हां, तो वे मोटी बातें क्या हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** जीवन बीमा निगम के धन के विनियोग की नीति का उल्लेख १९५८ में सभा में किया गया था। सभा में बार बार इसका उल्लेख किया गया है कि जीवन बीमा निगम के धन लगाने की मोटी नीति क्या है और विनियोग का क्या नमूना है। इस प्रश्न का विषय बहुत ही सीमित है और मैं इसका उत्तर दे चुकी हूं।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या जीवन बीमा निगम ने किसी सरकारी उपक्रम के अंश खरीदे हैं जैसा कि प्राक्कलन समिति ने प्रस्ताव किया था ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं पृथक पूर्वसूचना चाहती हूं।

राज्य विद्युत बोर्ड

*६३२. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २ मई, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ११४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९६३ में राज्य विद्युत् बोर्ड के अध्यक्षों के सम्मेलन ने जो मुख्य मुख्य सिफारिशें की थीं उन में से प्रत्येक को कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** स्थिति बताने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १७०७/६३**]

†**श्री भक्त दर्शन :** विवरण से विदित होता है कि लगभग सभी सिफारिशें अभी विभिन्न स्तरों पर सरकार के विचाराधीन हैं। उनके बारे में अन्तिम निश्चय कब तक होगा ?

†**डा० कु० ल० राव :** सात सिफारिशों में से एक स्वीकार नहीं हुई थी। एक स्वीकार हुई और उसे परिचालन के लिये अनेक सरकारों को भेज दिया गया, पांच विचाराधीन हैं। इस मामले में निश्चय करने से पहिले राज्यों का मत लेना है। संभव है कि इस में काफी समय कम से कम छः महीने लगेंगे।

†**श्री भक्त दर्शन :** पांचवीं सिफारिश सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी जो पड़ोसी दो राज्यों में मतभेद होने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अनिवार्य विवाचन के बारे में थी, और वह रोक ली गई है क्योंकि अधिनियम में संशोधन करना पड़ता। क्या कोई प्रयत्न किया जायेगा। ताकि कम से कम आगामी सत्र में इस सभा में एक संशोधनकारी विधेयक रखा जा सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० कु० ल० राव : यह ठीक है कि वह सिफारिश बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर राज्यों के साथ कार्यवाही की गई है परन्तु अब तक उत्तर उत्साहवर्धक नहीं है। हम राज्यों से फिर कहेंगे और इसे यथाशीघ्र स्वीकार करने की कोशिश करेंगे।

†श्री भागवत झा आजाद : सभी सिफारिशों के बारे में कहा गया है कि उनके लिये विद्युत अधिनियम म राज्य सरकारों की सहमति से संशोधन करने की आवश्यकता है। क्या राज्य सरकारों ने अधिनियम में संशोधन करने के लिये तत्परता प्रकट की है या वे अब भी इसके लिये हिचकिचा रहे हैं ?

†डा० कु० ल० राव : अधिकतर मामलों में उन्होंने विरोध किया है।

†श्री मान सिंह पृ० पटेल : विवरण की दृष्टि से, कितने राज्यों ने कम से कम पहिली तीन सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

†डा० कु० ल० राव : वास्तव में किसी भी राज्य ने उन्हें इस रूप में स्वीकार नहीं किया है ?

†श्री राम चन्द्र उलाका : तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में गांवों में बिजली लगाने की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिये क्या किया गया है या किया जायगा, विशेषकर उड़ीसा राज्य में ?

†अध्यक्ष महोदय : यह बात अलग है।

†डा० कु० ल० राव : सरकार ने आर्थिक सहायता देना स्वीकार नहीं किया है।

†श्रीमती सावित्री निगम : विवरण के छटे मद में लिखा है कि कार्यकारी दल इस पर विचार कर रहा है। कार्यकारी दल अपनी रिपोर्ट कब देगा ताकि कार्यवाही की जा सके ?

†डा० कु० ला० राव : मूल्य निर्धारण नीति सम्बन्धी कार्यकारी दल बैठक कर रहा है मैं नहीं जानता कि वह अपना कार्य कब समाप्त करेंगे।

रोहे

+

†*६३३. श्री विभूति मिश्र:
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री वारियर :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वस्वास्थ्य संगठन के अभी हाल के सवक्षण से यह पता लगा है कि ग्रामीण भारत की लगभग एक तिहाई जनता रोहे (ट्रेकोमा) से पीड़ित है ; और

(ख) यदि हां, तो इस रोग का फैलाव रोकन के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद ने विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूनीसेफ के साथ मिलकर जो अध्ययन किये थे उनसे विदित होता है कि १५

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ३५.५१८ करोड़ लोगों में से ११.९४५ करोड़ लोगों को सक्रिय रोहे (ट्रेकोमा) है या रोहे होने के चिन्ह हैं; ६.८२९ करोड़ व्यक्ति रोहों से पीड़ित हैं और ५.११६ करोड़ व्यक्तियों को रोहे हो चुके हैं ।

(ख) पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के तीन जिलों (मेरठ, मुजफ्फर नगर तथा सहारनपुर) में जहां यह रोग बहुत फैला हुआ है, रोहे नियंत्रण प्रोग्राम बनाया गया है। प्रोग्राम गुजरात, बिहार, मैसूर, मध्य प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर में भी आरम्भ हो गया है ।

श्री विभूति मिश्र : ट्रेकोमा जिसको कि रहुआ कहते हैं, क्या सरकार ने इस का पता लगाया है कि यह बीमारी होने का क्या कारण है ?

डा० सुशीला नायर : जी हां, श्रीमान्, एक प्रकार का बायरस होता है जिसके कि यह चेप की बीमारी होती है ।

श्री विभूति मिश्र : जहां जहां यह बीमारी है वहां पर ऐसी कौन सी सस्ती दवा दी जाय ताकि यह बीमारी अच्छी हो सके, इसके लिये क्या सरकार ने कोई सुझाव दिया है ?

डा० सुशीला नायर : जी हां, एक बहुत अच्छी दवा मिली है । एक मलहम होती है ऐंटीवायोटिक्स की, ...

अध्यक्ष महोदय : अब इस के लिये दवा तथा हैल्थ मिनिस्टर साहब फरमायेंगे ? अब इत्तिफाक से हमारे हैल्थ मिनिस्टर डाक्टर भी हैं इसलिये वह दवा भी बतलाने लग गये हालांकि उनको दवा बतलाने की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : अब बीमारी की दवा यह नहीं बतलायेंग तो लोग जानेंगे कैसे ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के लिये हैल्थ कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, वह वहां इस के बारे में पूछ सकते हैं ।

श्री विभूति मिश्र : मैं पूछ सकता हूं लेकिन आम जनता तो नहीं पूछ सकती है।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** इस विषय पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट से हमें विदित होता है कि रोहों का रोग उत्तरी भारत में सर्वाधिक है और दक्षिण के सभी राज्य इस रोग से प्रायः मुक्त हैं। इस बात के क्या कारण हैं ?

†**डा० सुशीला नायर :** दक्षिण के राज्यों में यह रोग कम है। मैं यह नहीं कह सकती कि इसका निश्चित कारण क्या है। संभव है कि धूल एक कारण हो। संभव है कि धूल से आंखों को नुकसान होता हो और इससे वीरस बढ़ता हो ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार के ध्यान में यह बात है कि कोयला का धुआं इस का सब से बड़ा कारण है और इस लिये क्या सरकार कोयले के बजाय लकड़ी से भोजन बनाने को प्रोत्साहित करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : श्री सरजू पांडेय ।

श्री सरजू पाण्डेय : यह जानना चाहता हूं कि रोहे की बीमारी की जो जांच-पड़ताल की गई है, क्या उस से पता चलता है कि यह बीमारी खास तौर से किस वर्ग में पाई जाती है—अमीरों में या गरीबों में ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० सुशीला नायर : यह बीमारी कुछ अमीर और गरीब की तमीज तो नहीं करती, लेकिन जहां सफाई, सैनिटेशन, बगैरह की तरफ कम ध्यान दिया जाता है, और जहां एक ही तौलिया सारी फैमिली इस्तेमाल करती है, वहां पर एक का चेप दूसरे को ज्यादा आसानी से लग जाता है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : म यह जानना चाहता हूं कि जब यह इतनी भयंकर बीमारी है और उस की कोई दवाई नहीं मिली है, तो क्या इस को रोकने के लिये देसी दवाओं का भी परीक्षण किया गया है ।

डा० सुशीला नायर : देसी दवायें तो बहुत अरसे से इस्तेमाल हो रही थीं, लेकिन उन से रोक थाम नहीं हुई । अब कुछ ऐसी नई दवायें हाथ में आई हैं, जिन से, आशा है, इस की रोकथाम की जा सकेगी ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप यह भी पता चला है कि गावों में, रोहे की बीमारी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक है ?

डा० सुशीला नायर : ऐसी तो कोई खबर नहीं है कि यह बीमारी महिलाओं में अधिक है । लेकिन हिन्दुस्तान में बहुत से देहात में महिलाओं में आंख का रोग जो ज्यादा देखने में आता है, वह चूल्हे के धुयें के कारण होता है जहां जहां स्मोकलेस चूल्हे चालू नहीं हुए, वहां धुयें से आंखों को नुक्सान होता है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** रोहे नियन्त्रण प्रोग्राम की मुख्य बातें क्या हैं ? क्या राज्यों या जिलों को, जहां यह प्रोग्राम आरम्भ किया गया है, कोई आर्थिक सहायता दी जा रही है ?

†**डा० सुशीला नायर :** श्रीमान्, जहां पर हाइपर-एनडमिसीटी है यानी जहां पर पचास परस से ज्यादा यह रोग है, ऐसी स्टेट्स और ऐसे हिस्सों में यह कार्यक्रम उठाया गया है । यह प्रोग्राम चार हिस्सों में तक्सीम किया जाता है । पहला तो प्रैपेरेटरी फैज़ होता है और दूसरा एटैक फैज़ होता है । एटैक फैज़ में सब की आंखों में यह मल्हम लगाने की बात होती है और हफ्ते में पांच दिन—बेहतर है, सवरे शाम,या कम से कम रात के वक्त-यह मल्हम लगाया जाता है और इस तरह से एक महीना. . .

अध्यक्ष महोदय : आप तो डाक्टर की सलाह देने लग गई ।

डा० सुशीला नायर : श्रीमान्, आप ने. . . . .

†**श्री कपूर सिंह :** सुनने दीजिये । यह दिलचस्प है ।

अध्यक्ष महोदय : यहां नहीं ।

आप का यहां दिया हुआ नुस्खा सारी दुनिया में फैलेगा । शायद कई आप से एग्री न करते हों । आप यह डाक्टरों की जिम्मेदारी रहने दीजिये ।

डा० सुशीला नायर : श्रीमन् यह तो एक्सपर्टस की एडवाइज़ है, जो कि मैं बता रही हूं

अध्यक्ष महोदय : डा० कोलाको ।

श्रीमती सावित्री निगम : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : हां, इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता । कृपया आप बैठ जाइय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० कोलाको** : इस बहुत फैले रोग की रोक थाम के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**डा० सुशीला नायर** : जिस व्यक्ति को यह रोग हो उसके परिवार के सभी सदस्यों की चिकित्सा करना ही इस रोग को फैलने से रोकने का तरीका प्रतीत होता है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर काजल या सुरमा लगाया जाय, तो क्या यह बीमारी नहीं होती है ।

अध्यक्ष महोदय : आपकी क्या राय है ?

श्री स० मो० बनर्जी : मैं काजल नहीं लगाता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आपकी राय है कि उससे फायदा होता है, तो मैं मनिस्टर साहब से रिकमेंड करूंगा कि वह इस पर गौर करें ।

ग्राम्य जल प्रदाय मण्डल

*६३४. **श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम्य जल प्रदाय मण्डल ने पश्चिमी भारत में जलाभाव और जल प्रदाय की समस्याओं के सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम अथवा अन्तरिम प्रतिवेदन दिया है ;

(ख) क्या पश्चिमी भारत की किसी राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तुत की है तथा यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) ग्राम्य जल प्रदाय से सम्बन्धित कौन कौन सी व्यवस्थायें अथवा माध्यम है तथा इनमें परस्पर समन्वय के लिये क्या क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा हाल ही में स्थापित किये गये पेय जल बोर्ड ने देश की ग्राम जल प्रदाय समस्या को अपने हाथ में ले लिया है और इस बोर्ड ने पश्चिमी भारत में जल की कमी तथा जल प्रदाय की समस्याओं के बारे में अभी तक कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

(ख) पश्चिमी भारत की किसी राज्य सरकार ने अभी तक इस सम्बन्ध में कोई योजना नहीं भेजी है । १९५९–६० में राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित की गई एक समिति ने राज्य के रेगिस्तानी तथा अर्द्ध-रेगिस्तानी क्षेत्रों में ग्राम जल प्रदाय स्थिति का स्थूल निर्धारण किया । महाराष्ट्र सरकार ने भी उस राज्य में ग्राम जल प्रदाय स्थिति के सर्वेक्षण के लिए कुछ उपाय शुरू किये थे । पेय जल बोर्ड देश के जलाभाव वाले क्षेत्रों में इस समस्या का, प्राथमिकता के आधार पर, हल करने के लिए एक विशिष्ट योजना तैयार कर रहा है ।

(ग) इस समय ग्राम जल प्रदाय योजनाएं नीचे लिखे वर्गों में से किसी एक वर्ग के अधीन कार्यान्वित की जा रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(१) नल जल प्रदाय प्रणालियों, जिनके स्वरूप और कार्यविधि में तकनीकी ज्ञान अपेक्षित है, स्वास्थ्य मन्त्रालय के राष्ट्रीय जल प्रदाय एवं सफाई कार्यक्रम के अधीन कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें सुरक्षित प्रदाय के लिए, उसके पहुंचाने तथा वितरण के लिये भूमिगत जल तथा सतह जल स्रोतों का विकास शामिल हो सकता है।

(२) साधारण टाइप, क्रमशः सामुदायिक विकास एवं सहकार मन्त्रालय तथा योजना आयोग द्वारा चलाये जा रहे सामुदायिक विकास तथा स्थानीय विकास-कार्य कार्यक्रमों के अधीन कार्यान्वित किये जा रहेहैं। इनमें अधिकतया कुंओं और ट्यूबवैलों का खोदना शामिल है।

(३) विशिष्ट ग्राम जल प्रदाय इन्स्टालेशन गृह मंत्रालय के नियंत्रण में चलाये जा रहे पिछड़े वर्गों के कल्याण कार्यक्रम के अधीन हैं इनमें भी अधिकतर कुंओं का खोदना तथा स्रोतों का नहरीकरण सम्मिलित है।

इन सब कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामवासी का, उसकी अपनी क्षमता तक, योग प्राप्त करना है, जिसकी अनुपूर्ति राज्य तथा केन्द्रीय सहायता से होगी। जहां कहीं सम्भव होगा राष्ट्रीय जल प्रदाय तथा सफाई कार्यक्रम (ग्राम) के अधीन योजनाओं के भाग के रूप में ग्राम परिवारों के उपयोग के लिए सेनिटरी शौच-गर्तों की व्यवस्था सम्मिलित कर दी गई है।

हाल ही में देश में ग्राम जल प्रदाय कार्यक्रम के समन्वय के लिए तथा उसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि नीचे दिया गया है, बहुत से उपाय बरते गये :—

देश में ग्राम जल प्रदाय समस्या के सही सही निर्धारण के लिए राज्यों में ग्राम जल प्रदाय के विशेष जांच खण्ड स्थापित करने की एक योजना स्वीकृत की गई है। इसके लिए शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जायेगी। ये खण्ड विशेषतया जलाभाव वाले क्षेत्रों के ग्राम जल प्रदाय से सम्बन्धित होंगे। वे प्रत्येक राज्य में ग्राम जल प्रदाय स्थिति का निर्धारण करेंगे, तथा यह बतलायेंगे कि इस समस्या को किस तरह और किस हद तक हल किया जायेगा। विशेष तकनीकी क्षेत्र कर्मचारी प्रारम्भिक निर्धारण के बाद शुरू किये जाने वाले सभी ग्राम जल प्रदायों के लिए विस्तृत इंजीनियरी परियोजनायें तैयार करेंगे। अधिकांश राज्यों में ये खण्ड स्थापित किये जा चुके हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति स्थापित कर केन्द्र में जल प्रदाय से सम्बन्धित विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय की व्यवस्था कर दी गई है। इस समिति में सम्बन्धित मंत्रालयों तथा योजना आयोग के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।

उपर्युक्त विभिन्न जल प्रदाय कार्यक्रमों के बारे में राज्य सरकारें कार्यान्वयी अधिकारी हैं। इन परियोजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन राज्य सरकारों तथा परियोजनाओं को स्वीकृत करने वाले विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के बीच निकट सम्पर्क तथा सहयोग पर निर्भर करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये भारत सरकार ने श्री बलवन्तराय मेहता की अध्यक्षता में एक पेय जल बोर्ड स्थापित किया है। इस बोर्ड ने बहुत से राज्यों का दौरा कर लिया है तथा स्थानीय अधिकारियों से ग्राम जल प्रदाय की समस्याओं पर विचार विमर्श किया है।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या सरकार की राय में ग्रामीण जल संभरण प्रोग्रामों में हुई अपेक्षतः थोड़ी और असन्तोषजनक प्रगति का कारण यह है कि सरकार के विभिन्न विभागों में तथा

†मूल अंग्रेजी में

राज्य व संघ सरकारों में ताल मेल नहीं है और, यदि हां, तो क्या वर्तमान प्रक्रिया जो विवरण में बताई गई है, पर्याप्त तथा सन्तोषजनक है ?

†**डा० सुशीला नायर :** संभव है कि तालमेल की कमी इस में कुछ कारण बनी हो। हम तालमेल बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस दिशा में की गई कार्यवाही का यहां उल्लेख किया गया है।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में गांव हैं जहां लोगों को पीने का पानी लाने के लिए १४ मील जाना पड़ता है, यदि यह बात सच है, तो क्या यह भी सच है कि इसका कारण यह है कि इन वर्षों में ग्रामीण जल संभरण के लिए दिये गये अनुदान विपगत होते रहे हैं ? इसका निराकरण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**डा० सुशीला नायर :** मैं नहीं कह सकती कि यह अन्तर १४ मील है या १५ मील, परन्तु मैं इस से सहमत हूं कि देश में ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोगों को पीने का पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। मैं नहीं समझती कि इसका एक मात्र कारण यह है कि लोग काम करना नहीं चाहते, अपितु इन क्षत्रों में समस्या बहुत कठिन है। जहां कहीं कूयें आसानी से बनाये जा सकते हैं, वहां निश्चय ही खोदे गये हैं और अत्यन्त कठिन क्षेत्र पिछड़ गये हैं। यही कारण है कि हमने ये जांच पड़ताल विभाग बनाये हैं जो कठिन क्षेत्रों को जांच पड़ताल करने के लिए विशेषज्ञ देते हैं और योजना बनाते हैं।

†**डा० गायतोंडे :** क्या मंत्री महोदय को विदित है कि किसी अन्य मंत्रालय ने दिल्ली में कुंओं का सर्वेक्षण किया है और पाया है कि अधिकतर कुंए निम्न स्तर के हैं ?

†**डा० सुशीला नायर :** मैं नहीं समझती कि किसी अन्य मंत्रालय ने वह कार्य किया है जिस का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है। स्वयं हमारे मंत्रालय को विदित है कि दिल्ली में कुंओं का पानी बहुत अच्छा नहीं है। परन्तु दिल्ली में कुंओं के पानी के प्रयोग की समस्या नहीं है। सामान्यतया दिल्ली में नलों के पानी की व्यवस्था है।

†**श्री पु० र० पटेल :** पानी की कमी दूर करने के लिए गुजरात राज्य को कितना अनुदान दिया गया था और उस में से कितना धन व्यय किया गया है और कितना धन पिछले दो वर्षों में विपगत हो गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस सामान्य प्रश्न में एक एक राज्य को नहीं लिया जा सकता।

†**श्री जसवन्त मेहता :** समिति ने कोई अन्तरिम सिफारिश नहीं की है। पश्चिमी भारत के कुछ भागों में कमी है, और कुछ भागों में जल की स्थायी कमी भी है, अर्थात, गुजरात राज्य के बाल क्षेत्र में। अतः इन क्षेत्रों में जल-व्यवस्था करने के लिए सरकार क्या अन्तरिम कार्यवाही कर रही है ?

†**डा० सुशीला नायर :** राजस्थान राज्य में कुछ सर्वेक्षण किया गया था जिस से समस्या और प्राक्कलित व्यय की कुछ जानकारी हुई। महाराष्ट्र में भी वैसी कोई कार्यवाही की गई थी। परन्तु समस्या को कैसे हल किया जाये इसके बारे में विस्तृत योजनायें नहीं बनाई गई हैं और गुजरात भी इसी श्रेणी में है। यह जांच-पड़ताल विभागों की सेवायें जिन्हें हमने १०० प्रतिशत सहायता दी है, व्यौरा बनाने के लिए राज्यों को उपलब्ध की गई हैं।

†**श्री जसवन्त मेहता :** जहां वर्षा नहीं होती है उन क्षत्रों के लिए अन्तरिम कार्यवाही के रूप में सरकार द्वारा कोई अन्तरिम कार्यवाही की जाने के प्रश्न का अभी तक उत्तर नहीं दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ माननीय सदस्य : उठे . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं महसूस करता हूं कि सभी भागों में और सभा में भी पानी की इतनी मांग है, परन्तु सभी माननीय सदस्यों को एक साथ नहीं उठना चाहिये । मैं एक सदस्य के बाद केवल एक माननीय सदस्य को पुकार सकता हूं न कि एक साथ उन सब को । श्री वारूपाल

श्री प० ला० बारूपाल : क्या मंत्री महोदया को मालूम है कि राजस्थान के गांवों में ऐसे कुंए हैं, जिनका पानी पीने से पशु मर जाते हैं ? क्या ऐसे कुओं का सर्वेक्षण कराने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल माननीय सदस्य ने पहले भी किया था और उस का जबाब मिल चुका है । बार-बार उस को न दुहराया जाये ।

†**डा० मा० श्री अणे :** महाराष्ट्र के बारे में जो जांच की गई है क्या उस की रिपोर्ट १९५६ से पहले दी गई थी या बाद में दी गई और क्या उस रिपोर्ट में उन आठ जिलों के बारे में कोई उल्लेख था जो आजकल विदर्भ कहाते हैं ?

†**डा० सुशीला नायर :** मैं नहीं जानती कि यह जांच-पड़ताल कब की गई थी । यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं तारीखों का पता लगा दूंगी और उन्हें बता दूंगी ।

†**श्री मान सिंह पृ० पटेल :** विवरण में उल्लेख है कि विभिन्न योजनाओं में, अर्थात ग्रामीण जल संभरण योजनायें तथा सामुदायिक विकास प्रोग्रामों की जल संभरण योजनायें, ताल मेल नहीं है । क्या सरकार को पता लगा है कि सामुदायिक विकास योजना के लागू होने के बाद, कुछ राज्यों के उन क्षेत्रों में ग्रामीण जल संभरण योजनायें बन्द की जा रही हैं ।

†**डा० सुशीला नायर :** माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह मैं मैंने सुन लिया है । मैं इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करूंगी ।

†**श्री दाजी :** क्या यह ठीक है कि कुछ राज्य सरकारों ने ग्रामीण जल संभरण के प्रोग्रामों को तीव्रता से लागू करने के लिए केन्द्र से अधिक अनुदान मांगा है और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**डा० सुशीला नायर :** मैं केवल यह कह सकती हूं कि हमने अब तक ग्रामीण जल संभरण की किसी भी अच्छी योजना को अस्वीकार नहीं किया है । परन्तु योजनायें टेक्निकल दृष्टि से विशेषज्ञों को स्वीकार्य होनी चाहिएं और उनकी कार्यान्विति के लिए सामान्य उपलब्ध होना चाहिये ।

श्री भानु प्रकाश सिंह : मध्य प्रदेश राजस्थान और गुजरात में अभी तक कितने ट्यूबवैल खोदे गये हैं और उन से जनता को कितनी राहत मिली है ?

अध्यक्ष महोदय : जनता को कितनी राहत मिली है, यह तो आप ही बता सकेंगे इनसे बेहतर ।

श्री भानु प्रकाश सिंह : नम्बर तो बता दें ।

अध्यक्ष महोदय : कितने कुंए खोदे गये हैं, क्या यह इनफार्मेशन आपके पास है ?

डा० सुशीला नायर : जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शिवाजी राव श० देशमुख**: क्या यह सच है कि महाराष्ट्र की पूरना घाटी में, विदर्भ में, जिसमें २ लाख व्यक्ति रहते हैं और ३०० गांव हैं, पानी में खार है जो मानव तथा पशु स्वास्थ्य के लिए हानिकर है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं पहिले ही निर्णय दे चुका हूं कि यदि हम राज्यों के विशिष्ट भागों को लें, तो उत्तर नहीं दिया जा सकेगा ।

†**श्री शिवाजी राव श० देशमुख** : यह सर्वथा मानवीय प्रश्न है जहां २ लाख व्यक्तियों को कठिनाई है क्योंकि वहां पानी में खार है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । श्री बारूपाल ।

†**श्री शिवाजी राव श० देशमुख** : यद्यपि यह एक क्षेत्र विशेष के बारे में है, परन्तु मेरा प्रश्न यह है कि खार का मनुष्य तथा पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात मंत्री महोदय समझेंगी । अगला प्रश्न ।

घग्घर नदी

\+

*६३६. **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री समनानी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री हेम राज :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री कर्णी सिंहजी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के ओटू बांध से निकल कर आने वाली घग्घर नदी की बाढ़ को रोकने के लिए योजना बनाई गई है ;

(ख) क्या राजस्थान राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई योजना भेजी है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना की अनुमानित लागत क्या है तथा उसको कार्यान्वित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव)**: (क) घग्घर नदी की बाढ़ के नियंत्रण के लिये अभी कोई योजना अंतिम रूप से नहीं बनायी गयी है ।

(ख) जी हां ।

(ग) उक्त योजना पर अनुमानित व्यय ४७०·९८ लाख रुपया होगा । योजना विचाराधीन है ।

श्री प० ला० बारूपाल : क्या यह सही है कि इस वर्ष घग्घर की बाढ़ से गंगानगर जिले में ७०,००० एकड़ भूमि जलमग्न हो गयी है, यदि हां तो इससे कितना नुक्सान हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० कु० ल० राव** : मुझ राज्यों से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । यदि जानकारी मांगी जायेगी तो सदस्यों को दे दी जायेगी ।

श्री प० ला० बारूपाल : सरकार ने जो योजना बनायी है वह कब तक लागू की जायगी ?

डा० कु० ल० राव : योजनायें विचाराधीन हैं । यह योजनायें आगामी तीन महीनों के भीतर क्रियान्वित कर दा जायगी ।

†**श्री भक्त दर्शन** : घग्घर नदी में कई वर्षों से प्रतिवर्ष बाढ़ आती है । सरकार ने इस संबंध में पहिले से ही कार्यवाही क्यों नहीं की तथा अब वे अंतिम निर्णय कब तक करेंगे ?

डा० कु० ल० राव : अभी हाल पिछले कुछ वर्षों से घग्घर में अधिक बाढ़ आने लगी है। इसका कारण एक तो अभी हाल अधिक वर्षा और दूसरे पंजाब की नहरों से अधिक जल की निकासी है । तथापि हमें आशा है कि हम आगामी कुछ महीनों में इस समस्या को हल करने में समर्थ हो जायेंगे ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या इन बाढ़ों के फलस्वरूप राजस्थान को हुई हानि का कुछ अनुमान लगाया गया है ?

†**डा० कु० ल० राव** : मेरे पास इस संबंध में अभी जानकारी नहीं है तथापि मैं माननीय सदस्य को इसकी जानकारी दे दूंगा ।

श्री रामेश्वरानन्द : यमुना की बाढ़ से चौगावां, डबकोली, चौरा इत्यादि करनाल के पांच छ : गांव बह चुके हैं और थोड़े थोड़े बकाया हैं । क्या इन गांवों को बचाने की कोई योजना है ?

अध्यक्ष महोदय : घग्घर की बाढ़ की बात है ।

श्री रामेश्वरानन्द : घग्घर के साथ यमुना भी पंजाब में है ।

दिल्ली में भूमि अधिग्रहण

+

†*६३७. { **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री २८ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर लगभग २,२२० एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के प्रस्तावों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निश्चय किया गया है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख) सरकार ने तब से निम्नलिखित जमीनों की खरीद के लिये मंजूरी दे दी है ।

(१) १५०० एकड़ महरौली रोड, बदरपुर नई दिल्ली में ।

(२) २२० एकड़, रिंग रोड के दक्षिण (रामकृष्णापुरम्) नई दिल्ली में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) १९७ एकड़ मसजिद मोठ क्षेत्र नई दिल्ली में शाहदरा में भूमि की खरीद का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

†**श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या सरकार उक्त २२२० एकड़ के अलावा भी कुछ और भूमि अधिग्रहीत करना चाहती है, जिससे दिल्ली में आवास की आवश्यकतायें पूरी हो सकें यदि हां तो दिल्ली में कुल कितनी भूमि अधिग्रहीत की जायेगी ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : दिल्ली को लगभग ६०००० से ७०००० मकानों की आवश्यकता है । हम इस प्रयोजन के लिये गाजीयाबाद में भी भूमि अर्जित करना चाहते हैं । हमने कुछ भूमि फरीदाबाद में भी ली है । यदि दिल्ली में और भूमि उपलब्ध होगी तो हम उसे भी अधिग्रहीत करेंगे ।

†**श्री राम चन्द्र उलाका**: दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को कब तक सरकारी आवास मिल सकेंगे ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : हमने एक योजना बना कर वित्त मंत्रालय और योजना आयोग को भेजी है । हमने उन्हें यह सुझाव दिया है कि यदि हमें आगामी चार वर्षों में उक्त राशि दे दी जाये तो हम यह समस्या न केवल दिल्ली में अपितु मद्रास, कलकत्ता बम्बई में भी हल करने में समर्थ हो जायेंग । क्योंकि उक्त चारों बड़े नगरों में आवास तथा आफिसों के लिये जगह की बहुत तंगी है ।

श्री घुलेश्वर मीना : जितनी ज़मीन एक्वायर कर ली गई है उस पर क्वार्टर जब बन जायेंगे उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट्स की हाउसिंग की समस्या किस हद तक साल्व हो जाएगी ?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने बताया है कि चौथे प्लान के आखिर तक शायद यह कोशिश करेंगे, अगर रुपया जितना वह चाहते हैं, वह मिल गया और साथ साथ ज़मीन भी, कि वह समस्या हल हो जाए ।

श्री घुलेश्वर मीना : इस ज़मीन के एक्वायर होने के बाद हाउसिंग की समस्या किस हद तक हल हो जाएगी और कितनी बच रहेगी और कितने गवर्नमेंट सर्वेंट्स को हाउसिस मिल जायेंगे?

श्री मेहरचन्द खन्ना : गवर्नमेंट आफ इंडिया बड़े ज़ोर से बढ़ रही थी, अभी भी बढ़ रही है और जो मौजूदा हालात हैं, उनके मुताबिक दिल्ली में मुझे कोई ६५,००० मकान चाहियें गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए । काफी तकलीफदेह यह मामला है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : उक्त भूमि किस दर पर अधिग्रहीत की गयी है क्या यह दरें उन्हें मंजूर थीं जिनसे यह भूमि ली गयी है; क्या जिन लोगों से भूमि ली गयी है उनके पुनर्वास के लिये कुछ प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : भूमि दिल्ली प्रशासन द्वारा अधिग्रहीत की गयी है । मेरे विचार से भूमि अर्जन अधिनियम द्वारा नोटिस दिया गया और मध्यस्थों द्वारा पंचाट दिया गया था ।

श्री राम सेवक यादव : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि इस सिलसिले में कुछ गाजियाबाद की भी ज़मीन हासिल करने की बात है । मैं जानना चाहता हूं कि जो अभी गाजियाबाद के किसान आए थे, उन्हीं की ज़मीन को हासिल किया जाएगा या उसके अतिरिक्त और भी दूसरी ज़मीन ली जाएगी और अगर ली जाएगी तो कितनी और किस रेट पर ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मेहरचन्द खन्ना : हम तो जमीन यू० पी० गवर्नमेंट की मार्फत खरीदेंगे। मैं जमींदारों को नहीं जानता कि किन की होगी। जो जमीन मैं ने देखी है, वह जमीन मेरे लिए मौजूं है और मैं चाहता हूं कि जिस जमींदार की जमीन ली जाए उसको मौजूं कम्पेंसेशन मिले।

श्री राम सेवक यादव : प्रश्न तो मैंने किया कि क्या यह वही जमीन है जिसके बारे में वे लोग आये थे ? यह मेरा प्रश्न है लेकिन इस का सीधा जवाब मंत्री महोदय ने नहीं दिया।

श्री मेहरचन्द खन्ना : मैं नहीं जानता। मैं तो जमीन यू० पी० गवर्नमेंट की मार्फत ले रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: यहां पहले ली गई है जमीन उस के मुआवजे के बाबत यहां झगड़ा होता रहा है, डिमान्स्ट्रशन .....

श्री मेहरचन्द खन्ना : यह जमीन तो अभी ली जायेगी, ली नहीं गई है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : भूमि अधिग्रहण करने के पश्चात् जो कम्पेन्सेशन का प्रश्न उठता है, क्या सरकार इस सम्बन्ध में विचार कर रही है...

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। अभी एक माननीय सदस्य से जानकारी मिली कि मंत्री महोदय कहते हैं कि जमीन ली जायेगी। लेकिन वहां पर गवर्नमेंट आफ इंडिया की कुछ जमीन है जिस पर कुछ मकानात आदि बन रहे हैं, तब इस प्रकार की बात क्यों कही जाती है .....

अध्यक्ष महोदय : इस में व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? बिल्कुल नहीं है।

श्री राम सेवक यादव: मंत्री महोदय का ब्यान सही नहीं है जो मैंने प्रश्न किया उस के ऊपर में। व्यवस्था का प्रश्न यही है कि मेरी व्यवस्था ही व्यवस्था है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : व्यवस्था का प्रश्न तो यही हो सकता है कि जब हम बोल रहे हैं ...

अध्यक्ष महोदय : अब आप सवाल करना चाहते हैं या केवल व्यवस्था का ही प्रश्न उठाना चाहते हैं ?

श्री राम सहाय पाण्डेय : मैं जानना चाहता हूं कि भूमि अधिग्रहण करने के पश्चात् जो मुआवजे का प्रश्न है उस सम्बन्ध में जो भूमि का रेट पे किया जाता है और जिस रेट पर उसे बेचा जाता है उसमें अधिक अन्तर न हो, क्या इस पर भी सरकार विचार कर रही है, ताकि असन्तोष कम हो जाये ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : मैं तो जो जमीन ले रहा हूं उस पर मकान बनाऊंगा और सरकारी मुलाजिमों के कानून के मुताबिक किराये पर दूंगा।

†**श्री अ० प्र० जैन :** उस भूमि का क्या क्षेत्रफल है जिस के लेन-देन आदि पर रोक लगाने के सम्बन्ध में संसदीय अधिसूचनायें जारी की गयी हैं तथा यह भूमि कब तक इस प्रकार रहेगी ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** दिल्ली में इस प्रकार की दो योजनायें हैं। एक उच्चायुक्त की योजना है जिसका प्रशासन गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य ३०,००० से ४०,००० एकड़ वाली भूमि से है तो मेरा उस से कोई तात्पर्य नहीं है, मेरा सम्बन्ध केवल उसी भूमि से है जो आफिसों के निर्माण, सरकारी कर्मचारियों तथा संसद् सदस्यों के आवास से सम्बन्ध रखती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० प्र० जैन : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। भूमि का लेन-देन न करने सम्बन्धी अधिसूचनायें जारी की गयी हैं। उसमें से कुछ अंश अर्जित कर लिया गया है और कुछ भाग वैसा ही पड़ा हुआ है। मैं ऐसी कुल भूमि का क्षेत्रफल जानना चाहता हूं। उसमें से कितनी भूमि अर्जित की गयी और कितनी अभी तक यों ही पड़ी हुई है ?

†अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस का उत्तर दे चुके हैं। उनका मुख्य आयुक्त के कार्यालय से निकाली गयी अधिसूचनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि अधिकांश भूमि का अर्जन उन्हीं के प्राधिकार के अधीन किया गया है।

†श्री अ० प्र० जैन : मैं उनके अधीन योजना के सम्बन्ध में जानना चाहता हूं। उसके अधीन कितनी भूमि का लेन-देन बंद किया गया उसमें से कितनी भूमि अर्जित की गयी तथा कितनी यों ही पड़ी है ?

†श्री मेहरचन्द खन्ना : हमने किसी भूमि का लेन-देन बन्द नहीं किया है। हमें केवल ४·५ हज़ार एकड़ भूमि चाहिये और हम उसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं।

†अध्यक्ष महोदय : उनकी आपत्ति इस बात पर है कि इस आशय की अधिसूचना निकाली जाती है कि जमीन सार्वजनिक हितों के लिये अर्जित की जायेगी तथापि उसे बहुत समय के लिये अर्जित नहीं किया जाता है। इस से कीमतों में विषमता पैदा होती है और जनता में चिंता तथा असंतोष फैलता है। अतः वे यह जानना चाहते हैं कि क्या इस योजना के अधीन भी ऐसी भूमि है जो अधिसूचित की गयी किन्तु बहुत समय से अर्जित नहीं की गयी ?

†श्री मेहरचन्द खन्ना : मुझे भूमि अर्जन करने में बहुत जल्दी है। मैं उसे बहुत शीघ्र अर्जित करना चाहता हूं। तथापि मेरे विचार से वे ३०,००० या ४०,००० एकड़ का उल्लेख कर रहे हैं।

†श्री अ० प्र० जैन : मैं आप के तथा दूसरे दोनों का ही उल्लेख कर रहा हूं।

†श्री मेहर चन्द खन्ना : इस सम्बन्ध में भी आलोचनायें हुईं कि भूमि बहुत पहिले अर्जित कर ली गयी है। किन्तु प्लाट नहीं दिये गये हैं, भूमि का विकास नहीं हुआ है तथापि उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है।

†श्री हरि विष्णु कामत : मंत्री महोदय ने आप के द्वारा उठाये गये प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया है। आप ने जानबूझ कर यह बात पूछी और उन्होंने टाल दिया। जब आप उन्हें समझाने में असमर्थ रहे तो भला उन्हें कौन समझा सकता है ? मेरे विचार से इस प्रकार संसद् कार्य नहीं कर सकती है। आप हमारे संसदीय अधिकारों और विशेषाधिकारों के अभिरक्षक हैं, किन्तु मंत्री उत्तर देने में उपेक्षा कर रहा है तब हमारे यहां रहने से लाभ क्या है ?

†श्री मेहरचन्द खन्ना : श्री कामत के शब्द अवांछनीय और अनुचित हैं। सीधा प्रश्न किया गया था और उसका सीधा उत्तर दिया गया है। माननीय सदस्य जो कुछ जानना चाहते हैं उसका मेरे मंत्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं है। श्री कामत या सम्बन्धित सदस्य को चाहिये कि वे गृह मंत्रालय से इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछें तथा आवश्यक जानकारी मांगें।

†अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहिले गृह मंत्रालय द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में सामान्य प्रश्न पूछा। तदन्तर उन्होंने उसे निर्माण आवास और संभरण मंत्रालय तक सीमित कर दिया और

---

†मूल अंग्रेजी में

पूछा कि क्या ऐसी भी भूमि है जो उन के मंत्रालय द्वारा अर्जित करने के लिये अधिसूचित की गयी हो तथा जिसे अर्जित न किया गया हो और जो इसी प्रकार पड़ी रह गयी हो ।

†श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं उसका उत्तर दे चुका हूं। मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि मुझे स्वयं बहुत शीघ्रता है । मैं नहीं जानता कि इस प्रकार का कोई मामला होगा । मैं भूमियों को तत्काल अर्जित करने तथा उन में मकान बनाने को बहुत उत्सुक हूं ।

कैंसर नाशक जड़ी

+

†*६३८. { श्री यशपाल सिंह :
श्री महेश्वर नायक :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमालय की एक जड़ी, पोडोफिलम, को कैंसर रोग के उपचार में प्रभावकारी पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो बड़े पैमाने पर उसे विकसित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) डाक्टरी परीक्षणों से यह सिद्ध हुआ है कि पोडोफिलम के सक्रिय सिद्धांतों पर आधारित एक पदार्थ कैंसर के कई किस्मों की चिकित्सा में लाभदायक है । यह दावा किया गया है कि पोडोफिलम का कैंसर पर साइटोस्टेटिक प्रभाव होता है । अर्थात् इस औषधि का भले ही उपचारात्मक प्रभाव नहीं होता तथापि शांतिदायक प्रभाव होता है ।

(ख) पोडोफिलम हिमालय के विस्तृत क्षेत्रों में जंगली तौर पर उगता है । बम्बई की एक फर्म हिमाचल प्रदेश, काश्मीर, कुल्लू तथा उत्तर प्रदेश में अनुसंधान फार्मों की स्थापना कर वैज्ञानिक आधार पर इस की खेती आरम्भ कर रही है । बम्बई में इस जड़ी के सक्रिय तत्वों को निकालने के लिये एक संयंत्र की स्थापना की गयी है जिस की क्षमता ५४ टन है । इस सम्बन्ध में काश्मीर को सरकार से १००० एकड़ भूमि प्राप्त करने के लिये बातचीत की जा रही है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस हर्ब के डेवेलपमेंट पर सरकार कुल कितना खर्च करने जा रही है ?

†डा० सुशीला नायर : सरकार कुछ खर्च नहीं कर रही है। सरकार तो जमीन अवेलेबल करेगी और जो फर्म है, सैन्डोज बम्बई की, वह इन फर्म्स को आर्गेनाइज कर रही है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि सरकार क्या तम्बाकू के खिलाफ कोई कानून बनाने जा रही है क्योंकि तम्बाकू नाम की जड़ी को मिटाये बगैर ऐसी ऐसी हजारों जड़ियां भी फायदा नहीं कर सकतीं ? कैंसर को मिटाने के लिये तम्बाकू का मिटाना बहुत जरूरी है ।

†श्री कपूर सिंह : यह एक दिलचस्प प्रश्न है, उन्हें इसका उत्तर देना चाहिये ।

डा० सुशीला नायर : तम्बाकू का और पोडोफिलम के असर का एक दूसरे के साथ कोई सम्बन्ध मुझे मालूम नहीं है । तम्बाकू के बारे में इस हाउस में सवाल हो चुके हैं, और अगर कुछ और जानकारी माननीय सदस्य हासिल करना चाहते हैं तो मैं उनको दे दूंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय: मेम्बर साहब कहते हैं कि यह पोडोफिलम और तम्बाकू दोनों आज कैंसर में मिल जाते हैं ।

श्री यशपाल सिंह: जब यह मान लिया गया कि तम्बाकू कैंसर का सब से बड़ा कारण है . . .

अध्यक्ष महोदय : आप का सजेशन आ गया ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि चूंकि जामनगर में आयुर्वेद पर इतना अनुसन्धान हो रहा है इसलिये वहां इस को भेजा गया कि इस की जांच की जाये ? इस पर वहां अनुसन्धान किया गया या नहीं ?

डा० सुशीला नायर: इस का अनुसंधान जामनगर में भी नहीं हुआ है और हमारे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी नहीं हुआ है । कुछ लोगों ने स्विटजरलैंड में इस के बारे में अनुस धान किया है । उसके बाद हिन्दुस्तान में इसके कल्टीवेशन के लिए तीन चार स्टेट्स में कोशिश की गयी । यह जड़ी हिमालय की चोटियों पर होती है । वहां से इस को इकट्ठा करके इसका एक्सट्रेक्ट बम्बई में निकाला जायेगा और वह एक्सट्रेक्ट फिर विदेशों में ले जाया जायेगा और वहां उस पर अनुसन्धान करेंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** ऐसी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली औषधि को सरकार अपने हाथों में क्यों नहीं ले लेती है और उसे क्यों गैर-सरकारी फर्म के हाथों में दिया जा रहा है ?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, यह तो तलाश करने की बात है । मालूम नहीं कि इस में से कुछ निकलेगा या नहीं निकलगा । जो कोई भी इन चीजों में रिसर्च करने को तैयार हो उस को हम प्रोत्साहन देते हैं । हमारे यहां भी कई चीजों का रिसर्च हो रहा है । इसका यह तो मतलब नहीं है कि हम किसी रोग पर रिसर्च करते हैं तो कोई और उसके बारे में रिसर्च न करे ।

†**श्री महेश्वर नायक:** क्या सरकार उक्त जड़ी के प्रभाव के सम्बन्ध में विश्वस्त है यदि नहीं तो फिर उसकी विस्तृत खेती की अनुमति क्यों दी गयी है ?

डा० सुशीला नायर : सरकार का उसके प्रभाव के बारे में आश्वस्त होने से कोई सम्बन्ध नहीं है । उक्त जड़ी के सम्ब ध में कुछ दावे किये गये हैं । उस के आधार पर कुछ एजेंसियां अपने व्यय पर उसकी खेती करने के लिये भूमि मांग रही हैं । वे इसे पैदा करके अग्रेतर अनुस धान करेंगे यदि वह उपादेय सिद्ध होगी तो बहुत ही अच्छा है, यदि उपादेय सिद्ध नहीं भी हुई तो भी हम इसके सत् के निर्यात इत्यादि से ५५ लाख रुपयों की विदेशी मुद्रा बचा लेंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** औचित्य प्रश्न पर मंत्री जी ने बताया था कि यह उपचारात्मक नहीं है शांतिदायक है अब वे कह रही हैं कि इस सम्ब ध में अनुसंधान किया जा रहा है ।

†**डा० सुशीला नायर :** मैंने यह कहा था कि इसका प्रभाव रोक-थाम करने वाला (साइको स्टेटिक) होता है । यदि यह ठीक सिद्ध हो जाये तो इसका प्रभाव शमनकारक होगा ।

†**श्री कृ० चं० पंत :** केन्द्रीय औषधि अनुसन्धान संस्था इस पर अनुसंधान क्यों नहीं कर रही है ?

डा० सुशीला नायर : उक्त संस्था स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन नहीं है । यह संस्था वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय के अधीन है । हम उन से पूछेंगे कि क्या वे इस सम्बन्ध में अनुसन्धान कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रजी में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: भारत सरकार दूसरे देशों से इस औषधि पर अनुसन्धान करने के लिए अनुरोध कर रही है । अभी आप ने बताया कि भारत वर्ष में अगर कोई इस पर अनुसन्धान करे तो उसे केन्द्रीय सरकार सहायता दे सकती है । मैं यह जानना चाहता था कि यदि यह औषधि इतनी अच्छी है, तो आप अपनी ओर से उसके अनुसन्धान की व्यवस्था क्यों नहीं करतीं ?

अध्यक्ष महोदय : इस का तो जवाब दे दिया है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि केंसर के कारण और चिकित्सा की नवीनतम सिद्धान्त सर्जरी और रेडियेशन (विकिरण) इत्यादि के विरुद्ध है, यदि हां, तो हमारे देश में केंसर अनुसंधान का क्या परिणाम निकला है ?

†**डा० सुशीला नायर :** यदि माननीय सदस्य केंसर के सम्बन्ध में प्रश्न पूछेंगे तो मैं उन्हें यह जानकारी दे दूंगी । यह प्रश्न पोडोफिलम के बारे में है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या सी० एस० आई० आर० या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला से सम्बन्धित एक वैज्ञानिक ने एक ऐसी औषधि की खोज की है जो केंसर के लिये अमोघ सिद्ध हुई है ? वह क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरे विचार से यह संगत नहीं है । अगला प्रश्न ।

केरल में समुद्र द्वारा भूमि का कटाव

†*६३९. **श्री पोट्टेकाट्ट :** (व)
श्री अ० के० राघवन :
श्री प० कुन्हन :
श्री कोया :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये अमेरिका से एक विशेषज्ञ को आमंत्रित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ के कब आने की सम्भावना है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) जी हां ।

(ख) विशेषज्ञों को यथासंभव शीघ्र बुलाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

†**श्री पोट्टेकाट्ट :** क्या इसी बीच समुद्री दीवारों और रोकने की दीवारों की परियोजनाओं का काम आगे बढ़ रहा है ?

†**डा० कु० ल० राव :** जी हां । जहां समुद्र से कटाव बहुत अधिक होता है वहां समुद्री दीवारें और लहरें रोकने की दीवारें बन रही हैं ।

†**श्री पोट्टेकाट्ट :** क्या समुद्र का कटाव रोकने के लिए राज्य सरकार की ६० लाख की मांग स्वीकृत हो गयी है और यदि नहीं तो क्यों ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० कु० ल० राव : जी हां । ४० लाख रु० दिये जाने के बावजूद उन्होंने ६० लाख रु० की सहायता की मांग की है । यह स्वीकृत हो चुका है तथा दिया जा रहा है ।

†श्री अ० क० गोपालन : यह विशेषज्ञ किन विशेष समस्याओं का अध्ययन करेगा ?

†डा० कु० ल० राव : समुद्री कटाव रोकने से सम्बन्धी निर्माण कार्य कई तरह के और विभिन्न तरीकों के होते हैं । अभी हाल एक आधुनिक 'टेकनीक' का विकास हुआ है जिसे भूमि का 'इन्जेक्शन' कहते हैं । अमेरिका में यह 'टेकनीक' काफी विकसित है । अतः हमने अमरीकी विशेषज्ञ को यहां आने और सलाह देने को कहा था ।

†श्री वासुदेवन नायर : क्या केरल राज्य में राष्ट्रीय राजपथ को कई जगह क्षति पहुंची है । यदि हां, तो क्या परिवहन मंत्रालय से हस्तक्षेप करने को कहा गया है तथा राज्य परियोजनाओं को सहायता देने को कहा गया है ?

†डा० कु० ल० राव : हम जानते हैं कि राष्ट्रीय राजपथ को हानि पहुंची है । राज्य सरकार जिस मंत्रालय से चाहे सहायता ले सकती है ।

†श्री नी० श्रीकान्तन नायर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केरल का तट लम्बा है और भूमि का कटाव प्रतिवर्ष होता है, क्या सरकार ऋणों के अलावा कुछ अंशदान भी देना चाहती है ?

†डा० कु० ल० राव : केरल के मुख्य मंत्री ने भी यही मांग रखी है लेकिन भारत सरकार उन की इस मांग से सहमत नहीं हो सकी है ।

†श्री मणिरंगाडन : क्या अनुसंधान केन्द्र पूना में चल रहे अनुसंधान कार्य को देखते हुए कुछ प्रभावशाली तरीके निकले हैं तथा क्या उन्हें लागू किया गया है ?

†डा० कु० ल० राव : पूना के अनुसंधान स्टेशन की सहायता से हम समुद्री दीवारों तथा कटाव रोकने की दीवारों के बारे में तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उन्हीं की सहायता से प्रभावित स्थानों को बचाया जा रहा है ।

दामोदर घाटी निगम

+

†*६४०. { श्री मुहम्मद इलियास :
श्रीमती विमला देवी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम के माइथान तथा पांचेट पहाड़ी बांधों का राज्य सरकार को हस्तान्तरण करने के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार की प्रार्थना पर क्या निर्णय लिया गया है ; और

(ख) दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय को कलकत्ता से माइथान ले जाने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच यह तय हुआ है कि राज्य सरकार इस वर्ष नवम्बर से दामोदर घाटी निगम सिंचाई

---

†मूल अंग्रजी में

प्रणाली दुर्गापुर बांध समेत अपने हाथों में ले लेगी। माईथान और पंचेट के बांध राज्य सरकार को नहीं दिये जायेंगे, बांध तथा बांध से नीचे पानी पर राज्य सरकार का नियंत्रण रहेगा।

(ख) दामोदर घाटी निगम के कार्य प्रवर्तन और संधारण विभाग माईथान को चला गया। स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण हो रहा है। यह कार्य अक्तूबर, १९६३ तक समाप्त हो जायेगा। निगम के मुख्य कार्यालय अभी भी कलकत्ता में ही हैं।

†श्री मुहम्मद इलियास: निगम के मुख्य कार्यालय को कलकत्ता से माईथान भेजने के क्या कारण हैं? सरकार द्वारा इस कार्य के लिये कितना व्यय किया जायेगा?

†डा० कु० ल० राव: निगम का मुख्य कार्यालय अभी भी कलकत्ता में ही है। यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य इस बात से है कि क्या कोई अधिक उपयुक्त स्थान भी हो सकता है तो इस बात पर विचार किया जा रहा है, कि क्या माइथान अच्छा हेडक्वार्टर सिद्ध हो सकता है तथापि अभी इस बातका निश्चय नहीं हुआ है।

†श्री मुहम्मद इलियास: क्या केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के बीच, दामोदर घाटी निगम के मुख्य कार्यालय के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में बातचीत समाप्त हो गई है तथा क्या राज्य सरकार ने मख्य कार्यालय के स्थानान्तरण की सहमति दे दी है?

†डा० कु० ल० राव: इस बात पर अभी विचार किया जा रहा है।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त: प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मैं यह समझूं कि माननीय मंत्री के उत्तर का तात्पर्य यह है कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की यह बात कि नहर प्रणाली की व्यवस्था पर बिना माइथान और पंचेट बांध पर नियंत्रण किये बिना नहीं हो सकती है अस्वीकार कर दी गई है। यदि हां तो इस के क्या कारण हैं? तथा सरकार क्या द्वैध नियंत्रण के पक्ष में है कि एक तो बांधों का नियंत्रण करे और दूसरा नहरों का?

†डा० कु० ल० राव: बांध का नियंत्रण केन्द्रीय सरकार करेगी। सिचाई के लिये आवश्यक पानी का विनियमन तथा बांध नियंत्रण सम्बन्धी निर्माण कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जायेंगे।

†श्री भागवत झा आजाद: क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निगम को कलकत्ता में मुख्य कार्यालय के लिये बहुत किराया देना होता है बिहार सरकार के अनुरोध के बावजूद भी ऐसी क्या कठिनाई है जिस के कारण माईथान में स्थान उपलब्ध होने पर भी मुख्यालय का स्थानान्तरण नहीं किया जा रहा है?

†डा० कु० ल० राव: सभी तथ्य सरकार को विदित हैं। मुख्यालय के स्थानान्तरण पर विचार किया जा रहा है।

†श्री म० मो० बनर्जी: क्या यह सच है कि निगम के मुख्य कायालय कलकत्ता म काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने यह मांग रखी है कि मुख्यकार्यालय का माईथान में स्थानान्तरण होने पर उनके कलकत्ता में उन को मिलने वाले वेतन और भत्ते उसी प्रकार बने रहें?

†डा० कु० ल० राव: केन्द्र को कोई एसा अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

†श्री म० मो० बनर्जी: क्या सरकार ने कर्मचारियों के वतन तथा भत्तों को सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अभी कहा कि कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

†श्री द्वा० ना० तिवारी : इस मामले में अन्तिम निर्णय करने में अभी और कितना समय लगेगा ?

†डा० कु० ला० राव : नहर प्रणाली तथा बांध के हस्तांतरण की बात १९५६ से चल रही है । हम आशा करते हैं कि वे इस वर्ष १ नवम्बर तक हस्तांतरण कर दिये जायेंगे ।

†श्री द्वा० ना० तिवारी : मैं ने यह पूछा था कि मुख्य कार्यालय के स्थानांतरण का निश्चय कब तक कर लिया जायेगा ?

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बिजली लग जाने से मृत्यु

†*६४१. श्री स० मो० बनर्जी : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २२ अगस्त, १९६३ को किदवई नगर में रहने वाला केन्द्रीय सरकार का चौथी श्रेणी का एक कर्मचारी गुसलखाने में हाथ धोते समय नल में बिजली का करेंट आ जाने से उसकी लपेट में आ गया और मर गया ;

(ख) यदि हां, तो इस लापरवाही की जिम्मेदारी किस पर है ; और

(ग) इस मामले में सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है और शोकग्रस्त परिवार को क्या सहायता देने का विचार है ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग). कहा जाता है कि २२ अगस्त, १९६३ को शाम को सात बज कर १५ मिनट पर राज्य सभा के चपरासी श्री संग्राम सिंह राणा को, जो क्वार्टर नं० ई० ३३२, किदवई नगर के निवासी थे, नल के नीचे नहाते समय बिजली का धक्का लगा । कुछ ही मिनटों में उनका देहान्त हो गया और साढ़े सात बजे उन्हें किदवई नगर की डिस्पेन्सरी में ले जाया गया । पुलिस ने, जो घटनास्थल पर आ गई थी; केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विद्युत् विभाग-५ के अधिशासी अभियन्ता को, नई दिल्ली नगरपालिका के अधिशासी अभियन्ता को और दिल्ली प्रशासन के विद्युत् निरीक्षक को इस घटना से सूचित कर दिया । यह काम ९.४५ पर किया गया । तीनों लगभग ११.३० पर घटनास्थल पर पहुंच गये । विद्युत् निरीक्षक ने खोज की किन्तु उन्हें कहीं भी "लीकेज" दिखाई नहीं दिया, न तो नल में ही और न ही क्वार्टर के बिजली के तारों आदि में ही । विद्युत् निरीक्षक द्वारा सूक्ष्म जांच किये जाने के पूर्व केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने बिजली तारों को नहीं छुआ । यह निरीक्षण विद्युत् निरीक्षक ने २४ अगस्त, १९६३ को नई दिल्ली नगरपालिका समिति के कर्मचारियों की सहायता से किया । विद्युत् निरीक्षक का कार्य समाप्त हो जाने पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने २६ अगस्त, १९६३

---

†मूल अंग्रजी में

को बिजली के तारों की अच्छी तरह जांच की । तारों में कोई भी खराबी नहीं थी । २३ अगस्त, १९६३ से उस क्वार्टर के निवासी उस नल का प्रयोग कर रहे हैं जिससे, कहा जाता है कि, मृतक को बिजली का धक्का लगा था ।

विद्युत् निरीक्षक का प्रतिवेदन आ गया है उनका निष्कर्ष यह है कि क्वार्टर नं० ३३२ के और साथ वाले क्वार्टरों के बिजली के तारों आदि में कोई खराबी नहीं थी । शव परीक्षा प्रतिवेदन भी आ गया है उसमें कहा गया है कि शव पर बिजली से जलने के कुछ भी प्रमाण नहीं हैं शव परीक्षा से मृत्यु का निश्चित कारण ज्ञात नहीं हो सका । रसायन परीक्षक के बाद पास भी निर्देश किया गया था, उसके प्रतिवदन की प्रतीक्षा की जा रही है । उसके प्राप्त हो जान के बाद मृत्यु के कारण के विषय में अन्तिम निर्णय पर पहुंचा जा सकेगा ।

कांस्टीट्यूशन हाउस

†*६४२. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री ७ मई, १९६३ के अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कान्स्टीट्यूशन हाउस को गिराने का निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसको गिराने का काम कब शुरू होगा ;

(ग) क्या पूरे कांस्टीट्यूशन हाउस को गिराने का विचार है अथवा उसके थोड़े भाग को ; और

(घ) क्या सरकार का विचार आपात के दौरान बरबादी को रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आपात की घोषणा को रद्द किये जाने के बाद तक के लिये कांस्टीट्यूशन हाउस को गिराना स्थगित कर देने का है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: (क) से (ग) यह निश्चय किया गया है । कि "कास्टीट्यूशन हाउस' नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र की सारी इमारतों को गिरा दिया जायेगा । यह कार्य अक्टूबर, १९६३ के आरम्भ से प्रारम्भ होना निश्चित हुआ है ।

(घ) नहीं । कांस्टीट्यूशन हाउस की आस्थायी इमारतों को २० वर्ष पहले बनाया गया था और उनके संधारण पर काफी रुपया खर्च किया जाता है । उनको बनाये रखना अलाभप्रद होने के साथ कुछ सीमा तक खतरनाक भी है । भूमि का मूल्य अधिक होने और आवास की अधिक आवश्यकता होने के कारण उस क्षेत्र को घने रूप से विकसति करना आवश्यक हो गया है । अतः प्रस्ताव यह है कि यथाशीघ्र इस स्थान पर एक बहुमंजिला होस्टल बना दिया जाये ।

तुंगभद्रा परियोजना

†*६४३. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मैसूर राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा है कि तुंगभद्रा परियोजना के जलाशयों से पानी, सिंचाई और पीने के लिये नगरों तथा निकट के गांवों के सूखे तालाबों आदि में निकाल दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो कितनी योजनायें स्वीकार की गई हैं जिस से जलाशय के निकट धान तथा गन्ने की फसल को सूखने से बचाने के लिये पानी निकाला जा सके ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) समझौते के अनुसार ऊंचाई पर स्थित सीमावर्ती गावों की 'उठाऊ सिंचाई' योजनाओं के लिये कितना पानी देने की अनुमति है ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

अमरीका से ऋण

*६४४. श्री यशपाल सिंह :
श्री सुब्रोव हंसदा :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २१ मई, १९६३ को अमरीका सरकार ने भारत को तीन ऋण देने की घोषणा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) और (ख). भारत-स्थित अमरीकी राजदूत ने २१ मई, १९६३ को घोषणा की कि अमरीकी अधिकारी नीचे लिखे तीन ऋण दे रहे हैं :—

(१) रामगुण्डम् के तापीय बिजली घर (थर्मल पावर स्टेशन) पर रुपये के रूप में खर्च करने के लिये पी० एल० ४८० प्रतिरूप निधि (काउण्टर पार्ट फण्ड) से ३.७ करोड़ रुपये का रुपया-ऋण;

(२) झरिया के कोयला क्षेत्रों की रज्जु-मार्ग-प्रायोजना (रोपवे प्रोजेक्ट) के विदेशी मुद्रा व्यय के लिये ७७ लाख डालर का डालर-ऋण ;

(३) दुगड़ा के कोयला साफ करने के कारखाने के दूसरे दौर के विदेशी मुद्रा व्यय के लिये ५१ लाख डालर का डालर-ऋण ।

ऋण-सम्बन्धी करारों पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं पर अनुमान है कि शर्तें नीचे लिखे अनुसार होंगी :—

(क) रामगुण्डम के लिए रुपया-ऋण

यह-ऋण ४० वर्षों में चुकाया जायेगा जिसमें ४ वर्ष की वह अवधि भी शामिल है जिसमें कोई अदायगी नहीं की जायेगी । इस ऋण पर ४ प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जायेगा ।

(ख) अनुमान है कि डालर ऋण भी ४० वर्षों में चुकाये जायेंगे । इस अवधि में १० वर्ष का वह समय भी शामिल है जिसमें कोई अदायगी नहीं करनी पड़ेगी । इन ऋणों पर ब्याज नहीं लिया जायेगा पर हर साल ३/४ प्रतिशत की दर से ऋण-शुल्क लगेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. प्रायोजनाओं के अनुसार इन ऋणों की मुख्य बातें नीचे दी गयी हैं :—

रामगुण्डम् बिजली घर की वर्तमान स्थापित क्षमता (इन्सटाल्ड कैपेसिटी) ३७.५ मेगावाट है। ८४ लाख डालर के डालर-ऋण और ३.७ करोड़ रुपये के रुपया-ऋण से बिजली घर में ६०/६२.५ मेगावाट का टर्बो-जनरेटर और उस के साथ एक सहायक बायलर लगाकर तथा दूसरी सुविधाओं की व्यवस्था करके उस का विस्तार किया जायेगा। इससे तेलंगाना क्षेत्र में उद्योगों का और भी विस्तार हो सकेगा ।

झरिया की कोयला खानों में रज्जुमार्ग (रोपवे) प्रायोजना से कुल २५ मील की दूरी में हर साल ३० लाख टन रेत ढोया जायेगा। कोयला खानों में यह रेत खाली जगहों में भरी जायेगी ताकि वह खम्भों का काम दे सके। इस प्रायोजना से हर साल लगभग १५ लाख टन ज्यादा कोयला प्राप्त हो सकेगा ।

दुगड़ा के कोयला साफ करने के कारखाने में पहले दौर में, हर साल २४ लाख टन कोयला साफ किया जा रहा है और २१ मई १९६३ को जिस डालर-ऋण की घोषणा की गई है उससे कारखाने के दूसरे दौर का काम पूरा किया जायेगा। अनुमान है कि दूसरे दौर में कारखाने की क्षमता ४८ लाख टन यानी दुगुनी हो जायेगी। इस कोयले में ३३ प्रतिशत से ज्यादा राख पैदा करने वाली स्लेट होती है। इस्पात मिलों को ऐसा कोयला चाहिये जिसमें १७ प्रतिशत से ज्यादा राख न हो। कोयले को कूटने और साफ करने की प्रक्रिया के द्वारा कोयला साफ करने का यह कारखाना इस्पात मिलों को ऐसा ईंधन मुहैया करता है जो उन्हें मंजूर होता है ।

दिल्ली में चेचक

†*६४५. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दे० द० पुरी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चेचक के रोगियों की संख्या बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के पहले छः महीनों के आंकड़े गत वर्ष के इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में कितने हैं ; और

(ग) मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). सभा पटल पर रखे गये विवरण को देखने से पता चलता है कि दिल्ली में १९६३ की पहली छमाही में पिछले वर्ष की अपेक्षा चेचक के प्रकोप की घटनायें अधिक हुईं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

महीना	चेचक से पीड़ित रोगियों की संख्या	
	१९६२	१९६३
१ जनवरी . . .	१०	७४
२ फरवरी . . .	१६	६६
३ मार्च . .	१५	८१
४ अप्रैल	१६	८६
५ मई . .	५३	८४
६ जून . .	३४	७६
कुल योग .	१४४	४६७

(ग) इस सम्बन्ध में निम्नलिखित पग उठाये जा रहे हैं :

दिल्ली के समस्त क्षेत्रों में चेचक का सामूहिक टीका लगा दिया गया है। मार्च १९६३ में कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिये स्थापित की गई स्वतन्त्र निर्धारण और मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के अनुसार नियमित रूप से घर-घर जाकर अभियान को चलाने के लिये कुछ नई कार्यवाहियां की गई हैं। दिल्ली की अस्थिर जन संख्या के हितार्थ दिल्ली नगरनिगम टीका लगाने वालों के विशेष चलते फिरते दस्ते (मोबाइल स्क्वैड) की नियुक्ति कर रही है ।

दण्डकारण्य परियोजना प्रतिवेदन

†*६४६. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री महेश्वर नायक :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के मुख्य प्रशासक द्वारा सरकार को हाल में ही प्रस्तुत दण्डकारण्य परियोजना सम्बन्धी पुनरीक्षित प्रतिवेदन के अध्ययन के आधार पर दण्डकारण्य के भावी विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में सरकार ने निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). लगभग चार महीने पहले परियोजना प्रतिवेदन मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सरकार को निर्दिष्ट किया गया था। अभी तक टिप्पणी हमें प्राप्त नहीं हुई है। उस के प्राप्त होने के पश्चात् दण्डकारण्य विकास प्राधिकार द्वारा इस विषय की जांच की जायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

जल संसाधनों का सर्वेक्षण

†*६४७. { श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दीनेश भट्टाचार्य :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जल संसाधनों का अखिल भारत सर्वेक्षण करने के लिए उच्चाधिकार निकाय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस निकाय के कब तक स्थापित होने की संभावना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) योजना आयोग की प्राविधिक समिति ने जल के गंदा होने और घरेलू कार्य के लिये जल के संभरण की समस्याओं के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय से प्रार्थना की है ।

(ख) अभी कोई कार्य आरम्भ नहीं किया गया क्योंकि अपेक्षित कर्मचारियों के सम्बन्ध में अभी योजना आयोग की सहमति प्राप्त नहीं हुई है ।

तापीय विद्युत् जनन

†*६४८. { श्री मुहम्मद इलियास :
श्रीमती विमला देवी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार तापीय विद्युत् जनन के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार समस्त भारत में राज्य विद्युत संभरण उपक्रमों के प्रबन्ध के लिए योग्य अनुभवी प्रविधिक कर्मचारियों का एक अलग 'पूल' बनाने का है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव)**: (क) और (ख) विद्युत् के विकास के लिये प्रादेशिक व्यवस्थाओं की स्थापना करने के विषय में सरकार सक्रिय विचार कर रही है । अभी तक इन संस्थाओं को सौंपे जाने वाले कृत्यों और कर्तव्यों के सम्बन्ध में कोई निश्चय नहीं लिया गया है । यह सुझाव भी दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार इन बृहत् विद्युत् केन्द्रों के, जिन में तापीय योजनायें भी हैं, निर्माण के और इन्हें चलाने के कार्य को अपने हाथ में ले लें । इस पर प्रादेशिक व्यवस्थाओं के कृत्यों के विषय में निर्णय लिये जाने के बाद विचार किया जायेगा ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

---

†पूल अंग्रेजी में

लिंक रोड पर होस्टल

†*६४६. { श्री हरि विष्णु कामत :
श्री डी० चं० शर्मा :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही लिंक रोड पर एक नया होस्टल बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह किन लोगों के लिए होगा, इस में कितने लोग रह सकेंगे और प्रत्येक कमरे की लम्बाई चौड़ाई क्या होगी;

(ग) प्रति कमरा कितना किराया लेने का विचार है; और

(घ) होस्टल कब चालू हो जायेगा ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) हां ।

(ख) यह होस्टल जिस में २८० कमरे हैं, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था करने के लिये बनाया गया है ।

रहने के कमरों की परिधि नीचे की मंजिल पर १४′-६ × ८′-३″ और आखिरी मंजिल पर १४′-१०१/२″′ × ′६′-०″ है । सब मंजिलों पर संलग्न स्नानागार ६′ × ७′ की परिधि के हैं ।

(ग) सरकारी कर्मचारियों से १०५·२७ रुपये प्रति माह किराया लिया जायेगा, इस में फर्निचर, सेवायें और जल संभरण भी सम्मिलित हैं ।

(घ) इस होस्टल में लगभग १ महीने के अन्दर लोग रहने लग जायेंगे ।

थैकरसे संस्थाओं द्वारा कर अपवंचन

†*६५०. { श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या वित्त मंत्री ४ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ७०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो सार्थों, जिन में थैकरसे परिवार के सदस्य भागीदार थे, के सम्बन्ध में कर अपवंचन के तीसरे आरोप की जांच इस बीच पूरी हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) नहीं, श्रीमान् । जांच अभी की जा रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

†*३५१. श्री ग० चं० बहरा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के हितग्राहियों को नई दिल्ली के विलिंडन तथा सफदरजंग अस्पतालों के कान, नाक, गला विभाग में आपरेशन कराने के लिए रोगियों को कभी कभी एक वर्ष से भी अधिक अवधि तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) तीन महीने, छः महीने तथा एक वर्ष से अधिक समय से कितने कितने रोगी आपरेशन की प्रतीक्षा में हैं; और

(घ) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १७०८/ ६३]

दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र में सड़कें

†१८१८. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़कों के निर्माण और उन के विकास के लिये दण्डकारण्य परियोजना प्राधिकार को कुछ राशि दी गई है; और

(ख) १९६३-६४ में कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) हां ।

(ख) १९६३–६४ में परियोजना क्षेत्र में सड़कों के निर्माण और विकास के लिये ३२·९१ लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है ।

दण्डकारण्य में नये ग्राम

†१८१९. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक दण्डकारण्य परियोजना में कितने नये गांव बसाये जा चुके हैं; और

(ख) चालू वर्ष में कितने नये गांव बनाये जायेंगे ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) ११९ गांव ।

(ख) अगले कार्य-काल में अर्थात् नवम्बर, १९६३ से जून, १९६४ तक के काल में ४० नये गांव बनाने का विचार है ।

---

†भू० अंग्रेजी में

उड़ीसा में गृह निर्माण संबंधी अग्रिम धन

†१८२०. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अब तक उड़ीसा के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से मकान बनाने के लिये पेशगी धन के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) सरकार द्वारा इन में से कितने आवेदनों को मंजूर कर दिया गया है; और

(ग) इसी अवधि में उड़ीसा के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये कुल कितना ऋण मंजूर किया गया ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) १०४ ।

(ख) ६४ ।

(ग) कुल ५·३१ लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया है ।

उड़ीसा में ग्राम आवास योजना

†१८२१. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) गत तीन वर्षों में उड़ीसा में ग्राम आवास योजना के अन्तर्गत कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) १९६३–६४ में उस राज्य के लिये इस योजना के अधीन कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) मार्च, १९६३ तक हुई प्रगति का ब्यौरा इस प्रकार है :

(१) गांवों की संख्या	
(एक) चुने गये . .	२४४
(दो) जिन में योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है .	२४४
(तीन) जिन के सम्बन्ध में नक्शे तैयार किये जा चुके हैं .	११२
(२) सहायता की ऋण-राशि	
(एक) मंजूर की गई .	४१·५५ लाख रुपये
(दो) बांट दी गई . .	२८·४० लाख रुपये
(३) मकानों की संख्या	
(एक) मंजूर किये गये	३४१७
(दो) तैयार	११८२

(ख) ५·९० लाख रुपये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दण्डकारण्य में इंजीनियरिंग उपक्रम

†१८२२. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री दिनांक १६ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सुयोग्य इंजीनियरिंग कर्मचारी नियुक्त कर के दण्डकारण्य परियोजना के वृहत् इंजीनियरिंग उपक्रमों को निष्पादित करने के सम्बन्ध में जिस पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही थी, अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** ३० जून, १९६३ को समाप्त होने वाली अवधि के, दिनांक ४ सितम्बर, १९६३ के प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसे हाल ही में सभा के सदस्यों के लिए परिचालित किया है। इस प्रतिवेदन में प्रमुख इंजीनियरिंग कार्यों के सम्बन्ध में की गई प्रगति का निर्देश किया गया है। विभिन्न पदक्रमों के अपेक्षित इंजीनियरों को प्रत्यायोजित नियुक्त कर दिया गया है और अब दण्डकारण्य परियोजना में इंजीनियरिंग कर्मचारियों की कमी नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण

†१८२३. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने "चिकित्सा, शिक्षा, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण" के सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश की सरकार के लिए अनुदान की कोई राशि मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) और (ख) राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता की राशि का भुगतान करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वर्ष भर में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले एकमुश्त अर्थोपाय के रूप में प्रतिमाह के आधार पर नौ मासिक किश्तों में राशि दी जा रही है। अर्थोपाय सम्बन्धी अग्रिम राशियों का समायोजन करने सम्बन्धी अन्तिम भुगतान करने की मंजूरी चालू वित्तीय वर्ष के अन्तिम भाग में ही दी जा सकेगी। राज्य के योजना कार्यक्रमों और केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों में सम्मिलित निम्नलिखित चिकित्सा शिक्षा अनुसन्धान और प्रशिक्षण सम्बन्धी योजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सहायता दी जायेगी :

राज्य की योजनाएं

(१) रिप्रेक्शनिस्ट और नेत्र चिकित्सकों का प्रशिक्षण

(२) दांतों का कालेज

(३) नर्सिंग और लोक स्वास्थ्य के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

(४) चिकित्सा कालेज

(५) प्रयोगशाला सहायकों का प्रशिक्षण

(६) सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण

(७) रेडियोग्राफर का प्रशिक्षण

(८) स्वदेशी चिकित्सा पद्धति की अध्यापन संस्थाओं का स्तर ऊंचा करना।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्र की योजनाएं :—

(१) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा

(२) अवर-स्नातक चिकित्सा शिक्षा (आपातकालीन कार्यक्रम)

(३) स्वदेशी चिकित्सा पद्धति—गवेषणा और स्नातकोत्तर शिक्षा ।

राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता जिन रूपों में दी जायेगी वे संलग्न विवरण में दिये गये हैं । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १७०९/६३]

उत्तर प्रदेश में सिंचाई और विद्युत योजनायें

१८२५. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में बनाई गई सरकारी योजनाओं द्वारा कितने प्रतिशत भूमि में सिंचाई होती है ;

(ख) यह प्रतिशत उत्तर प्रदेश की कुल सिंचित भूमि का कौन-सा भाग है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश में तीसरी पंचवर्षीय योजना में बिजली और सिंचाई की कौन-कौन सी मुख्य योजनायें तैयार की जा रही हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी ।

नैशनल प्रोजेक्टस कारपोरेशन लिमिटेड

१८२६. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा १९५७ से अब तक उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से कार्य किये गये हैं और इस समय किन-किन परियोजनाओं का कार्य उस के हाथ में सौंपा गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) : राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम ने अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई भी निर्माण कार्य हाथ में नहीं लिया है ।

प्रवर्गीकरण (विषमता निवारण) समिति[1]

†१८२७. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वर्क चार्ज्ड स्टाफ का अदक्ष- अर्ध-दक्ष , अदक्ष और अत्यधिक दक्ष श्रेणियों में वर्गीकरण करने के लिए स्थापित की गई प्रवर्गीकरण (विषमता निवारण) समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस की सिफारिशों को कार्यरूप दे दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस का क्या कारण है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Categorisation (Removal of Anomalies) Committee.

(ख) और (ग) सरकार ने समिति के अधिकांश प्रतिवेदनों को स्वीकार कर लिया है। दो के अतिरिक्त शेष सब के सम्बन्ध में औपचारिक आदेश जारी कर दिये गये हैं। शेष दो सिफारिशों पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

राजस्थान में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

†१८२८. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री राम चन्द्र उलाका :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२-६३ में राजस्थान में गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री नेहर चन्द खन्ना) :** ६.०० लाख रुपये—४.५० लाख केन्द्रीय सहायता से और १.५० लाख राजस्थान सरकार से।

राजस्थान में सिंचाई और विद्युत योजनाएं

†१८२९. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान सरकार की सिंचाई और विद्युत योजनाओं की जिन की मनजूरी इस समय राजस्थाना सरकार के पास लम्बित है क्या संख्या है और धन के व्यय और प्रत्याशित लाभों के बारे में क्या ब्योरा है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ला० राव) :**

सिंचाई योजनाएं

राजस्थान की तीसरी योजना में शामिल कोई सिंचाई योजना केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिए लम्बित नहीं है।

विद्युत योजनाएं :

तीन विद्युत्-योजनाओं की मनजूरी दी जानी है ? इन योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १७१०/६३**]

राजस्थान में सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं

†१८३०. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में १९६२-६३ में कौन सी प्रमुख और मध्यम सिंचाई और विद्युत्-परियोजनाएं आरम्भ की गई और कौन सी १९६३-६४ में आरम्भ करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या उसी कालावधि में काम आरम्भ करने के लिए आवश्यक मनजूरियां दी गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित प्रमुख और मध्यम सिंचाई और विद्युत्-योजनाएं अब तक मनजूर की गई हैं :—

(१) भाखड़ा की दाएं किनारे पर विद्युत् स्टेशन (४ ऐम्स ७० ऐम डब्ल्यू/१२० ऐम डब्ल्यू) (पंजाब और राजस्थान की संयुक्त योजना)

(२) ब्यास ऐच० ई० योजना :—

यूनिट १·६३० ऐम डब्ल्यू

यूनिट २·२७० ऐम डब्ल्यू

(राजस्थान और पंजाब की संयुक्त योजना)

(३) गांधी सागर बांध विद्युत्-स्टेशन पर पांचवां यूनिट (२३ ऐम डब्ल्यू) (मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त योजना)

(४) कोटाह बांध परियोजना (१०० ऐम डब्ल्यू) (मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त योजना)

(५) सतपुड़ा थरमल पावर स्टेशन (राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त योजना) (३१२.५ ऐम डब्ल्यू जिस में राजस्थान का हिस्सा १६५ ऐम डब्ल्यू है)

(६) डीज़ल पावर स्टेशन (१० ऐम डब्ल्यू)

(७) पारेषण और वितरण योजनाएं

(८) ग्रामीण विद्युतीकरण

सिंचाई योजनाएं :

(१) लेसारिया परियोजना

नाग पट्टिनम संयंत्र

†१८३१. **श्री थेवरगौंडर** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागपट्टिनम (मद्रास राज्य) में कोयला से बिजली पैदा करने के लिए संयंत्र के प्रस्तावित निर्माण की क्या स्थिति है ;

(ख) संयंत्र का वास्तविक निर्माण कब शुरु किया जाएगा ; और

(ग) इस संयंत्र के लिए क्या वित्तीय आवंटन किया गया ?

†सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) राज्य की तीसरी योजना में ऐसी कोई योजना शामिल नहीं की गई है । न हीं राज्य सरकार से केन्द्रीय सरकार के पास इस संबंध में कोई प्रस्ताव आया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

नये पैसे के सिक्के

†१८३२. **श्री यशपाल सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षित बैंक एक व्यक्ति को एक नये पैसे के सिक्के एक रुपये से अधिक और दो नए पैसे के सिक्के दो रुपये से अधिक नहीं देता ;

(ख) इस कमी को काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) प्रस्तावित तीन नये पैसे के सिक्कों को कब परिचालित करने का इरादा है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) नई दिल्ली और नागपुर कार्यालयों के अतिरिक्त भारत के रक्षित बैंक के किसी भी कार्यालय में १ नये पैसे और २ नये पैसे के सिक्के देने पर व्यवहारिक तौर पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था ;

(ख) नई देहली और नागपुर में भारत के रक्षित बैंक के कार्यालयों के स्टाक को बढ़ा दिया है और भारत के रक्षित बैंक बम्बई ने स्टाक स्थिति के अनुसार यथासम्भव सीमा तक प्रतिबन्धों को हटाने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं ।

(ग) यह नहीं बताया जा सकता कि किस ठीक समय तक ३ नए पैसे के सिक्के परिचालित किए जायेंगे क्योंकि यह मामला बिचाराधीन है ।

विद्युत जनन

†१८३३. **श्री यशपाल सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय निर्माणकर्ता संगठन ने सुझाव दिया है कि विद्युत जनन एक केन्द्रीय विषय बना दिया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार की प्रतिक्रिया पूछी गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) जी हां ।

(ख) चूंकि सरकार इस विषय पर विचार कर रही है, इसलिए अभी तक राज्य सरकारों की प्रतिक्रया नहीं पूछी गई है ?

पश्चिम बंगाल में नगरपालिकाओं का सुधार

†१८३४. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी बंगाल की सरकार को नगरपालिकाओं के सुधार के लिए कुछ धन सहायता या ऋण के रूप में दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धन राशि दी गई अथवा मंजूरी की गई ;

(ग) इस धन राशि से किस किस नगरपालिका में सुधार किया जाएगा ; और

(घ) प्रस्तावित सुधार की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संसदीय कार्य के लिए छापा खाना

१८३५. श्री भक्त दर्शन :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री २५ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १०२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसदीय कार्यो के लिए जिस छापेखाने को स्थापित करने का प्रस्ताव है, क्या उस के बारे में इस बीच वित्त मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस छापेखाने के कब तक स्थापित कर दिये जाने की आशा है ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :(क) हां ।

(ख) निर्माण कार्य लगभग चार महीने बाद शुरू होने की संभावना है ।

इस्पात की प्लेटों के लिए इंगलैंड से अनुदान

†१८३६. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री हेडा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन से ३५० लाख पौंड का ऋण वहां से इस्पात की प्लेटें और छडें खरीदने के लिए है ;

(ख) क्या भारत ने सामान्य प्रयोजनों के हेतु सहायता में वद्धि के लिए अनुरोध किया है ताकि उसे जैसे चाहे खर्च कर सके; और

(ग) यदि हां, तो ब्रिटेन भारत की प्रार्थना स्वीकार करने के लिए कहां तक तैयार है ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) इग्लैंड का ३५० लाख पौंड का ऋण वहां से इस्पात की प्लेटें और छडें खरीदने के लिए है ।

(ख) और (ग) भारत इस बात को मनवाने के लिए अनुरोध करता रहा है कि सामान्यत: तथा जिस सीमा तक ऋण देने वाले देश की परिस्थितियां अनुमति दें सहायता इस प्रकार के निश्चित प्रतिबन्ध के बिना होनी चाहिये कि उस का व्यय किसी विशेष परियोजना पर किया जाए या उसी देश में किया जाए। इंग्लैंड ने हाल ही में सहायता करने वाले राष्ट्रों के सम्मेलन में ३ करोड़ पौंड की सहायता का उल्लेख किया था उस में से ७५ प्रतिशत किसी विशेष परियोजना से संबंधित नहीं है ।

मार्क वूल्फ का मामला

†१८३७. श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान मार्क वूल्फ़ के मामले की ओर दिलाया गया है जो लंदन में इस अपराध के लिए दंडित किया गया है कि वह कलकता और बम्बई में चोरी छिपे सोना लाया करता था ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) क्या वूल्फ़ ने न्यायालय में स्वीकार किया है कि वह अप्रैल और जून १९६२ के बीच बम्बई और कलकता में ग्यारह हजार पौंड की सोने की छडें चोरी छिपे ले गया था ; और

(ग) क्या यह पता लगा है कि ये छड़ें कहां गई ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) से (ग) भारत सरकार को पता है कि लंदन में एक मार्क बूल्फ़ पकड़ा गया था जो बिना लाइसेंस के इग्लैंड से सोना निर्यात करने का प्रयत्न कर रहा था और भूतकाल में उस ने अवैध रूप से सोने का निर्यात किया था। मामले का ब्योरा एकत्र किया जा रहा है और उत्तर मिलने पर सभा पटल पर रखा जाएगा ?

सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान

†१८३८. श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ के दौरान दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने नये मकान बनाने का विचार है ; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में कितने नये मकान बनाये जा चुके हैं ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) तथा (ख) १६ मकान और अविवाहित कर्मचारियों के लिए २८० सूटों का एक होस्टल बनाया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में ४२५० और मकान बनाये जाने की आशा है।

दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र

†१८३९. श्री गो० महन्ती : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र में सिंचाई की सुविधायें देने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ;

(ख) इस से कितने एकड़ भूमि में सिंचाई की जाएगी ; और

(ग) पुनः बसाये गये कितने परिवार इन सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग) ३० जून, १९६३ को समस्त अवधि के लिए दिनांक ४ सितम्बर, १९६३ के प्रगति प्रतिवेदन की ओर ध्यान दिलाया जाता है जो हाल ही में सभा सदस्यों में परिचालित किया गया था।

राम गंगा परियोजना

१८४०. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामगंगा परियोजना (कालागढ़) में अब तक और कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना में इतने ढिलाई से काम चलने के क्या कारण हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इस योजना को पूरा करने के संबंध में भी कुछ निर्णय किया गया है, यदि हां, तो वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) आज तक जो प्रगति हुई है निम्नलिखित है :—

(१) परियोजना की प्रथम क्रमावस्था के लिए गृह निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है ।

(२) स्थायी सड़कों में से लगभग ५० प्रतिशत पूर्ण कर दी गई हैं ।

(३) मिट्टी बांध के लिए आवश्यक बारो सामग्री की भूमि परीक्षा और उसके अभिरूप का सविस्तार सर्वेक्षण पूरा कर दिया गया है ।

(४) डाईवर्शन सुरंग के दुर्ग द्वारों पर निर्माण कार्य मज़दूरों द्वारा कराया जा रहा है ।

(५) सिंचाई नालियों को बनाने और नवरूप देने के लिए मिट्टी कार्य प्रगति पथ पर है ।

(६) कई प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए विस्तृत डिज़ाईन का काम भी प्रगति कर रहा है ।

(ख) तथा (ग). मिट्टी चालन तथा अन्य निर्माण साज सामान की आयात की जा रही है और आशा है कि वह १९६४ के आरम्भ में पहुंच जाएगा । इस से पहले विदेशी मुद्रा की प्राप्ति नहीं हो सकती । जब इस साज सामान का प्रचालन किया जाएगा तो निर्माण कार्य की प्रगति में उत्कृष्टता आ जाएगी । आशा है कि यह परियोजना १९७२ तक पूरी हो जाएगी ।

वेतन आयोग की सिफारिशें

†१८४१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेतन आयोग की कुछ सिफारिशें अभी तक लागू नहीं की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं और इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें लागू करने के लिए क्या कदम उठाये गये ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) से (ग). (१) वेतन आयोग की जो सिफारिशें स्वीकार की गईं और लागू नहीं की गईं और (२) जो सिफारिशें अभी तक स्वीकार नहीं की गई तथा प्रत्येक के सम्बंध में वर्तमान स्थिति का विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १९११/६३]**

बिहार में बिजली की कमी

†१८४२. **श्री प्र० के० देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना की अवधि के बाद बिहार में १३ एम० डब्ल्यू० तक बिजली की कमी होगी ;

(ख) यदि हां, तो कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) इस समय बिहार में किस किस प्रदेश के लिए कितनी बिजली उपलब्ध है और तीसरी योजना के आखीर में कितनी उपलब्ध होने की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) नहीं श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १७१२/६३]

यूनानी तिब्बिया सम्मेलन

†१८४३. श्री श्याम लाल सर्राफ़ :
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि जून १९६३ में शिमला में एक यूनानी तिब्बिया सम्मेलन हुआ था ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त सम्मेलन की सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हा तो इस सम्बन्ध में विशेषत: औषध नियंत्रण अधिनियम और उसके नियमों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) हां श्रीमन् । एक यूनानी तिब्बिया सम्मेलन १४ से १६ जून, १९६३ तक शिमला में हुआ था ।

(ख) तथा (ग). वहां पास किये गये संकल्पों, उन पर की गई कार्यवाही और प्रस्तावित कार्यवाही का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १७१३/६३]

बम्बई में दूषित औषधियां

†१८४४. श्री राम रतन गुप्त : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या बारोज वेलकम कम्पनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई की एंटीपार ब्रांड एलिग्जर पिपरोजीन साइट्रेट बैच जी–४८८ औषधियां दूषित पाई गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) हां, श्रीमन् । मैसर्स बारोज वेलकम कम्पनी (इंडिया) प्राइवेट लि० द्वारा निर्मित एंटीपार ब्रांड एलिग्जर पिपरोजीन साइट्रेट बैच न० जी–४८८ की एक बोतल दूषित पाई गई थी ।

(ख) महाराष्ट्र औषधि नियंत्रण प्रशासन ने उस विशेष बैच की एंटीपार के प्रयोग को रोकने और दुकानादारों से उस बैच का सारा माल नष्ट करने के लिए कम्पनी के लौटाये जाने का प्रबन्ध किया था । कम्पनी से भी कहा गया था कि इस बैच की सारी दवाई वापस ले ली जाए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि से दुग्ध चूर्ण

†१८४५. श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री २ मई, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या परिवहन समवाय के विरुद्ध और कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या पुलिस द्वारा जांच पर और बातों का पता लगा है ; और

(ग) क्या ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है और ट्रक मिल गया है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). और जांच करने पर पता लगा है कि ट्रक परिवहन समवाय के नहीं थे बल्कि अन्य लोगों के थे ।

पुलिस ने इस मामले में ग्यारह अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जिनमें ट्रक का एक ड्राइवर भी है । जो लारी भाग गई थी और जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर जाली था उसका ड्राइवर पकड़ने के लिए पुलिस आवश्यक कार्यवाही कर रही है । गिरफ्तार लोगों में से २ को न्यायालय ने छोड़ दिया है और एक की मृत्यु हो गई है । शेष आठ ज़मानत पर हैं । पकड़ा गया दुग्ध चूर्ण न्यायालय के आदेश पर पश्चिम बंगाल सरकार को दिया जा रहा है ।

उच्च शिक्षा के लिए विदेशी मुद्रा

†१८४६. श्री शिव मूर्ति स्वामी :
श्री नि० रं० भास्कर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में उच्च शिक्षा के लिए विदेशी मुद्रा के हेतु प्राप्त हुए कितने प्रार्थनापत्र अभी विचाराधीन हैं ; और

(ख) इस अवधि में कितने छात्रों को विदेश जाने की अनुमति दी गई और कितनों के प्रार्थना पत्र रद्द किये गये ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) ३१ मार्च, १९६३ तक प्राप्त सब प्रार्थनापत्र निबटा दिये गये हैं ।

(ख) ३२५१ नये छात्र अनुज्ञापत्र इस अवधि में जारी किये गये । इसके अतिरिक्त पहले विदेश गये छात्रों के ४५७२ अनुपत्र पुनः नये किये गये । रद्द किये गये प्रार्थनापत्रों की संख्या उपलब्ध नहीं है और इसे एकत्र करने में जितना श्रम लगेगा वह प्राप्त होने वाल परिणाम के अनुरूप नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोसी नदी

१८४७. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में कोसी नदी की धारा बदलने से बहुत से गांव उजड़ गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी कितनी संख्या है ;

(ग) उन उजड़े हुए ग्रामों को बसाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(घ) क्या सरकार उन लोगों को मुआवजा देने का विचार कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

बर्मा में भारतीय बैंकों की आस्तियां

†१८४८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बर्मा में भारतीय बैंकों की आस्तियों के लौटाने में क्या प्रगति हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : सारे पांच भारतीय बैंकों को जिनकी शाखाएं बर्मा में थीं अपने मुख्यालय की निधियां जो प्रत्येक बैंक का पांच पांच लाख रुपये की थीं लौटाने की अनुमति दे दी गई है । अन्य आस्तियों के सम्बन्ध में बैंकों द्वारा दिये गये क्षतिपूर्ति के दावे बैंकिंग व्यापार राष्ट्रीयकरण प्रतिकर आयोग, बर्मा के पास विचाराधीन पड़े हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रानिधि से ऋण

†१८४९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के साथ और नयी काम चलाऊ व्यवस्था का करार किया गया है जिसके अन्तर्गत अगले बारह महीनों में १० करोड़ डालर तक ऋण लिया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रयोजन के लिए ऋण लिया जा रहा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) तथा (ख). अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के साथ काम चलाऊ व्यवस्था का करार १० करोड़ पौंड का है १० करोड़ डालर का नहीं । इसके अन्तर्गत ९ जुलाई, १९६३ से आरम्भ होने वाली १२ मास की अवधि में भारत सरकार १० करोड़ पौंड तक विभिन्न विदेशी मुद्राओं में ऋण ले सकती है । इस ऋण व्यवस्था का प्रयोजन यह है कि देश की भुगतान संतुलन स्थिति में कोई अस्थायी कठिनाई पैदा होने पर भारत को निधि उपलब्ध हो सके ।

राजनैतिक पीड़ितों को ऋण

†१८५०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या विस्थापित राजनैतिक पीड़ितों द्वारा लिए गये पुनर्वास वित्त प्रशासन ऋण माफ करने का कोई निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : नहीं श्रीमन् । किन्तु ऐसे मामलों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा जिनमें उन राजनैतिक पीड़ितों के मामले भी शामिल हैं जिनसे वसूली की कार्यवाही से उनके लिए कठिनाई पैदा होने की संभावना है ? और प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर अनुदान दिये जाते हैं ।

भारत साधु समाज तथा भारत सेवक समाज

१८५१. **श्री कछवाय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत साधु समाज तथा भारत सेवक समाज को गत पांच वर्षों में कितना-कितना अनुदान दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह यथासमय सभा को दे दी जायगी ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य पदाली

†१८५३. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २५ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्रीय स्वास्थ्य पदाली बनाने के लिए नियम तैयार कर लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) हां श्रीमन् ।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमों की एक प्रति संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १७१४/६३]**

बर्ड एंड कम्पनी

†१८५३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रक्षित बैंक के गवर्नर ने बर्ड एण्ड कम्पनी, कलकता के दफ्तरों की हाल की तलाशी के बाद उसके कार्यों के बारे में प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में क्या लिखा है ; और

(ग) क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) हां, श्रीमन् ।

(ख) तथा (ग). क्योंकि इस मामले की जांच अभी से हो रही है अतः प्रतिवेदन में लिखी बातें बताना या उसे सभा पटल पर रखना संभव नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यूनिवर्सल हैल्थ इंस्टीट्यूट, बम्बई

†१८५४. **श्री अ० त्रि० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) यनिवर्सल हैल्थ इंस्टीट्यूट, बम्बई को गत तीन वर्ष में कितना अनुदान दिया गया ;

(ख) क्या उपरोक्त अनुदान समाप्त करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) यूनिवर्सल हैल्थ इंस्टीट्यूट बम्बई १९६०–६१ में ९०,००० रुपये अनुदान दिया गया था इस में इंस्टीट्यूट में १९५९–६० में दी जाने वाली ३०,००० रुपये की रकम भी शामिल है। चालू वित्तीय वर्ष में ८०,५०० रु० का अनुदान स्वीकार किया गया है ; यह रकम १९६१-६२ और १९६२-६३ (१ अप्रैल १९६३ तक) के घाटे की पूर्ति के लिये है।

(ख) और (ग). ये अनुदान निर्धारित अवधि के लिये मंजूर किये गये थे। इस इंस्टीट्यट द्वारा किये गये गवेषणा कार्य का मूल्यांकन इस प्रयोजन के लिए नियत सरकारी समिति कर रही है। इस इंस्टीट्यूट को गवेषणा अनुदान जारी रखने के प्रश्न पर मूल्यांकन रिपोर्ट को दृष्टिगत करते हुये सरकार विचार करेगी ।

केन्द्रीय मुद्रणालय

१८५५. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय छापेखानों में विस्तार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को क्रियान्वित करने में कितना धन व्यय होगा ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) और (ख). वर्तमान मुद्रणालयों का विस्तार करने तथा नये मुद्रणालय स्थापित करने पर तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग ६ करोड़ रुपये खर्च होंगे ।

आयकर जांच आयोग

†१८५६. { **श्री उमानाथ :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बकाया रकम की वसूली में शीघ्रता करने और कर की चोरी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही का सुझाव देने के लिये सरकार ने आय कर जांच आयोग स्थापित करने का निर्णय किया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : जी नहीं ।

सोने की खानें

†१८५७. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय सोने की कितनी खानें चल रही हैं ;

(ख) इन खानों का क्या उत्पादन है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन खानों की उत्पादन लागत और सोने की वर्तमान कीमत की तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) चार ।

(ख) १९६२ में ५,०८० किलोग्राम सोना निकाला गया था ।

(ग) सोने की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि दर ५३.५८ रु० प्रति १० ग्राम है । १४ कैरट सोने की बम्बई में विद्यमान कीमत ६३.०० रु० प्रति १० ग्राम है। इस देश में चार खानों में उत्पादन की औसत लागत १२४.१५ रु० प्रति १० ग्राम है ।

बैंक आफ चाइना

†१८५८. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री जसवंत मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री २९ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७० के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ चाइना के भूतपूर्व चीनी कर्मचारियों से परिसमापन प्रक्रिया के दौरान पूछताछ की गई थी ;

(ख) क्या उन्होंने प्रश्नों के उत्तर देने से इंकार कर दिया और अन्य तरीकों में भी सहयोग से इंकार कर दिया ; और

(ग) क्या यह विश्वास करने के लिये कुछ आधार है कि कई दस्तावेज, रिकार्ड और पत्र गायब हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख) बैंक के परिसमापन के तुरन्त पश्चात अधिकांश चीनी कर्मचारियों को देश छोड़ने की अनुमति दे दी गई थी क्योंकि उन्हें यहां रोकने अथवा उन से पूछताछ करना आवश्यक नहीं समझा गया । भारत में अब भी रह रहे चीनी कर्मचारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं की गई है ।

(ग) सरकार के पास अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस विश्वास का कोई कारण नहीं है कि कोई आधारभूत दस्तावेज गायब हैं ।

पानी के मीटर

१८५९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेताजी नगर, नई दिल्ली के कुल ९६ 'जी' टाइप क्वार्टरों में, जो कि भारत सरकार के मुद्रणालय के कर्मचारियों के लिये दिये गये थे, पानी के मीटर अब तक नहीं लगे हैं और इन से ६ रुपये मासिक पानी के लिए जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यहां पानी बहुत थोड़े समय के लिये ही आता है और उस के लिए ६ रूपये लिया जाना बहुत ज्यादा है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक इन क्वार्टरों में मीटर लगा दिये जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) १ जून १९६२ से पहले इन क्वार्टरों में रहने वालों से छने हुए पानी के लिए समान दर से ४ रुपये मास लिये जाते थे। उस तारीख से नई दिल्ली नगरपालिका समिति की दर ५० नये पैसे से बढ़ा कर ७५ नये पैसे हजार गैलन कर दी, इसलिए क्वार्टरों में रहने वाले लोगों से वसूली की समान दर भी उसी हिसाब से बढ़ा कर ६ रुपये प्रति मास कर दी गई ।

(ख) वसूली की यह समान दर अन्य स्थानों पर इन्हीं जैसे अन्य सब मकानों मे होने वाले पानी के औसत खर्च के आधार पर नियत की गई है और इसलिए यह बहुत अधिक नहीं समझी जाती ।

(ग) यह पता चला है कि नई दिल्ली नगरपालिका समिति इन क्वार्टरों में इस वर्ष के अन्त तक मीटर लगवा सकेगी ।

राजेन्द्र स्मारक अनुसन्धान संस्था और राजेन्द्र इंस्टीट्यूट

†१८६०. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री महेश्वर नायक :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० राजन्द्र प्रसाद की स्मृति को स्थायित्व प्रदान करने के लिए सरकार राजेन्द्र स्मारक अनुसन्धान संस्थान और राजन्द्र स्मारक इंटीट्यूट, पटना की स्थापना में योग दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सहयोग का स्वरूप क्या है और वह कितनी सहायता देगी ; और

(ग) प्रस्तावित संस्था और इंस्टीट्यूट के कार्य और क्षत्राधिकार क्या क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (ग) यह विषय विचाराधीन है ।

रजर्व बैंक के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†१८६१. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया के चतुर्थ श्रणी के कर्मचारियों के लिये मद्रास में क्वार्टर बनाने की योजना अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति०त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख) रिजर्व बैंक ते अपने चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण के लिए मद्रास में जमीन प्राप्त कर ली है किन्तु संकट स्थिति में भवन निर्माण कार्य को प्रतिबंधित करने के निर्णय और उपरोक्त स्थान में नाली व्यवस्था (जल निस्सारण) की कमी तथा अन्य सुविधाओं के अभाव के कारण, इन क्वार्टरों का वास्तविक निर्धारण प्रारम्भ करना संभव नहीं हो सका है ।

केरल में स्वर्णकारों के लिये रोजगार की व्यवस्था

†१८६२. **श्री प० कुन्हन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण नियंत्रण आदेश के फलस्वरूप बेकार हुए स्वर्णकारों को रोजगार दिलाने के लिये केरल सरकार ने केन्द्र से कोई वित्तीय सहायता मांगी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस सहायता का स्वरूप और विस्तार क्या है ; और

(ग) यदि कोई सहायता दी गई है तो उस का क्या ब्यौरा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी हाँ ।

(ख) केरल राज्य सरकार ने ११,३१,००० रु० का ऋण और ७,४१,०१६ रु० का अनुदान मांगा है ।

(ग) राज्य सरकार को १० लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया है । यह ऋण छः वर्ष के अंत में लौटाया जायेगा और इस पर ४ प्रतिशत सूद लिया जायेगा । सहकारी समितियों को अग्रिम राशि प्रदान करने अथवा सीधे खर्च के रूप में प्रत्येक युक्त किये जाने वाले ऋण की रकम पर ब्याज के सिलसिले में राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर, यदि आवश्यक हुआ तो और ब्यौरा मिलने पर विचार किया जायगा ।

विदेशी मुद्रा की चोरी

†१८६३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बाहर विदेशी मुद्रा की कथित चोरी के सम्बन्ध में कलकत्ता में बैंकों की दो शाखाओं के ११ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ;

(ख) यदि हां, क्या इस मामले की कोई जांच की गई है ; और

(ग) इस जांच के क्या परिणाम हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अनिवार्य जमा योजना के बारे में

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हजारों रेलवे कर्मचारी अनिवार्य जमा योजना के विरुद्ध अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए पार्लियामेंट से बाहर आये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति, मैं तो इस सभा में सदस्यों पर नियंत्रण नहीं कर सकता । बाहर वालों पर कैसे नियंत्रण कर सकता हूं ?

---

†मूल अंग्रज़ी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

स्वर्ण नियंत्रण आदेश

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : मैं वित्त मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस पर वक्तव्य दें :—

"दिल्ली और अन्य स्थानों के सुनारों द्वारा स्वर्ण नियंत्रण आदेश के विरुद्ध बताई गई शिकायतें और उस पर प्रतिकारात्मक कार्यवाही जो सरकार का करने का विचार हो ।"

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : स्वर्ण नियंत्रण नियम आठ मास पूर्व लागू किये गये थे । इस विषय पर प्रश्न पूछे गये हैं और चर्चा भी की गई है । इस वर्ष मार्च में भी इस पर चर्चा हुई थी ।

क्योंकि इस योजना के प्रवर्तन की पूरी स्थिति मेरे समय की नहीं है मैं इसकी जांच करवा रहा हूं और आशा है कि सप्ताह के अन्त में मुझ सारी जानकारी मिल जायेगी । मेरी यह इच्छा थी कि सारा ब्योरा मिलने पर इस योजना के प्रवर्तन की स्थिति पर वक्तव्य दूं ।

मेरे प्रतिष्ठित पूर्वाधिकारी ने राज्य सरकारों को कई बार लिखा था कि जिन लोगों पर इस योजना का प्रभाव पड़ा है उन्हें सहायता दी जाय । संघ सरकार ने इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को १.७५ करोड़ रुपये की राशि दी है । यह पूर्णतः स्पष्ट है इस योजना से प्रभावित लोगों के सहयोग के बिना योजना को लागू नहीं किया जा सकता ।

दिल्ली प्रशासन इस समस्या पर विचार कर रहा है कि संघ राज्य क्षत्र के विस्थापित सुनारों को सहायता दी जाये और वह दिल्ली स्वर्णकार मंडल, स्वणकार सभा और भारतीय स्वर्णकार संघ से इन विचाराधीन योजनाओं और उपायों के बारे में सम्पर्क स्थापित किए हुए है ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, एक औचित्य प्रश्न है । वित्त मंत्री की यह चिन्ता उचित है कि वे पहले अपने दल का परामर्श लेना चाहते हैं । कल समाचारपत्रों और आकाशवाणी ने दल की कार्यवाही को संसद् की कार्यवाही की अपेक्षा अधिक महत्व दिया था । मेरा विचार है कि संसद् का अधिकार है कि यदि सरकार किसी महत्वपूर्ण नीति पर पुनर्विचार करें तो उस की घोषणा पहिले संसद् में की जाये ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून): मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सभी दलों को यह अधिकार है कि वे जब चाहें बैठक कर के देश की महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** (भागलपुर): मैं इस बारे आप का विनिर्णय चाहता हूं कि क्या हम दल की बैठक में किसी विषय पर चर्चा नहीं कर सकते ?

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : यह विषय को झमेले में डाला जा रहा है । श्री नाथ पाई का प्रश्न उचित है कि यदि मंत्री ने नीति संबंधी कोई घोषणा करनी हो तो क्या वह सभा को बताने से पूर्व उस की चर्चा दल की बैठक में कर सकता है । मंत्री वैध रूप से सभा के समक्ष उत्तरदायी है भले ही नैतिक रूप से दल के समक्ष भी उत्तरदायी हो । एसी स्थिति में क्या वह वहां पहले नीति संबंधी घोषणा कर सकता है ?

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता मध्य): किसी भी दल को किसी एसे विषय पर चर्चा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता जिस के संबंध में देश में विक्षोभ फैला हो । किन्तु जिस

†मूल अंग्रजी में

समय सभा की बैठक हो रही हो उस समय औपचारिक रीति से मंत्री महोदय को पहले सभा को बताना चाहिये था ।

†**श्री कपूर सिंह** (लुध्याना) : मैं श्री नाथ पाई के विचार से सहमत हूं । इस के साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में यह विचार फैला हुआ है कि कांग्रस दल सरकार का स्थान ले रहा है ।

†**श्री हनुमंतैया** (बंगलौर नगर) : अध्यक्ष महोदय, श्री नाथ पाई का प्रश्न संगत है । किन्तु वे इस के बारे में ठीक दृष्टि से विचार नहीं कर रहे। संसदीय सरकार में शासन दलों द्वारा संचालित होता है और संसदीय दल भी संसदीय विषयों पर विचार करते हैं अतः उन की कार्यवाही भी संसदीय विशेषाधिकार के अन्तर्गत आती है ।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : कांग्रस संसदीय दल की बैठक पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता और वहां मंत्री अपने मित्रों के प्रति शिष्टाचार दर्शाते हैं । मैं जिन दिनों कांग्रेस दल का सचिव था मैं समाचार पत्रों को दल की चर्चा के बारे में जानकारी नहीं दिया करता था क्योंकि उसे गुप्त समझता था। यह संसदीय पद्धति की परम्परा के अनुरूप होगा कि वे इस प्रकार की जानकारी प्रेस को न दिया करें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने औचित्य प्रश्न को समझ लिया है । इस पर और चर्चा की आवश्यकता नहीं ।

दलीय पद्धति में एक दल को बैठक कर के उन विषयों पर विचार करने का अधिकार है जो सभा के समक्ष आने वाला हो । सभी दल ऐसा करते हैं । किन्तु मुझे एक बात से चिन्ता होती है । अन्तर यह है कि कांग्रेस दल शासक दल है और वहां जो निर्णय किया जाता है वह संसद् में कुछ विरोध के बाद स्वीकार कर लिया जाता है । अतः आपत्ति यह हो सकती है कि उस निर्णय का प्रचार हो अथवा नहीं ।

†**श्री नाथ पाई** : आप ने स्थिति का ठीक समाहार किया है किन्तु मेरा प्रश्न यह था कि प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री ने संसदीय औचित्य के प्रति सम्मान रखते हुए दल को निर्णय पहले बताने देने का अपराध किया है ।

†**श्री ति० त० कृष्णामाचारी** : विरोधी दल के मेरे माननीय मित्र गलत तथ्य को ले रहे हैं । देल में स्वर्ण नियंत्रण नियमों पर कोई चर्चा नहीं हुई । अन्य विषय के बारे में मैं ने और प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि हम स्थिति की जांच कर रहे हैं और समय समय पर उस में परिवर्तन किया जायेगा । दल को नीति सम्बन्धी कोई निर्णय नहीं बताया गया । वास्तव में मैं ने जैसा वक्तव्य में बताया है मेरा विचार था कि सभा स्थगित होने से पूर्व इन विषयों के बारे में उसे बताऊंगा । यदि माननीय सदस्य प्रतीक्षा करते तो बात स्पष्ट हो जाती ।

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु विभाग मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : माननीय सदस्य सम्भवतः प्रेस के समाचारों से भ्रम में पड़ गये हैं । सामान्यतः वह सर्वथा अनधिकृत और अनुमान मात्र होता है । निर्णय की तो बात अलग रही इन बातों का उल्लेख भी नहीं किया गया । अनिवार्य जमा योजना की चर्चा हुई थी । उस के बारे में कोई नीति सम्बन्धी घोषणा नहीं की गई यही कहा गया था कि इस पर विचार किया जायेगा । समाचारपत्रों ने इसे किस प्रकार व्यक्त किया मुझे पता नहीं । किन्तु सामान्यतः उन्हें एसी बातें गलत ढंग से कहने की आदत है । (**अन्तर्बाधा**)

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैंने अनिवार्य जमा योजना के बारे में अल्प सूचना प्रश्न की ओर ध्यान दिलाने की सूचनायें दी थीं किन्तु उन्हें अस्वीकार कर दिया गया जिस का अभिप्राय था कि सरकार इस विषय पर वक्तव्य देने के लिए तैयार नहीं किन्तु कांग्रेस दल को बताया गया कि इस में परिवर्तन किया जा रहा है । क्या सरकार ऐसे विषय पर वक्तव्य देने से इन्कार कर सकती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हर दल को यह पूर्ण अधिकार है कि वह किसी भी विषय पर चर्चा करे । किन्तु प्रश्न केवल यह है कि उस का प्रचार किस हद तक किया जा सकता है । मैं विरोधी पक्ष से सहमत हूं कि दलों को यह नहीं बताना चाहिये कि अमुक अमुक निर्णय कर लिया गया है । यह बताया जा सकता है कि अमुक विषय पर चर्चा की गई और कुछ निर्णय किया गया ।

†**श्री अजित प्रसाद जैन**(तुमकुर) किसी नीति सम्बन्धी निर्णय के कई स्तर होते हैं दल नीति निर्धारित करती है किन्तु सरकार उस से भिन्न निर्णय कर सकती है । दल को अस्थायी रूप से निर्णय करने का पूर्ण अधिकार है । अस्थायी निर्णय का प्रचार करना कदापि गलत नहीं है । आपत्तिजनक यह है कि मंत्रिमंडल स्तर पर किये गये निर्णय का प्रचार नहीं होना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस बात को इतना स्पष्ट नहीं कर पाया था । मेरा मंतव्य यही है कि समाचारपत्रों को यह नहीं बताना चाहिये कि यह सरकार का निर्णय है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : इस में थोड़ा सा अन्तर है । दल कुछ भी निर्णय कर सकता है किन्तु जब मंत्री कुछ घोषणा करता है तो वह सरकार का निर्णय होता है और वह पहले सभा में बताया जाना चाहिये ।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : मंत्री इस बात के लिए वचनबद्ध है कि मंत्रिमंडल का निर्णय सभा को बताया जायेगा । यहां मंत्री ने सरकार की नीति सभा को बता कर संसद् को कठिन परिस्थिति में डाल दिया है । दल में चर्चा चाहे कुछ भी हो सरकार का निर्णय पहले सभा में ही बताना चाहिये ।

†**श्री त्रिदिब कुमारी चौधरी** (बरहामपुर) : प्रायः चार दिन पहले समाचारपत्रों में यह समाचार आया था कि एक अधिकारी समिति नियुक्त की जा रही है और स्वर्ण नियंत्रण बोर्ड समाप्त किया जा रहा है । यदि ऐसी स्थिति रही तो सभा खामोश कैसे रह सकती है ।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, आप ने यह कहा है कि पार्टी के अन्दर इस तरह के विषयों पर चर्चा हो सकती है, बहस चल सकती है, मंत्री भी उस बहस में हिस्सा ले सकते हैं, पार्टी फैसला भी ले सकती है और मंत्री उस में कोई बात कहे, वह भी हो सकता है लेकिन वह चीज़ अखबारों में न जाये । अखबारों में यह चीज़ नहीं जाती है तो कोई झगड़ की बात नहीं है . . . .

अध्यक्ष महोदय : यह भी नहीं कहा है ।

श्री रामसेवक यादव : फर्क जो है, वह निवेदन करना चाहता हूं । पार्टी में कुछ फैसला हो, अच्छी तरह से बहस करें, नीतियां तय करें और फैसला ले ले कि सरकार यह काम करेगी, तो कोई एतराज़ की बात नहीं है । एतराज़ की बात तो तब आती है जब मंत्री मंडल के फैसले के बिना वहां पर कोई आश्वासन मंत्री दे देते हैं । और यह आश्वासन अखबार में निकलता है, जब कि

†मूल अंग्रेजी में

सदन बैठ रहा हो। तो मैं इसी विषय पर नहीं, आइन्दा के लिये भी आपका निर्णय और मार्ग-दर्शन में चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अभी मैंने आप से कह दिया कि पार्टी आजाद है कि वह फैसले ले और सब कुछ करे।

श्री राम सेवक यादव : उस के बारे में . . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। अब आप मुझे खामोशी से सुने। उस के बाद यह आता है गवनमैंट पर कि वह अपनी पार्टी के फैसले को मद्दे नज़र रखते हुए फिर अपने फैसले ले। गवर्नमैंट के फैसले बाद मैं आते हैं। गवर्नमैंट का फैसला जो हो, ओथ का जिक्र आयेगा तो उसी से आयेगा कि वह डिस्क्लोज होता है या नहीं, पालिसी का डिक्लेरेशन होता है तो वह भी उस से आयेगा कि वह होता है या नहीं। जो पहले डिस्कशन होते हैं पार्टी के, उन का उन को पूरा हक है। यह में ने उन से कहा है कि जो फैसले वहां हों उन को ऐसे न बाहर दिया जाय कि जैसे वह गवर्नमैंट के फैसले हों। वह पार्टी के फैसले होते हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : जब सरकार गत अधिवेशन में आयात निर्यात नीति सम्बन्धी अर्द्धवार्षिक वक्तव्य समाचार पत्रों को देना चाहती थी तो आप ने कहा था कि वह सभा में पहले आनी चाहिये।

जब प्रधान मंत्री ने ६ मंत्रियों के त्यागपत्र की घोषणा की तो हमारे प्रश्न उठाने पर प्रधान मंत्री ने स्पष्ट आश्वासन दिया था किन्तु अब सरकार नीति के परिवर्तन के बारे में दल को बता रही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने भी यही कहा है कि मंत्री दल में चर्चा तो कर सकते हैं किन्तु निर्णय नहीं बताना चाहिये।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** (जोधपुर): स्वर्ण नियंत्रण नियमों का पुनर्विलोकन करने वाली समिति में कौन कौन हैं और उनके पद-निर्देश क्या हैं। क्या स्वर्ण नियंत्रण बोर्ड को समाप्त करना भी पद-निर्देश में है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह औपचारिक समिति नहीं। यह मेरे अधिकारियों की समिति है और उन से मैं ने कहा है कि वे मंत्रिमंडल की सहायता करें। अतः औपचारिक पद-निर्देश नहीं हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या सरकार को विदित है कि अखिल भारतीय स्वर्णकार सघ एक आंदोलन चला रहा है और उस के प्रतिनिधि कलकत्ता से दिल्ली आये हैं। क्या माननीय मंत्री ने यह बताया है कि उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक इस पर पुनः विचार किया जा रहा है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरा विचार है कि इस संगठन के प्रधान ने स्वर्ण नियंत्रण बोर्ड और मंत्रालय से बातचीत की है और उसे हर बार बताया गया है सरकार उनके मामले पर पूरा विचार कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: क्या में जान सकता हूं कि भारत सरकार को भिन्न भिन्न राज्यों से यह आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं कि गोल्ड कंट्रोल आर्डर लागू होने के बाद सुनार और सोने के काम से सम्बन्धित कितने व्यक्ति कुल मिला कर बेकार हुए हैं ? यदि हां, तो सरकार जो निर्णय लेने जा रही है क्या उसमें एक यह प्वाइंट भी है कि १४ कैरट के सोने के कानून को हटा कर २२ कैरेट का रहने दिया जाय ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : संघ राज्य क्षेत्रों के अलावा दस राज्यों ने स्वर्णकारों को सहायता देने की योजनाओं को स्वीकार किया है । उन्होंने अन्य जो बात पूछी हैं उन के लिए पूर्व सूचना चाहिये या वे मेरे वक्तव्य की प्रतीक्षा करें ।

†**अध्यक्ष महोदय**: वे पूछ रहे हैं कि क्या इस पर विचार कया जा रहा है या ऐसा प्रस्ताव है कि १४ कैरेट की बजाय २२ कैरेट सोने की अनुमति दे दी जाये ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** :इस विषय में भी मैं अभी कुछ नहीं बता सकता । जैसा मैंने वचन दिया है इस बारे में एक वक्तव्य दूंगा ।

†**श्री अ० क० गोपालन** (केसरगोड़): केरल के स्वर्णकारों को पुनर्वास के लिए कितनी राशि दी गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम एक एक राज्य पर चर्चा नहीं कर सकते ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है लोग कुछ सीमा तक सोना रख सकें और उस से २२ कैरेट के गहने बनायें ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : अवश्य माननीय सदस्या के सुझाव पर विचार करूंगा ।

†**श्री वासुदेवन नयर** : क्या अब सरकार को इस बारे में जानकारी मिल गई है कि कितने लोग स्वर्ण नियंत्रण के कारण बेकार हुए हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : माननीय सदस्य मेरे वक्तव्य की प्रतीक्षा करें ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या स्वर्ण नियंत्रण से सरकार के तीन उद्देश्य अर्थात् सोने का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय भाव तक गिर जाना, तस्कर व्यापार बन्द होना और विदेशी मुद्रा की बचत, पूरे हो गये हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : समिति के निश्चित पद-निर्देश नहीं किन्तु वे इन बातों पर विचार करेंगे ।

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : क्या मंत्री महोदय यह जानकारी देने की कृपा करेंगे कि १४ कैरेट के जेवर बनाने में कितने प्रतिशत सुनार काम पर लगे हुए हैं और कितने प्रतिशत बेकार हो गये हैं, और जो जेवर वे बनाते हैं उस के लिये उन्हें सोना कहां से मिलता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल पहले पूछा जा चुका है और उस का जवाब दिया जा चुका है ।

श्री काशी राम गुप्त : कितने लोग इस समय १४ कैरेट के जेवर बनाने में लगे हुए हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** संभवत: ४ लाख स्वर्णकार हैं किन्तु अनुमान लगाना कठिन है।

†**श्री याज्ञिक :** सभी विरोधी दलों के विरोध को दृष्टिगत रखते हुए क्या वे उचित समझते हैं कि उन्हें सिफारिश करने के लए कुछ सदस्यों की समिति बनाई जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो सुझाव है।

श्री यशपाल सिंह : क्या में जान सकता हूं कि गोल्ड कंट्रोल आर्डर की सख्ती की वजह से और इस मजबूरी की वजह से जिन स्वर्णकारों को आत्म हत्या करके मरना पड़ा है उन के परिवारों को और आश्रितों को सरकार क्या सहायता दे रही है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मुझे इस के लिए पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री हरिविष्णु कामत :** कुछ सदस्यों ने इस विषय मैं ध्यान दिलाने की सूचना और अपने अल्प सूचना प्रश्न दिये थे। मेरा सुझाव है कि इन सब के नाम एक प्रश्न में जोड़ देने चाहियें।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री सरजू पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है, आप ने मुझे सवाल करने की इजाज़त नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय : आप का नाम है तो आप भी सवाल कर लीजिये।

श्री सरजू पाण्डेय : मैं यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली में सुनारों का सत्याग्रह चल रहा है उस सिलसिले मैं कितने आदमी गिरफ्तार हुए हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** कल ३ बजे तक २२६ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। अभी उन पर मुकदमा चलाया जाना है।

श्री राम सेवक यादव : श्रीमन्, मैंने एक विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न दिया है। मेरा यह निवेदन है कि श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने भी यहां इसी विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न यहां उठाया था—

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आकर बात कीजिये। मैं देख लूंगा कि उसमें क्या किया जा सकता है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

सीमा शुल्क अधिनियम आदि के अधीन अधिसूचनाएं

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** मैं श्री ब० रा० भगत की ओर से निम्नलिखित सभा पटल पर रखती हूं :—

(१) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधि-सूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३१ अगस्त, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १४१९।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दिनांक ३१ अगस्त, १९६३ की जी०एस०आर० संख्या १४२० ।

(ग) दिनांक ३१ अगस्त, १९६३ की जी०एस०आर० संख्या १४२१ ।

[पुस्तकालय मे रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १७०२/६३]

(२) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३१ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० १४१२ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (उन्नीसवां संशोधन) नियम, १९६३।

(ख) दिनांक ३१ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४१७ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (बीसवां संशोधन) नियम, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १७०३/६३]

(३) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्त्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३१ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४२२ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १००४/६३]

सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :—

(एक) सरकारी बचत प्रमाण अधिनियम, १९५९ की धारा १२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक २४ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३८५ में प्रकाशित डाक-घर बचत प्रमाण पत्र (दूसरा संशोधन) नियम, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १७०५/६३]

(दो) आय-कर अधिनियम, १९६१ की धारा २९५ के अन्तर्गत, दिनांक ३० अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस०ओ० २५०८ में प्रकाशित आय-कर (संशोधन) नियम, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० १७०६/६३]

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा अपनी १० सितम्बर, १९६३ की बैठक में लोकसभा द्वारा १६ अगस्त, १९६३ को परिसीमन बिल, १९६३ में किये गये संशोधन से सहमत हो गई ।

(दो) कि राज्य सभा अपनी १० सितम्बर, १९६३ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २८ अगस्त, १९६३ को विशेष विवाह (संशोधन) बिल, १९६३ में किये गये संशोधन से सहमत हो गई ।

(तीन) कि राज्य सभा अपनी १० सितम्बर, १९६३ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २३ अगस्त, १९६३ को पास किये गये भाण्डागार निगम (संशोधन) बिल, १९६३ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई ।

(चार) कि राज्य सभा ने अपनी १० सितम्बर, १९६३ की बैठक में भेषज तथा चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) संशोधन बिल १९६३ को पास कर दिया ।

भेषज तथा चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) संशोधन विधेयक

सचिव : मैं भेषज तथा चमत्कारकि उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) संशोधन विधयक १९६३ की एक प्रति, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, सभा पटल पर रखता हूं ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

छठा प्रतिवेदन

†**श्री खाडिलकर** (खडे) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थित सम्बन्धी समिति का छटा प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं ।

चीनी की स्थिति के बारे में चर्चा

अध्यक्ष महोदय : अब मैं चीनी की स्थिति के बारे में अग्रेतर चर्चा को लेता हूं ।

श्री तुलसीदास जाधव (नादड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

मेरे से पहले जो भाषण हुए उनमें कहा गया कि किसान को अपनी पैदावार की जो कीमत मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है,और अगर सरकार चाहती है कि गन्ने का उत्पादन ज्यादा हो तो सरकार को किसान को उचित मूल्य देने की व्यवस्था करनी चाहिए ।

सरकार चाहती है कि ३३लाख टन चीनी का उत्पादन हो । अभी २८लाख टन होता है । सरकार चाहती है कि पांच लाख टन अधिक उत्पादन हो । इसके लिए सरकार ने मिल मालिकों को इंसेंटिव दिया है, लेकिन जो स्टेटमेंट निकाला है उसको पढ़ने से मालूम होता है कि गन्ना उत्पादकों को कोई इंसेंटिव नहीं दिया गया है । उनको इंसेंटिव देने की आवश्यकता है ।

अब सरकार ने यह रखा है कि जहां रिकवरी ९–८ के नीचे भी होगी वहां भी गन्ने का मूल्य एक मन के लिए १ रूपया ७५ नये पैसे दिया जाएगा । उसको कम नहीं मिलेगा । इससे गन्ना उत्पादक को

---

†मूल अंग्रेजी में

अच्छा गन्ना पैदा करने का उत्तेजन मिलेगा। इससे हमको बड़ा आनन्द होता है। जिन प्रांतों में रिकवरी कम होती है वहां इस प्रकार का उत्तेजन देने की आवश्यकता है। कल हमारे माननीय मित्र मिश्र जी ने कहा कि गन्ने का मूल्य २ रुपया मन दिया जाए। मैं भी उन से सहमत हूं। जब तक गन्ना पैदा करने वाले को उत्तेजन नहीं मिलता तब तक जितना गन्ना फैक्टरी के लिए चाहिए उतना नहीं मिलेगा।

कहा जाता है कि खंडसारी और गुड़ के लिए अधिक गन्ना चला जाता है और चीनी मिलों को नहीं आता। इसका कारण यह है कि गुड़ और खंडसारी वाले लोग गन्ना उत्पादन करने वाले को ज्यादा दाम देते हैं। महाराष्ट्र में गुड़ और खंडसारी वाले गन्ने के लिए ७० रुपये टन तक देते हैं और फैक्टरी से ५४ रुपये टन मिलता है। ऐसी व्यवस्था में किसान अपना गन्ना मिल को क्यों देगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर सरकार चाहती है कि गन्ना गुड़ और खंडसारी के लिए न जाए तो उसको गन्ने का आज से ज्यादा दाम देने की व्यवस्था करनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने इस गवर्नमेंट से सिफारिश की है कि उसे गन्ने का भाव कम से कम ६० रुपये प्रति टन देना चाहिए। ऐसा किया जाएगा तो गन्ना फैक्टरी के पास ज्यादा गन्ना आवेगा।

दूसरी बात यह है कि हमारे देश के अन्दर १७० कारखाने हैं। उसमें १३३ कारखानों में ९-८ से नीच रिकवरी है। वहां भी आप गन्ने का दाम एक रुपया ७७ नए पैसे देते हैं यह ठीक है। इसके साथ साथ जो ३७ कारखाने साउथ में हैं और ऊपर भी हैं उनको इसका फायदा नहीं है। उनको भी इसका फायदा मिलना चाहिए। कहा जाता है कि उत्तर भारत में गुड़ और खंडसारी के लिए गन्ना जाता है उसको फैक्टरी की तरफ लाने के लिए यह भाव दिया है। लेकिन मेरा कहना है कि साउथ में भी वही हालत है जो कि उत्तर भारत में है। वहां भी ज्यादा दाम मिलने के कारण गुड़ और खंडसारी के लिए गन्ना जाता है। तो मेरा निवेदन है कि सारे देश में सरकार की एक ही पालिसी होनी चाहिए।

कहा जाता है कि महाराष्ट्र में रिकवरी ज्यादा होती है इसलिए वहां तो पैसा ज्यादा मिलता ही है। यह ठीक है कि कहीं एक एकड़ में १५ टन गन्ना होता है और महाराष्ट्र में ४.५ टन। लेकिन उस के साथ साथ यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जहां १५ टन होता है वहां फसल में ९ महीने लगते हैं और कम रुपया खर्चा आता है। लेकिन महाराष्ट्र में जहां ज्यादा गन्ना पैदा होता है वहां एकड़ के पीछे ६ गुना अधिक रुपया और खर्चा आता है और १८ महीने लगते हैं। जहां रिकवरी ज्यादा है वहां खर्चा भी ज्यादा है, इस लिए वहां भी ज्यादा दाम देने की जरूरत है। यह कहना ठीक नहीं है कि वहां रिकवरी ज्यादा है इसलिए ज्यादा दाम देने की जरूरत नहीं है। गन्ने के बारे में सारे देश में एक ही हालत है। जिस कारण से उत्तर भारत में गन्ना गुड़ और खंडसारी को जाता है उसी कारण से दक्षिण भारत में भी जाता है। वहां रिकवरी ज्यादा होती है तो गुड़ भी उस गन्ने का ज्यादा बनता है।

मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। महाराष्ट्र में एक एकड़ पर २५०० रुपया खर्चा आता है। इसको देखते हुए वहां गन्ने का उचित दाम नहीं मिलता। अगर वहां रिकवरी ज्यादा है तो गुड़ भी अच्छा बनता है और खंडसारी भी अच्छी बनती है। इसी लिए वहां गुड़ और खंडसारी बनाने के लिए ज्यादा लोग तैयार होते हैं। इसलिए यह बात सब जगह पर है तो मेरी प्रार्थना है कि मंत्री महोदय उस पर गौर करेंगे।

कई भाइयों ने कल भी कहा कि हमारे मिनिस्टर साहब स्वयं एक किसान हैं और एक फारमर होने के नाते स्वाभाविक तौर से वे इस मामल में ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी लेने वाले हैं। अभी

परसों जब मैं उनसे उनके आफिस में मिला था तो उन्होंने कहा था कि वह तो एक किसान हैं और उन के हित के बारे में वे सदा सोचा करते हैं। वे इस पर विचार करते रहते हैं कि किस तरह से काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा मदद की जाये ताकि वे अधिक उत्पादन कर सकें। हम लोग जो यहां उनकी समस्याओं पर विचार करते हैं तो इसी दृष्टिकोण को लेकर करते हैं कि किस तरह से उनको मदद व प्रोत्साहन दिया जाये। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय अवश्य ही उस बाबत गम्भीरता से सोचेंगे।

टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट में, कौस्ट आफ प्रोडक्शन जिसे कहते हैं, उसमें अभी तक सरकार ने निकाली नहीं है। कौस्ट आफ प्रोडक्शन क्या होती है और उस पर क्या भाव किसानों को देना चाहिए इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को इस पर पहले ध्यान देकर फिर उसकी कीमत तय करनी चाहिए।

किसानों को गन्ने का ज्यादा दाम देने से चीनी मंहगी हो जायेगी ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन इस के लिए मेरा कहना यह है कि दूसरे देशों में देखा जाय तो उत्पादन करने वाले लोगों को कौस्ट आफ प्रोडक्शन से ज्यादा कीमत दी जाती है। कौस्ट आफ प्रोडक्शन से भी ज्यादा कीमत बाजार में चीज लाने के लिए दी जाती है और ठीक हो तो उसके लिए सबसिडी दी जाती है। अब जहां तक कंजूमर्स को चीनी मंहगी न मिले इसके लिए सरकार को दूसरा इंतजाम करना चाहिए लेकिन सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि गन्ना उत्पादकों को, जो ऐन प्राड्यूसर्स हैं, उनको कम दाम देने से गन्ने की प्रोड्यूस ज्यादा नहीं होगी। इसलिए मेरा कहना है कि गन्ना पैदा करने वालों को सरकार को पहले सम्भालना चाहिए। उनका हित पहले सरकार को देखना चाहिए।

महाराष्ट्र सरकार ने ६० रुपये फी टन के हिसाब से गन्ना पैदा करने वालों को काम देने की सिफारिश की है। अधिक चीनी पैदा करने के लिए जाहिर है कि गन्ना उत्पादकों को सरकार को हर तरह से प्रौत्साहन व मदद देनी होगी।

अब जहां तक इंसैंटिव देने की बात है सरकार ने सन् १९५९–६० में कारखानों के लिये ९ करोड़ रुपये दिये और अभी साढ़े ४ करोड़ से ५ करोड़ तक और देने वाले हैं। मेरी विनती यह है कि जो इंसैंटिव फैक्टरी वालों को आप देते है तो यह इंसैंटिव अगर गन्ना पैदा करने वालों के हाथ में चला जाय, गन्ना उत्पादकों को इंसैंटिव देने का कोई इंतजाम हो तो आप देखेंगे कि देश में गन्ने का उत्पादन कहीं अधिक संभव हो सकेगा। आप कारखाने के लिये इंसैंटिव भले ही दें। लेकिन अगर गन्ने पैदा करने वाले किसानों को प्रोत्साहन नहीं मिला तो गन्ना मिलों में पेरने के लिये आयेगा कहां से ? इसलिये ऐसा न हो कि चीनी के कारखानेदारों को तो इंसैंटिव दें और किसानों की इस बारे में उपेक्षा कर दें क्योंकि उस हालत में गन्ना जब पैदा ही नहीं होगा तो वह कारखाने चीनी कहां से बनायेंगे ?

ऐक्साइज ड्यूटी के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि अक्तूबर में जो कारखाना शुरू होता है तो उसे ऐक्साइज ड्यूटी खाली चार दिनों की ही मिलनी है और होता यह है कि अक्तूबर में जो कई कारख़ाने चलते हैं तो उन को इस का फायदा नहीं मिलता है। इस के लिए मेरी प्रार्थना है कि ऐक्साइज ड्यूटी अक्तूबर महीने के साथ नवम्बर महीने की भी पकड़ लेनी चाहिए। नवम्बर के महीने में भी जहां शुगर पैदा होती है उस कारख़ाने को भी ऐक्साइज ड्यूटी माफ़ कर देनी चाहिए ....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब तो समाप्त ही कर दें।

श्री तुलशीदास जाधव : मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे भले ही अन्त में लेकिन थोड़ा सा समय, गन्ना उत्पादकों की बात रखने के लिए दिया। मेरी प्रार्थना है कि वे गन्ना उत्पादकों के हित का सदा ध्यान रखेंगे और इस का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन को हर संभव मदद व प्रोत्साहन देंगे।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री(श्री स्वर्ण सिंह)** : मैं चालू वर्ष में चीनी की स्थिति के बारे में कुछ बताना चाहता हूं तथा आप को यह भी बताना चाहता हूं कि आगामी वर्षों में, उन बातों को ध्यान में रखते हुए जिन की कुछ वर्षों पूर्व सभा में घोषणा की गई थी, क्या स्थिति होगी। चीनी की उपलब्धि के बारे में ऐसे समय विचार हो रहा है जब कि देश के कई भागों में उपभोक्ताओं को चीनी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।

वर्ष १९६२-६३ में अक्टूबर मास में १०.२६ लाख चीनी बकाया थी। सभी बातों को दृष्टि में रखते हुये यह आशा की गई थी कि २४.५ लाख टन चीनी का उत्पादन किया जायेगा। यह आंकड़े दिसम्बर १९६२ तक रहे। अतः कम से कम अनुमानों के आधार पर यह हिसाब लगाया गया था कि वर्ष १९६२-६३ में ३४.७६ लाख टन चीनी उपलब्ध होगी।

उक्त उपलब्धि के आधार पर ४.३८ लाख टन चीनी के निर्यात के संबंध में भारतीय समझौता कर लिया गया। तथापि वास्तविक उत्पादन २१.५० लाख टन हुआ। अतः १९६२-६३ में चीनी जो उपलब्ध हो सकी उस की मात्रा केवल ३१.७६ लाख टन रही।

अब हम उक्त स्थितियों में व्यवसाय की गतिविधि देखेंगे। १९६१-६२ में कोई व्यावहारिक नियंत्रण नहीं था। और यदि कोई नियंत्रण था तो उसका यही उद्देश्य था कि बाजार में चीनी की अत्यधिक मात्रा न हो जाये, अतः चीनी आसानी से उपलब्ध होती रही और उपभोक्ता स्तर पर कीमतें बिल्कुल ठीक ही रहीं।

अब मैं आपको बताऊंगा कि १९६१-६२ की तुलना में १९६२-६३ में कितनी चीनी दी गयी। इस संबंध में मैं अप्रैल के महीने का उल्लेख करूंगा क्योंकि १७ अप्रैल १९६३ को ही मेरे पूर्वाधिकारी ने थोक तथा विभिन्न राज्यों को दिये जाने वाले कोटे में नियंत्रण लागू किया था। यह स्मरण रखना चाहिये कि नवम्बर १९६१ से मार्च १९६२ तक ९.६१ लाख टन चीनी मिलों से उठायी गयी थी जब कि नवम्बर १९६२ से मार्च १९६३ तक १०.१७ लाख टन चीनी मिलों से उठायी गयी। तथापि अप्रैल में कई उपभोक्ता केन्द्रों में कीमतों में तेजी आनी शुरू हो गयी अतः १७ अप्रैल १९६३ को सविस्तार नियंत्रण लगा दिया गया। अतः यह स्पष्ट है कि उत्पादन में कमी होने के बावजूद भी अप्रैल १९६३ तक चीनी बाजार में अधिक उपलब्ध थी और यह अधिक मात्रा १.२ लाख टन थी।

अतः सभा यह पूछ सकती है कि इस स्थिति का क्या कारण था ? ऐसा जान पड़ता है कि व्यापारियों ने जो स्थिति के संबंध में पूरी जानकारी रखते हैं, उन्होंने यह निश्चय किया कि वे थोड़ी सी मात्रा भी दबा के रखने पर बाजार में चीनी की कमी उत्पन्न कर सकते हैं और इस प्रकार मुनाफा कमा सकते हैं। इसी कारण १६ अप्रैल को मेरे पूर्वाधिकारी ने नियंत्रण लागू कर दिया।

यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि ३१ अगस्त तक चीनी की जो मात्रा देश के अन्दर उपभोग के लिये उठायी गयी थी वह २१.१२ लाख टन थी। जब कि १९६१-६१ में यह मात्रा २१.५१ लाख थी। उक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि हमारे देश के व्यापार का रवैया क्या है ?

अभी चालू चीनी का वर्ष समाप्त होने में ७ सप्ताह का समय और लगेगा क्योंकि नवम्बर मास में चीनी का उत्पादन आरम्भ हो जायेगा और तब हमें चीनी काफी मात्रा में उपलब्ध हो जायेगी।

जहां तक चीनी के वास्तविक स्टाक का संबंध है, उनके पास ५.०२ लाख टन है। सितम्बर, अक्तूबर तक ५०,००० टन चीनी और उपलब्ध हो जायेगी। इस प्रकार दो महीनों के अन्दर ५.५२

---

†मूल अंग्रेजी में

लाख टन चीनी उपलब्ध हो जायेगी । इन दो महीनों में निर्यात की राशि कम रहेगी । अतः चीनी की मात्रा को देखते हुए तथा इस बात को देखते हुये कि संभरण के दौरान कहीं चीनी जमा न होने पावे मेरे विचार से हम चीनी पर नियंत्रण कर सकेंगे ।

अब मैं आगामी वर्ष की संभावनाओं पर विचार करना चाहता हूं । हमें अगले वर्ष कम से कम ३ लाख टन चीनी का निर्यात करना है । मैं ने निश्चय किया है कि भविष्य में निर्यात के लिये तब तक कोई समझौता नहीं किया जायेगा जब तक कि हमें चीनी की वर्तमान स्थिति से संतोष न हो ।

मैंने अगले वर्ष चीनी के उत्पादन के लिये ३३ लाख टन का लक्ष्य रखा है । १९६०-६१ में हम ने ३०.२९ लाख टन चीनी का उत्पादन किया था । यद्यपि हमारी उत्पादन क्षमता उस समय २४.१४ लाख थी । चीनी के कारखानों में ४० से ५० प्रतिशत तक अधिक उत्पादन हो सकता है । १९६३-६४ में हमारी संस्थापित क्षमता २८ लाख टन है, तो क्या हम ३३ लाख टन का उत्पादन नहीं कर सकते हैं ।

अतः हमें यह प्रयत्न करना चाहिये जिस से कि गन्ना उत्पादक तथा कारखाने के कामगरों को अधिक उत्पादन करने का प्रयत्न करना चाहिये। साथ ही पेरने का समय भी अधिक लम्बा किया जाये । उत्तर प्रदेश व उत्तरी बिहार के कुछ भागों में गन्ने की पिराई वर्ष में बहुत कम दिनों तक होती है इससे उत्पादन मंहगा पड़ता है । कुछ सदस्यों ने यह आरोप लगाये हैं कि हमने कारखानों के प्रति बड़ी रियायतें की हैं । यह बात गलत है ।

कारखानेदारों को जो रियायतें दी जाती हैं वे इस प्रकार हैं । मौसम के आरम्भ में अतिरिक्त उत्पादन पर ५० प्रतिशत रियायत दी जाती है । व्यस्त अवधि में भी उन्हें रियायतें दी जाती हैं । अतिरिक्त उत्पादन पर उन्हें २० प्रतिशत उत्पादन शुल्क की रियायत दी जाती है । वर्ष के अन्तिम भाग में उन्हें ५० प्रतिशत की रियायत दी जाती है ।

हमें आशा है कि इन रियायतों का यह परिणाम होगा कि कारखानेदार अधिक से अधिक गन्ना प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे । इन रियायतों का कुछ लाभ गन्ना उत्पादकों को भी मिलेगा ।

गन्ना उत्पादकों को भी काफी प्रोत्साहन दिये गये हैं । उन्हें गन्ने के लिये अतिरिक्त मूल्य दिया जाता है यह मूल्य १.७५ रु० प्रति मन है । यदि उस का खेत मिल से अधिक दूरी पर है तो उसे २४ न० पै० प्रति मन अतिरिक्त कीमत मिलेगी । उक्त दोनों रियायतें उपभोक्ता के सर पर ही पड़ती हैं ।

यह राय दी गयी है कि गन्ने की कीमत सीधे चार आने प्रति मन बढ़ा दी जाये तथापि ऐसा करने से उपभोक्ताओं के सर पर १५ से १६ करोड़ रुपये का भार पड़ेगा । जहां तक चीनी पर राज्य तथा केन्द्रीय शुल्कों का तात्पर्य है, वे ८० करोड़ के लगभग आते हैं । इस के लिये संसद ने हमें अनुमति दी है । ऐसे समय जब कि हम आक्रांता से अपनी रक्षा करने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे समय १० या २० करोड़ रुपये करों से बचा लेना कहां तक उचित है ।

यह कहा गया है कि हम उद्योग को काफी रियायत दे रहे हैं, यह रियायत केवल अतिरिक्त उत्पादन पर दी जा रही है । वस्तुतः यह कार्य संसाधनों की वृद्धि को ध्यान में रखते हुये किया गया है ।

गन्ना उत्पादक के लिये भी काफी लाभ है । गन्ने की कम से कम दरें १.७५ रु० प्रति मन है । भीतरी क्षेत्र के गांवों के लिये २४ न० पै० अतिरिक्त दिये गये हैं । ये निर्णय सभी बातों पर विचार करने के उपरांत किये गये हैं । मेरे विचार से इन सभी बातों का उपयुक्त लाभ होगा तथा उत्पादन

[श्री स्वर्ण सिंह]

का जो लक्ष्य ३३ लाख टन है, वह प्राप्त हो जायेगा । वस्तुतः वर्ष के अन्तिम भाग में अधिक गन्ना प्राप्त करने के लिये हमें गन्ना उत्पादकों को अधिक कीमत देनी होगी । अन्यथा उसे गन्ना प्राप्त नहीं हो सकेगा । वस्तुतः यदि उत्पादन ३३ लाख टन से अधिक रहेगा तो हमें रियायतें देने की आवश्यकता नहीं होगी । तथापि जहां तक हमारा ख्याल है इन सब रियायतों के बाबजूद भी हमारा उत्पादन ३० या ३१ लाख टन से अधिक नहीं होगा । इसलिए ऐसी रियायतें देने की आवश्यकता है ।

मुझे विश्वास है कि उक्त रियायतों के फलस्वरूप उत्पादनकर्त्ता को १० से १२ करोड़ रु० तक प्राप्त होंगे । यदि हम उत्पादन शुल्क में रियायत करेंगे तो कुल रियायत ४·५ करोड़ के लगभग होगी । इस में से भी आधा करों के रूप में चला जायेगा ।

मुझे पूरा विश्वास है कि उक्त रियायतों से मिलों को अधिक उत्पादन करने तथा उत्पादकों को अधिक गन्ना उत्पादन करने की प्रेरणा मिलेगी ।

मैंने ३३ लाख टन का लक्ष्य इस आशय से रखा है कि ५ लाख टन चीनी निर्यात की जायेगी तथा १ से २ लाख टन चीनी अगले वर्ष के लिये रखी जायेगी । अब यदि चीनी का उत्पादन ३० लाख टन भी हो तो भी स्थिति बुरी नहीं रहेगी । निःसन्देह इस के लिए अच्छी व्यवस्था और काफी ध्यान देने की आवश्यकता होगी ।

यह कहा गया था कि कारखानों तक चीनी का संभरण विनियमित होना चाहिये । मुझे यह जानकर दुख हुआ कि मिलों तक गन्ना पहुंचाने में संभरणकर्ताओं को बहुत कठिनाई होती है, उन्हें बहुत समय के लिये ठहरना होता है तथा उन्हें नियमित रूप से भुगतान नहीं किया जाता है । हम इस प्रकार की कठिनाई दूर करने का भरसक प्रयत्न करेंगे ।

अब मैं वितरण का प्रश्न लेता हूं । चीनी वितरण और नियंत्रण आदेश पर कोई आलोचना और सुझाव नहीं आये हैं । इस सम्बन्ध में जो भी आलोचना हुई है उस का सारांश यह है कि कुछ कदाचार हुए हैं । इस के वितरण के विवरण तब तैयार किये गये थे जब सारी व्यवस्था उपयुक्त नहीं थी । अब सामान्य जानकारी यह है कि स्थिति में काफी सुधार हो गया है । इस में सन्देह नहीं है कि कदाचार हुए हैं । राज्य सरकारों ने ४०० व्यक्तियों पर मामले चलाये हुए हैं । इस से स्पष्ट है कि राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में सख्ती कर रही हैं ।

स्पष्ट है कि संभरण की स्थिति पिछले वर्ष की तरह है, चीनी की कमी का कारण यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या की अतिरिक्त मांग पूरी नहीं हो सकी है । तथापि मेरे विचार से कानूनी तथा प्रशासनिक कार्यवाही करने के अतिरिक्त चीनी की उपलब्धि संबंधी स्थिति इस प्रकार है कि उस में कदाचार की गुंजायश अधिक नहीं है ।

मैं इस मामले में कोई लिहाज नहीं करूंगा । पूरा प्रयत्न करूंगा कि राज्य सरकारें भी इस वितरण मशीनरी पर पूरा ध्यान रखें । वितरण के मामले में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिये । यह तो मुख्य बात है । बहुत से माननीय सदस्यों ने गन्ना अनुसंधान केन्द्रों का प्रश्न प्रस्तुत किया । यह ठीक है कि मुख्य गन्ना अनुसंधान केन्द्र कोम्बेटूर में है । परन्तु वहां बड़ा ही शानदार काम हुआ है । देशवासियों तथा विदेशियों ने उस की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है । वैज्ञानिकों तथा तकनीकी लोगों ने भी उस की प्रशंसा की है । सुझाव दिया गया था कि इस प्रकार के केन्द्र उत्तर भारत में स्थापित किये जाने चाहियें । यह ठीक है कि गन्ना अनुसंधान का केन्द्र कोम्बेटूर में है, परन्तु उत्तर भारत के राज्यों में गन्ने के खेत हैं जहां कि वहां की गई अनुसंधान को वास्तविक रूप में कार्यान्वित किया जाता है । विभिन्न प्रकार

के गन्नों का उत्पादन इन क्षेत्रों में जलवायु के अनुकूल हो रहा है । जो लोग गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं उन्हें दी जाती सुविधाओं में और अधिक सुधार किया जाना चाहिये । पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में दो दो तीन तीन स्थान ऐसे हैं, जहां पर इन सुविधाओं से लाभ उठाया जा सकता है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

लखनऊ का गन्ना अनुसंधान केन्द्र बहुत अच्छा कार्य कर रहा है । चीनी और गन्ने की तकनीक के बारे में यह काम काफी महत्वपूर्ण है । यद्यपि कोयम्बटूर जैसा कोई अनुसंधान केन्द्र उत्तर में नहीं है परन्तु कोयम्बटूर में किये गये अनुसंधान कार्य के परिणामों को यहां पर कार्यान्वित कर के देखा जाता है । सभी दिशाओं से उस की प्रशंसा हुई है । वे कार्य काफी लाभदायक रहे हैं । उन्हें बढ़ाना चाहिए और अन्य इस प्रकार के केन्द्रों की व्यवस्था की जानी चाहिये । सरकार इस बात को देखेगी कि इस प्रकार उपलब्ध होने वाली सुविधाओं में और अधिक क्या सुधार किया जा सकता है और उन्हें किस प्रकार और सुधारा जा सकता है । करनाल में भी इस प्रकार का एक सुधार केन्द्र काम कर रहा है । कई माननीय सदस्यों ने यह बात कही है कि राज्य सरकारें गन्ना विकास की ओर समुचित ध्यान नहीं दे रही हैं । जो धनराशि गन्ना उपकर से प्राप्त होती है, वह गन्ने के विकास पर खर्च नहीं की जाती । यह ठीक है कि गन्ना उपकर से प्राप्त सारी धन राशि गन्ने के विकास पर खर्च नहीं की जाती । हम राज्यों को इस बारे में अधिक धन खर्च करने का आग्रह करेंगे । इस संदर्भ में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि गन्ना उपकर के बारे में राज्यों के विभिन्न विधानों का भी मैं सविस्तार अध्ययन कर रहा हूं । क्या यह राशि इस दिशा में खर्च हो सकती है कि नहीं । खैर उस का मुख्य भाग तो इस के लिये खर्च होना ही चाहिये । हमें इस के लिए राज्यों को आग्रह करना होगा । पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि वह गन्ना उपकर की सारी राशि गन्ने के विकास पर ही खर्च कर देगी । वैसे राज्यों ने १२ लाख में से ८.५९ लाख इस के लिए खर्च कर दिया है । वैसे कारखानों को दिये जा रहे गन्ने की मात्रा भी बहुत अधिक नहीं है ।

कुछ ऐसे चीनी कारखानों का कुछ माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया था जिन से कुछ लाभ नहीं हो रहा । इन अलाभप्रद गन्ना कारखानों के प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं और सरकारी स्तर पर इस की जांच करने की व्यवस्था हो रही है । इस जांच के पूरे हो जाने पर हम कुछ उपचारात्मक कदम उठा सकेंगे । देखना होगा कि इस बारे में कौन से साधन उपयोगी सिद्ध होंगे । परन्तु क्या किया जायेगा, इस बारे में इस समय तुरन्त कुछ भी नहीं बता सकता । चीनी के बेचने के लिए समुचित व्यवस्था किये जाने के प्रश्न पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है । इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय बात यह है कि अपने चीनी उद्योग के विकास की दृष्टि से, देश के विभिन्न भागों में प्रचलित मूल्य स्तर, निर्यात आदि को ध्यान में रखते हुए ही सब कार्य करना है । क्या सामान्य व्यापार व्यवस्था पर्याप्त है, यह देखना होगा । यदि नहीं, तो अच्छी विपणन स्थिति बनाने के लिए संगठन में फेर बदल करने ही होंगे । इस बात पर हम बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं ।

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री महोदय से एक क्वैश्चन पूछना है । अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि मंत्री महोदय का भाषण खत्म होने पर सवाल पूछे जा सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा माननीय सदस्य एक सवाल पूछ लें ।

श्री विभूति मिश्र : अभी मंत्री जी ने बतलाया कि तीन लाख टन हम चीनी अगले साल ऐक्सपोर्ट करने जा रहे हैं । पिछले साल जितनी चीनी उन्होंने ऐक्सपोर्ट की उस पर शुगर फैक्टरी का जो उन्हों ने घाटा लगाया चूंकि वर्ल्ड मार्केट में चीनी का दाम सस्ता था इसलिए वह घाटा सहा, आज

[श्री विभूति मिश्र]

वर्ल्ड मार्केट में चीनी का दाम महंगा है तो जितना पिछले साल शुगर फैक्टरी को उन्होंने दिया वह तो दे दिया लेकिन अभी हाल में एक रुपये मन चीनी का दाम बढ़ाया है, तो उस का भी कुछ हिस्सा कुछ प्रपोरशन गन्ना उत्पादकों को भी दें। इसलिए मैं समझता हूं कि आज जो गन्ना उत्पादकों की २ रुपये प्रति मन गन्ने के दाम की मांग है वह एक जायज़ मांग है।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : यह तो वर्ष के अन्त में हिसाब करने के बाद ही बताया जा सकता है कि हम को हानि हुई है या लाभ। बाद उस के आधार पर निर्णय किया जा सकता है। सरकार निश्चित रूप से अधिक उत्पादन चाहती है। यदि उत्पादन एक निश्चित सीमा से अधिक होता है तो उस से हमें निश्चित ही लाभ होगा। एक बात तो यह है कि उत्पादन एक स्तर तक रखा जाय। यह एक अच्छा सुझाव है जिस का विस्तार से अध्ययन हो सकता है, सतर्कता समिति इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि इस सम्बन्ध में स्थिति काफी लचीली रहे और जिस प्रकार की भी स्थिति का निर्माण हो उसी तरह कर लिया जाय।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : गन्ना उत्पादकों को जो अतिरिक्त देने का निर्णय किया गया था उस का क्या बना, इस सम्बन्ध में मिलों को कोई आदेश दिया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : लेखापालों की एक समिति मिलों का हिसाब देख रही है और वे आकड़े इकट्ठे कर रहे हैं ?

†**श्री शिव मूर्ति स्वामी** (कोप्पल): क्या और मिलें स्थापित करने के लाइसेंस दिये जायेंगे ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : अच्छा है कि माननीय सदस्य ने यह मामला भी प्रस्तुत कर दिया। यह सब हालात पर है परन्तु फिर हम नई मिलों को लाइसेंस देने का पूरा प्रयत्न करेंगे विशेष कर सहकारिता के क्षेत्र में।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि किसानों को प्रोत्साहन देने और चीनी के मूल्य को कंट्रोल करने के लिए क्या सरकार इस सिद्धान्त पर विचार करने जा रही है कि गन्ने का दाम दो रुपये मन और जितने आने मन गन्ने का दाम हो, उतने ही रुपये मन चीनी का दाम निश्चित कर दिया जाय।

श्री स्वर्ण सिंह : बहुत विचार करने के बाद ही हम ने यह कीमत तय की है। इस बिना पर कीमतें तय की जायें कि जितने रुपये मन हो, उतने ही आने सेर हो, यह तो करना मेरे लिए कठिन है, क्योंकि टैरिफ़ कमीशन कीमतों को देखता है।

†**श्री गौरी शंकर कक्कड़** (फतहपुर) : यह जो एक रुपये का दर बढ़ा दिया गया है, क्या इस का उपभोक्ताओं पर बुरा प्रभाव नहीं होगा ? इस के अतिरिक्त कई राज्यों में तो दो रुपये मन दिया ही जा रहा है।

†**श्री स्वर्ण सिंह**: यह बात गलत है कि कुछ राज्य २ रुपये मन दे रहे हैं। प्रत्येक राज्य को कोटा दिया जाता है और वह निर्धारित कीमत पर दिया जाता है। गन्ने की कीमतें कम से कम १.७५ नये पैसे निर्धारित है। अधिक से अधिक जो कोई कुछ चाहे दे सकता है।

श्री सिंहसान सिंह (गोरखपुर) : अभी यू० पी० के पूर्वी ज़िलों की कुछ मिलों की चीनी की कीमत बढ़ा दी गई है इस ग्राउंड पर कि उन का सीज़न बहुत कम रहा है। इस के अतिरिक्त बहुत सी

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मिलों ने सूक्रोस की रिकवरी के आधार पर गन्ने की कीमत १ रुपये, १० आने से कम दी है । इधर सरकार ने चीनी का दाम एक रुपया बढ़ा दिया है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि चीनी का दाम अधिक होने और गन्ने का दाम कम होने से मिलों को जो अधिक मुनाफ़ा हो रहा है, क्या उस का कोई हिस्सा काश्तकारों को भी दिया जायेगा ।

श्री स्वर्ण सिंह : जुलाई के महीने में नार्थ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कुछ मिलों को कीमत पर एक रुपया मन के हिसाब से ज़्यादा दिया गया था, मगर वह इस बिना पर था कि टैरिफ़ कमीशन के फ़ार्मूले के मुताबिक जो कीमत पहले नियत की गई थी, उस से ज्यादा कीमत उन की बनती थी । इस का बेसिस तो यही था कि चूंकि उन को नुक्सान है, इसलिए ज्यादा कीमत दी गई थी जुलाई के महीने में । अगर माननीय मेम्बर को इत्तिला हो कि किसी ख़ास मिल को ज्यादा मुनाफ़ा है, तो वह मुझे बता दें । मैं बैलेंस-शीट वग़ैरह देख लूंगा ।

श्री सिंहासन सिंह : मंत्री महोदय ने किसी ख़ास मिल के बारे में पूछा है । मैं उन को बता दूं कि,

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । कृपा कर के माननीय सदस्य अब बैठ जायें । केवल एक प्रश्न ही पूछा जा सकता है ।

†**श्री टे० सुब्रह्मण्यम** (बेल्लारी) : क्या सरकार द्वारा कमलापुर और बेल्लारी में सहकारिता के आधार पर मिलों को चालू करने के लाइसेंस दिये जायेंगे ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : मैं इस से पूर्व भी कह चुका हूं हम निश्चित रूप से नई मिलों के लिए लाइसेंस देंगे ।

श्री सिंहासन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि ....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : माननीय मंत्री ने कहा था कि जो मिलें सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से कम दे रही हैं उन के विरुद्ध कार्यवाही होगी । मैं ऐसी मिलों का नाम बताने को तैयार हूं ।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : मैं निश्चित रूप में इस बात पर गौर करूंगा ।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : माननीय मंत्री ने एक बात यह कही कि लास्ट यीअर भी चीनी की खपत २१ लाख और कुछ हजार टन हुई और इस साल भी अगस्त तक उतनी हुई । फिर मेरी समझ में नहीं आया कि क्या कारण था कि इस बीच में इतनी गड़बड़ी कैसे हो गई कि देहात में चीनी का दाम पौने दो रुपये, दो रुपये और ढाई रुपये सेर तक बढ़ गया ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं ने यही कहा कि ट्रेड ने इस में ठीक तरह काम नहीं किया और आंकड़े देने का मेरा मतलब ही यही था कि जब इतनी चीनी दी गई थी और उस के बावजूद उस के दाम इतने बढ़ गये, तो इसीलिए कंट्रोल लगाना पड़ा ।

श्री क० ना० तिवारी (बगहा) : जब लास्ट यीअर चीनी की पैदावार २१ लाख और कुछ प्वायंट्स हुई और जितनी आशा की जाती थी, उस से चार पांच लाख कम हुई और जब इस साल भी केन की हालत लास्ट यीअर की प्राडक्शन से अच्छी नहीं है, तो फिर किस बिना पर सरकार यह कह रही है कि हम ३३ लाख टन चीनी तैयार करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री स्वर्ण सिंह : मेरा ख़याल है कि जो कुछ मैं ने कहा, वह सारा इसी बिना पर था कि हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ज़रूर ३३ लाख टन चीनी की प्राडक्शन हो सकेगी। जहां तक उस में कमी होने का सवाल है, उस के बारे में भी मैंने काफ़ी वजाहत की है।

†**श्री शिवाजी राव श० देशमुख** (परमणी) : इस बार चीनी वितरण की स्थिति अच्छी रही है फिर मंत्री महोदय किसानों को २ रुपये मन देने को तैयार क्यों नहीं हो रहे ?

†**श्री सोनावने** (पंढरपुर) : कीमतें बहुत बढ़ गयी हैं। माननीय मंत्री ने कहा है कि ४०० ऐसे लोगों पर मुकदमे चलाये गये हैं जोकि कीमतों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी समझे गये हैं। क्या इसी से पता चल जाता है कि सरकार कीमतें न बढ़ने देने के लिए दृढ़ संकल्प है। इस दिशा में सरकार और क्या कर रही है ?

†**श्री स्वर्ण सिंह :** इस सम्बन्ध में मैं जो इस से पूर्व कह चुका हूं वह किया जायेगा। इस दिशा की खराबियों को सुधारा जायेगा। राज्यों को भी हम ऐसा करने के लिए कहेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह चर्चा समाप्त हुई। अब हम अगला विषय लेंगे।

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम श्री हजरनवीस द्वारा १० सितम्बर, १९६२ को प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे :

> "कि यह सभा १ अप्रैल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक की अवधि के लिए संघ लोक सेवा आयोग के बाहवें प्रतिवेदन पर, उस पर सरकारी ज्ञापन सहित, जो २८ अगस्त, १९६३ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, तीन दिनों से मैं बड़े ग़ौर से इस रिपोर्ट को पढ़ रहा हूं। मेरी समझ में नहीं आया कि एक तरफ़ तो इमर्जेंसी की बात कही जाती है और दूसरी तरफ़ नौजवानों को मौका नहीं दिया जाता है कि वे सेवा कर सकें। रीएम्पलायमेंट का मतलब यह है कि नौजवान तो भूखे और बेरोजगार होंगे और जिन लोगों ने अपनी जिन्दगी में लाखों रुपये कमाये हैं, वे फिर उन्हीं कुर्सियों में बैठे रहेंगे।

प्रतिवेदन के पृष्ठ ११ पर जो कुछ दिया है उस से स्पष्ट है कई अधिकारियों को पुनः नियुक्त किया गया, और यह कहा गया कि यह इसलिए किया गया है कि अनुभवी लोग उपलब्ध नहीं हो रहे। मतलब यह कि काम के लोगों का भी अकाल हो रहा है। यह बात बिल्कुल गलत है कि पंद्रह साल में हम टैक्नीकल हैंड्ज़ पैदा नहीं कर सके हैं। यह चीज़ सौ परसेंट गलत है। रुड़की यूनिवर्स्टी के ग्रेजुएट्स, वहां से निकले हुए विद्यार्थी जिन को एक हज़ार रुपया रोज़ पर अमरीका की सरकार बुलाती है और साथ में डी० ए० और टी० ए० देती है, कोई कारण नहीं है कि वे हिन्दुस्तान में यहां पर सर्विस न कर सकें। इन नौजवानों को भूखे रख कर, इन को बेरोज़गार रख कर बूढ़े लोगों को उन कुर्सियों पर बिठाये रखना बहुत बड़ी बेइंसाफी है, बड़ी भारी बेइंसाफी है। अगर कहीं ऐसा हो, अगर कहीं आप को इन बूढ़ों को रिएम्पलाय करना ही पड़े तो कम से कम इन अफसरों को एक जगह पर बैठने आप मत दीजिये। ये रिएम्प्लायड आफिसर्स जब एक जगह पर बैठते हैं तो या तो ये रह्यूमैटिज्म की बात करते हैं, या इनसोमनिया की बात करते हैं या फिर हाई ब्लड प्रैशर

---

†मूल अंग्रेजी में

की बात करते हैं या फिर आजकल के नौजवानों की, अपने जवान लड़कों की फिजूलखर्चियों की बातें करते हैं या फिर इस तरह की बातें करते हैं कि खर्च अधिक है और आमदनी थोड़ी है। जब इन को एक जगह पर मिल बैठने दिया जाता है तो ये जवान लड़कों पर लांछन लगाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि कोशिश की जाये कि दुबारा सर्विस में इस तरह के लोग न आ सकें और नवयुवक जो हमारी यूनिवर्स्टीज़ तैयार कर रही हैं, उन को मौका मिलना चाहिए।

अब मैं कलैक्टर की पोस्ट की बात करता हूं। इन की पोस्ट तब क्रिएट की गई थी जब वे लैंड रेवेन्यू कलैक्ट करते थे। उस वक्त हमारे मुल्क का दारोमदार लैंड रेवेन्यु के ऊपर था। आज मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मुल्क के अन्दर नई नई खानें खुल रही हैं, नया नया पेट्रोल निकल रहा है, नये नये शिल्प और कारखाने तैयार हो रहे हैं और आज लैंड के ऊपर हमारा दारोमदार नहीं रह गया है। आज के हालात में कलैक्टर की जो पोस्ट है वह आउट आफ डेट हो चुकी है और वे अपने आप को आज की परिस्थितियों में फिट इन नहीं कर पा रहे हैं, जनतंत्र में अपने आप को फिट इन नहीं कर पा रहे हैं और न ही वे कर सकते हैं। चूंकि यह पोस्ट आउट आफ डेट हो चुकी है, इस वास्ते इस को खत्म कर दिया जाये।

जो फिजिकल टैस्ट लिया जाता है, जो परसनैलिटी टैस्ट लिया जाता है, उस में कुछ पता नहीं लगता है कि क्या भूलभुलैयां है। अगर फिजिकल टैस्ट जरूरी है, अगर परसैनैलिटी टैस्ट जरूरी है तो मिनिस्टरों का भी वह होना चाहिये। समझ में नहीं आता है कि तीन सौ रुपये पर एक को नौकर रखते हैं उस का आप क्या फिजिकल या परसनैलिटी टैस्ट लेते हैं। एक स्टुडेंट जो जवान है, यूनिवर्स्टी में फर्स्ट आया है, जिस का दिल और दिमाग सही है, जिस की छाती सही है, घुड़सवारी में उस का निशाना ठीक है, उस में फर्स्ट आया है, यूनिवर्स्टी में उस ने टाप किया है, इस के बावजूद भी भूलभुलैयां की कोठड़ी में ला जाया कर के, उस को कैसे फेल कर दिया जाता है। यह फेवरिटिज्म नहीं है तो क्या है, भाई भतीजावाद नहीं है तो क्या है। भाई भतीजावाद तब खत्म होगा जब फेयर फील्ड एंड नो फेवर के सिद्धान्त को आप अपनायेंगे, जब सब को आप ईक्वल अपरचुनिटीज़ देंगे। भाई भतीजावाद तब खत्म होगा जब ये फिजिकल टैस्ट या परसनैलिटी टैस्ट जो हैं, ये खुले आम पेड़ों के नीचे बैठ कर लिये जायेंगे न कि कमरे के अन्दर कमरा, कमरे के अन्दर कमरा और फिर तीसरा कमरा, उसके अन्दर जा कर लिये जायेंगे। यह सब भूलभुलैयां। यह सब इसलिए होता है कि किसान का जो बेटा है, वह न आ सके, मजदूर का बेटा न आ सके, गरीब का बेटा न आ सके, उसका बेटा न आ सके जिस के मां बाप खर्च नहीं कर सकते हैं।

इस आदरणीय सदन में स्वर्गीय माननीय गोविन्द बल्लभजी पंत जब गृह मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे थे, तब उन्होंने यह वादा किया था कि सन् १९६३ में हिंदी को लोक सेवा आयोग द्वारा जो इम्तहान लिये जाते हैं, उनका माध्यम बना दिया जायेगा, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के टैस्ट हैं, उन का माध्यम हिन्दी बना दिया जायेगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हिन्दी को माध्यम बनाने के लिए क्या क्या कदम अब तक उठाये गये हैं और कहां तक आप इस मामले में तरक्की कर चुके हैं? सरकार को यह रिपोर्ट जरूर देनी चाहिये कि कब तक वह हिन्दी को माध्यम के रूप में स्वीकार कर लेगी। दुनिया का कोई भी अभागा देश ऐसा नहीं होगा जिस देश में पंद्रह सोलह साल आज़ाद होने के बाद भी हाई आफिसर्स की भाषा गुलामों की भाषा रही हो। अंग्रेजी भाषा गुलामी की निशानी है। यह एक विदेशी भाषा है और यह वह भाषा है जिस ने डेढ़ सौ बरस तक हम को परतंत्र बनाये रखा, हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा, उन बन्धनों में बांधे रखा। सरकार को ध्यान देना चाहिये कि किस तरीके से अंग्रेजी को खत्म करके हिन्दी को माध्यम के रूप में कायम किया जा सकता है।

[श्री यशपाल सिंह]

शिष्टाचार का तथा सदाचार का टैस्ट भी होना चाहिये। जो इखलाक का टैस्ट है, वह बहुत जरूरी है। बच्चों के अन्दर, नौजवानों के अ दर अगर नम्रता नहीं होगी, तो कभी भी देश की तरक्की आप नहीं कर सकेंगे। सब से बड़ा गुण जो है, वह नम्रता का है, सब से बड़ा गुण जो है, वह शिष्टाचार का है, अदब का है। अगर अदब नहीं है तो विद्या बेकार हो जाती है। विद्या का अर्थ है :

विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्

अगर विनय नहीं है, सदाचार नहीं है, इखलाक नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, तो विद्या बेकार हो जायेगी, व्यर्थ चली जायेगी। सब से पहला टैस्ट जो होना चाहिये वह शिष्टाचार का होना चाहिये, इखलाक का होना चाहिये, जो मिलने जुलने में कंजूस है, जो अपने साथ अपने भाइयों को बिठा नहीं सकता है वह देश की तरक्की नहीं कर सकेगा। जिन आई० सी० एस० अफसरान को डांस सिखलाया गया है, इन्कार करना सिखलाया गया, यह बताया गया है कि काले आदमी के साथ बात करोगे तो तुम्हारी पोजीशन खराब हो जायेगी, उन को आज मौका है कि शिष्टाचार की ट्रेनिंग दी जाये, सदाचार की ट्रेनिंग दी जाये। जिस के अ दर शिष्टाचार नहीं, सदाचार नहीं, जो हंसते हुए चेहरे से मिल नहीं सकता और मिलता भी है लोगों के साथ तो मातमी चेहरा बनाये रखता है, उसे और किसी डिस-क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यह सब से बड़ी डिसक्वालिफिकेशन है।

न हो जिस में अदब और हो किताबों से लदा फिरता
"जफर" उस आदमी को हम तसव्वुर बैल करते हैं।

जो समाज के साथ शिष्टाचार से मिल नहीं सकता है, जो अपने गरीब भाइयों को साथ ले कर नहीं चल सकता है, वह कभी भी देश को आगे नहीं ले जा सकता है। इसीलिए गीता में कहा गया है :

प्रसन्न चेतसो ह्यशु: बुद्धि: पर्यवतिष्ठते।

जो प्रसन्न चित्त रहता है जो अपने चारों तरफ प्रसन्नता बखेरता है, वही परमेश्वर को प्राप्त करता है, उसी की बुद्धि को ह्यवाशु बुद्धि कहा जाता है। आंज देश को आगे ले जाने की जरूरत है। इसके लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिये, उसको आप करें।

आज जरूरत इस बात की है कि आफिसर्स की तादाद कम की जाए। अंग्रेजों के जमाने में जितने आई० सी० एस० आफिसर्स थे, उससे आज हमारे यहां तिगुने हैं। काम तो कम हुआ है लेकिन इन आफिसर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। जो बेकार के आफिसर्स हैं, उनको आप न रखें। उनको लद्दाख के मोर्चे पर भेजा जाए। जब हर एक चीज को कम किया जा रहा है, मिनिस्ट्रीज को कम किया जा रहा है, मिनिस्टरों की तादाद को कम किया जा रहा है, कैबिनेट्स के साइज को घटाया जा रहा है, तो इनको तादाद को भी कम किया जाना चाहिये। ये तीन गुना आफिसर्स हमारे ऊपर लदे रहें, यह ठीक नहीं है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि काम करने के घंटे बढ़ाये जायें। पब्लिक सर्विस कमिशन का सब से बड़ा फर्ज यह है कि पुलिस को यह ट्रेनिंग दी जाए, आई० सी० एस० आफिसर्स को यह ट्रेनिंग दीजिए कि वे जनता के सेवक हैं, जनता के दरवाजे पर जा कर वे जनता के दुखों को, जनता को तकलीफों को दूर करें, उसको सेवा करें। मुझे इस बात का तजुर्बा है कि अगर इंगलैण्ड के अन्दर कोई सिविल सर्विस को जगह खाली हो जाती है तो वहा पर लोगों के दरवाजों तक पहुंचा

जाता है, होनहार बच्चों के दरवाजों पर पहुंचा जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि तुम आ कर सिविल सर्विस में भरती हो, यहां आकर इंतजाम करो, तुम्हें अच्छी तनख्वाह दी जाएगी लेकिन वे हाथ जोड़ कर कहते हैं कि कौन दुनिया की खुशामद करेगा। कौन दुनिया की सेवा करेगा। वहां हालत यह है कि लोगों की जा कर खुशामद की जाती है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे भरती हों, यहां हालत यह है कि एक तहसीलदार की जगह खाली होती है तो रात रात में दस हजार दरख्वास्तें आ चुकती हैं और यह सब इसलिये कि यहां का तहसीलदार अपने आपको हाकिम समझता है, हुकमरान समझता है बादशाह समझता है। इंगलैण्ड के अन्दर जब नौजवानों की खुशामद की जाती है तो वे समझते हैं कि यह सिविल सर्विस की पोस्ट लेने के बाद उनको जनता की ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी, जनता के सामने जाकर ज्यादा हाथ जोड़ने पड़ेंगे, ज्यादा बेगार करनी पड़ेगी, लेकिन यहां इसके बिल्कुल विपरीत बात है। इस ढांचे को बदला जाए। गांधी जी के शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि फाइलों के ऊपर फाइलें, फाइलों के ऊपर फाइलें रखने का जो सिलसिला है, उसको जला दिया जाए और मौके पर जा करके खुद इस बात की तहकीकात की जाए कि किस की ज्यादती है। यदि ऐसा किया जाएगा तभी कामयाब हो सकेंगे। यहां पर हिसाब उलटा है। अगर एक कलैक्टर के खिलाफ कोई दरख्वास्त देता है, कोई शिकायत करता है और उस पर सौ आदमियों के दस्तखत होते हैं तो जब वह दरख्वास्त सैंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है, तो सैंट्रल गवर्नमेंट उसको चीफ मिनिस्टर के पास भेज देती है, चीफ मिनिस्टर, चीफ सैक्रेटरी के पास भेज देता है, चीफ सैक्रेटरी रेवेन्यू सैक्रेटरी के पास भेज देता है, रैवैन्यू सैक्रेटरी कमिश्नर के पास भेज देता है और एक साल के बाद हिरफिर कर वह दरख्वास्त उसी कलैक्टर के पास पहुंच जाती है जिसके खिलाफ वह लिखी गई होती है। तब जो दस्तखत करने वाले लोग होते हैं, उनसे बदला लेने की कोशिश की जाती है। जनता में तथा नौकरशाही में आपको समन्वय कायम करना पड़ेगा। जो लोग जनता के पैसे से चलते हैं, जनता से टैक्स ले कर चलते हैं, उनको यह शिक्षा देनी होगी।

सेवाधर्मः परम गहनो योगिना गम्यगम्यः

सब से बड़ा धर्म सेवा धर्म है। इस धर्म को अपना कर ही देश की तरक्की हो सकती है, इसके बगैर नहीं हो सकती है।

इसलिए मैं कहना चाता हूं कि इसको रिआर्गेनाइज किया जाए, आफीसर्स की तादाद कम की जाए, तनख्वाहें बड़े आफिसर्स की आधी की जायें, छोटे लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई जायें। जब यह सब कर दिया जाएगा तभी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कामयाब हो सकती है।

†श्री म० प० स्वामी (टंकासी) : संविधान के अनुच्छेद ३२३ के अन्तर्गत जो व्यवस्था है उसके अनुसार प्रथम अप्रैल १९६१ से २१ मार्च १९६२ तक की संघ लोक सेवा आयोग की कार्य-वाहियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इस प्रतिवेदन पर चर्चा करते हुए माननीय सदस्यों को यह अवसर मिलता है कि वे अपने सुझाव प्रस्तुत करें। और फिर उन सुझावों को आयोग तथा सरकार कार्यान्वित करे। आयोग ने बहुत अच्छा कार्य किया है इसमें कोई सन्देह नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद ३२० के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों को निर्धारित किया गया है। प्रतिवेदन से पता चलता है कि सरकार ने एक महत्वपूर्ण मामले में आयोग की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री म० प० स्वामी]

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा है कि आयोग तो पैसा कमाने वाली मशीन बन गया है। अनुच्छेद ३२२ के अन्तर्गत आयोग का व्यय देश के संचित कोष से किया जाता है। आवेदन पत्रों की फीस लगभग ११ लाख रुपया है। खर्च ३६,५२,००० रुपये है। इस का अर्थ यह हुआ २८,५२,००० रुपये का खर्चा संचित कोष से किया जाता है। मेरे विचार में आवेदन पत्रों के साथ फीस लेनी छोड़ देनी चाहिए। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को जो भी रियायतें दी जा रही हैं वह बहुत लाभदायक है, परन्तु यह दी जा रही रियायतें पर्याप्त नहीं हैं। सरकार को और आयोग को उन व्यक्तियों को, जो प्रथम नियुक्ति पर काम पर आते हैं, रेलवे किराया देने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए। इसी प्रकार पुलिस द्वारा चरित्र के प्रमाण के बारे में भी विचार करना चाहिए और इस तरीके को हटा देना चाहिए। वैसे सेवा-युक्त व्यक्तियों को समय समय पर चरित्र पर्यवेक्षण का अवसर दिया जाना चाहिए। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आई० ए० एस० के पदाधिकारियों को सेवा निवृत्ति के बाद नौकरी करने की अनुमति न दी जाय साथ ही सरकारी कर्मचारियों के वेतन क्रमों में जो असमानता पाई जाती है उसे दूर कर दिया जाना चाहिए।

श्री ओंकारलाल बेरवा (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, संघीय लोक सेवा आयोग की १२वीं रिपोर्ट पर मैं कुछ कहना चाहता हूं।

सब से पहली बात तो यह है कि सरकार को ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि आयोग के प्रतिवेदन समय समय पर प्रकाशित हों और उस पर चर्चा होती रहे। इस में विलम्ब नहीं होना चाहिये जैसा कि इस बार किया गया है। देखन में आया है कि पब्लिक में भी कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि पब्लिक सर्विस कमिशन जो है उस का कुछ महत्व नहीं माना जाता क्योंकि टाइम बे टाइम इस के प्रतिवेदन होते रहते हैं। इसलिये आयोग का दृष्टिकोण तो नाम मात्र का है। यह चीज इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि इसमें इतनी देर हो गई है।

अभी तक यह फैसला नहीं किया गया कि हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाए जिसकी सिफारिश राजभाषा आयोग ने की थी। इस विषय में जैसे जैसे देरी होती जाती है वैसे वैसे हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो पातीं। ज्यादातर लड़के अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। अगर हिन्दी को भी उच्च परीक्षाओं में रखा जाए तो ऐसा न हो और हमारी जरूरतें पूरी हो सकें?

इस रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि अभी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के बारे में बहुत कुछ होना बाकी है। कहा जाता है कि इस दिशा में बड़ी तरक्की हुई है, लेकिन रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि यह सही नहीं है। और अगर इसी रफ्तार से काम चलता रहा तो १५ साल में तो क्या ४५ साल में भी हमारी कमी पूरी नहीं हो सकेगी। इसलिए काम की रफ्तार को बढ़ाना चाहिए।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हम रूस आदि देशों से मशीनें मंगाते हैं उन पर काम करने के लिये वहीं के आदमी बुलाते हैं और उनको लाखों रुपया तनख्वाह देते हैं, पर हम इन कामों के लिये अपने नौजवानों को तैयार नहीं करते। हमको अपने नौजवानों को इन कामों के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि यह हमारा लाखों रुपया बच सके।

दूसरी बात मैं यह कहता हूं कि आई० ए० एस० आदि परीक्षाओं के लिए जैसे सौ या पचास या पांच सौ जगहें खाली हैं तो उन जगहों के लिए फिर जब परीक्षा हो तो उन्हीं लड़कों को

बुलाएं। अभी बम्बई में आई० ए० एस० के लिए इम्तिहान हुआ, लड़कों को उसके लिऐ बुलाया गया, १५० लड़कों को ले लिया गया और बाकी दो दो और तीन तीन सौ रुपया खर्चा करके वापस लौट आए। एक कोटा, राजस्थान, से भी लड़का गया था, वह भी दो सौ या तीन सौ रुपया खर्च करके वापस आ गया। उसने चिट्ठी लिखी तो उसको यह जवाब मिला कि हमने जितने लड़के बुलाए थे उनको बिठाया गया, और की जरूरत नहीं है। हमने औरों के लिए दूसरी जगह इन्तिजाम किया था, उसका शायद आपको पता नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी पोस्टें खाली हों उतने ही लड़कों को बुलाया जाए ताकि उनको विश्वास रहे कि हमको इम्तिहान में बिठाया जाएगा। इस इम्तिहान में तो बहुतों को परीक्षा में बिठाया ही नहीं गया और वे वापस आ गए। तो जितने लड़कों को लेना हो उतनों को ही बुलाया जाए।

दूसरी बात यह है कि जो लड़के लिखित परीक्षा में अच्छे पास हो जाते हैं उनको परसनेलिटी टेस्ट में फेल हो जाने के कारण रिजेक्ट नहीं कर देना चाहिये। खास कर आज कल जब कि संकट कालीन स्थिति है ऐसा नहीं करना चाहिये। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि हमें इंजिनियर और टैक्नीशियन नहीं मिलते, उनकी कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिये मैं समझता हूं कि यूनियन पबलिक सरविस कमीशन और स्टेट कमीशन दोनों को मिल कर काम करना चाहिये और वे इस कमी को पूरा करें। मेरा सुझाव है कि ये कमीशन वाले हर ६ महीने बाद विभिन्न क्षेत्रों में जा कर देखें तो उनको अच्छे उम्मीदवार मिल सकते हैं।

यह आयोग तो धन कमाने की मशीन सा बन गया है। इसमें बड़े लोगों के लड़कों को ही अधिक प्रोत्साहन मिलता है, गरीब आदमियों को चांस ही नहीं मिलता। सत्तारूढ़ दल के लोगों को इससे लाभ होता है। वह अफसरों से कह देते हैं कि फलां हमारा लड़का है, उसे पास कर देना चाहिये। वह किसी न किसी का सरटिफिकेट लेकर पास हो जाते हैं। गरीब आदमियों का तो कहीं नाम भी नहीं होता।

इसमें यह कहा गया है कि कुछ लड़कों ने झूठे प्रमाण पत्र दाखिल किये। उनको दो साल से ले कर पांच साल तक के लिये परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। मेरा खयाल है कि ऐसे लड़कों के लिये यह सजा बहुत कम है, उनको इतनी कम सजा दे कर छोड़ दिया गया क्योंकि वे बड़े आदमियों के लड़के थे। मैं तो कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को तो दो-चार साल क्या बीस साल तक भी परीक्षा में नहीं बैठने देना चाहिये।

दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि एक अफसर को जिसने २०९ रुपये का गबन किया छोड़ दिया गया। जो मशीन १९५१ रुपए की थी उसका उसने १८०० दिया। लेकिन उसको छोड़ दिया गया और फिर से सरविस में ले लिया गया। यह तो भ्रष्टाचार का केस था। आयोग ने सिफारिश की थी कि यह भ्रष्टाचार का केस है लेकिन उसको छोड़ दिया गया। अगर कोई छोटा चपरासी दो चार रुपये भी ले लेता तो उसको फौरन मुअत्तिल कर दिया जाता। लेकिन इस अफसर को यह कह कर ले लिया गया कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सबूत देने वाले कौन हैं? रिपोर्ट में कहा गया है कि उसकी तरफ भ्रष्टाचार साबित हो चुका है, लेकिन फिर भी उसको छोड़ दिया गया।

इसी तरह से एक कम्बलों का मामला है। दो कम्बल घर पर रख लिये और उनका रुपया गवर्नमेंट से ले लिया। इस केस को भी छोड़ दिया गया। मेरा सुझाव है कि आयोग में ऐसे मेम्बर होने चाहियें जो कि बिल्कुल निःस्वार्थ हों और निःस्वार्थ भाव से काम करें।

[श्री ओंकारलाल बेरवा]

मैं तो यहां तक कहूंगा कि मैम्बरों को लेने के पहले जांच होनी चाहिये कि वह ईमानदार हैं या नहीं, इस जगह के काबिल है या नहीं।

एक बात और कहूंगा कि इन मेम्बरों में एक मेम्बर शिड्यूल्ड कास्ट का जरूर होना चाहिये। जैसे मान लो एक सिख मेम्बर है, तो सिख लड़कों को यह विश्वास रहेगा कि हमारा एक मेम्बर है, उसका कुछ असर होगा। उनको विश्वास रहता है कि हमारा भी कोई यहां पर है। इसी तरह से इन मेम्बरों में एक शिड्यूल्ड कास्ट का मेम्बर रखा जाये। और इन मेम्बरों को गांवों में जा कर देखना चाहिये कि लोगों को किन किन सुविधाओं की जरूरत है।

एक बात और कहना चाहता हूं। ज्यादातर लोग भारतीय इतिहास को छोड़ कर दूसरे देशों का इतिहास पढ़ कर परीक्षा देते हैं। रहते तो हिन्दुस्तान में हैं और किताबें पढ़ते हैं रूस की, अमरीका आदि की। उन देशों का ज्ञान प्राप्त करना ठीक है लेकिन हमको हिन्दुस्तान का इतिहास बहुत अच्छी तरह पढ़ना चाहिए जैसे मनुस्मृति है या हमारे अन्य शास्त्र हैं। अगर इनको पढ़ कर परीक्षा दें तो बहुत अच्छा हो। अभी तो लोग नकली साहब बन जाते हैं, हिन्दी को पीछे फेंक देते हैं और अंग्रजी को आगे बढ़ाते हैं। उनको हिन्दुस्तान का इतिहास नहीं मालूम, पर बतलाते हैं कि रूस मे यह हुआ था और इंगलैंड में यह हुआ था। इसलिय में कहता हूं कि अपने इतिहास को पढ़ाने का ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये और इन नकली साहबों को हटाना चाहिये और हिन्दी पर ज्यादा जोर दिया जाए और देश की विचारधारा को बिकसित किया जाए।

पबलिक स्कूल्स के बारे में बहुत कुछ चर्चा चली। आज कल इन स्कूलों को गवर्नमेंट न तो एड देती है और न मान्यता देती है। हम देखते हैं कि इन स्कूल्स में बच्चों को बढ़ने की अधिक सुविधायें मिल रही हैं जब कि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के स्कूलों में लड़के टैंटों में पढ़ते हैं। मेरा विचार है कि पबलिक स्कूलों को मान्यता दी जानी चाहिये। और उन के विद्यार्थियों को पबलिक सरविस कमीशन की परीक्षाओं में बैठने का अवसर देना चाहिये। यह नहीं कहना चाहिये कि ये तो पबलिक स्कूल के हैं इसलिय इनको इम्तिहान में नहीं बिठाया जाएगा। इन स्कूलों से सरकार को बहुत कुछ सहारा मिल सकता है।

मेरा एक और सजशन है कि रिजल्ट जल्दी आउट होना चाहिये। अभी यह होता है कि दो दो तीन तीन साल रिजल्ट आउट में होने लग जाते हैं। अगर कोई लड़का सन् १९६१ में परीक्षा में बैठा है तो उसका रिजल्ट सन् १९६३ में निकलता है। लड़कों को बड़े लम्बे समय तक उसका इन्तिजार करना पड़ता है और इस बीच न वे किसी और सरविस में जा पाते हैं और न कोई और काम कर सकते हैं क्योंकि उनका ध्यान रिजल्ट की ओर लगा रहता है। और अगर वे फेल हो जाते हैं तो न इधर के रहते हैं और न उधर के रहते हैं। यह दो दो और तीन तीन साल तक रिजल्ट आना बहुत बुरा है। इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ता है क्योंकि इस बीच जिसकी सिफारिश आ गई वह पास हो जाता है। इसके अलावा जो लड़का २२ या २३ साल की उम्र में परीक्षा में बैठता है वह रिजल्ट आने तक २५ या २६ साल का हो जाता है और ओवर एज हो जाता है और उसको दूसरी जगह भी चांस नहीं मिल सकता। इसलिये मेरा सुझाव है कि जहां तक जल्द हो सके रिजल्ट आउट किया जाए ताकि लड़कों के भाग्य का जल्द निर्णय हो सके।

श्रीमती लक्ष्मी बाई (विकाराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे यू० पी० एस० सी० रिपोर्ट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया।

इस मोशन पर कल से हाउस में बहस चल रही है। अनेकों माननीय सदस्यों ने इस रिपोर्ट पर आपने विचार प्रकट किये हैं। कई माननीय सदस्यों ने यू० पी० एस० सी० के मैम्बर्स की नुक्ताचीनी की है लेकिन मैं रिपोर्ट पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंची हूं कि कमिशन और उसके मैम्बर्स का क्रिटिसिज्म मुनासिब नहीं है। कमिशन के मैम्बर्स की कोई ग़लती मालूम नहीं हो रही है। दरअसल चीज यह है कि हमारी गवर्नमैंट को एडमिनिस्ट्रेशन, और पोलिटिकल पार्टीज और इनफलुएंसेज इन गड़बड़ियों के लिये जिम्मेदार हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और पोलीटिकल लोग कमिशन को इंडिपेंडेंट नहीं रहने देते हैं और उस पर प्रैशर डालते हैं और उसके काम में इंटरफीएरेंस करते हैं। इसलिये कमिशन के मैम्बर्स की गलती नहीं है। जरूरत उस बात की है कि कमिशन को बतौर एक इंडिपेंडेंट बौडी के काम करने दिया जाय और उसमें किसी तरह की दख़लअंदाजी न की जाये। आज जो एक अंड्यू प्रैशर डाल कर काम करवाया जाता है वह क़तई बंद होना चाहिये।

किस तरह से सरकारी मुहकमे और एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्तियों आदि के मामले में धांधली बर्तते हैं और किस तरह से अपनी पसन्द के लोगों को नौकरियों में रखते हैं और अपने आदमियों को रख लेने के दो, दो साल बाद कमिशन में इसके लिए एडवरटाइज़मेंट कराते हैं कि अमुक अमुक क्वालिफिकेशंस का आदमी उन्हें चाहियें, इसके लिये मैं एक, आध केस सदन के सामने रखना चाहूंगी।

एक केस यह है कि बम्बई गवर्नमेंट ने एक आदमी को जिसे कि वह रखना चाहती थी १८-२-५९ को रख लिया और जिस पोस्ट पर वह आदमी उन्होंने अपना रख लिया था उस पोस्ट के लिए कमिशन में एडवरटाइज़मेंट उन्होंने २१-७-६१ को यानी २ साल ५ महीने बाद दिया। दो साल पांच महीने बाद कमिशन को इतिला मिलती है कि उन्हें इस, इस क्वालिफिकेशन का आदमी चाहिये। अब जिसको उन्हें रखना था, जिसमें उनका इंटरैस्ट था उसको तो दो साल पांच महीने पहले से रख लिया, सिर्फ आईवाश के लिए कमिशन को एडवरटाइज करने के लिये कहते हैं।

दूसरा केस इनफ़ारमेशन मिनिस्टरी का है। उन्होंने २९-११-५८ को जिसे वह रखना चाहते थे नौकरी में रख लिया लेकिन कमिशन को वह २०-५-१९६१ को इत्तिला देते हैं कि हमको इस तरह के आदमी की ज़रूरत है। पूरे दो साल पांच महीने और इक्कीस दिन के बाद कमिशन के जरिए उस पोस्ट के लिये मिनिस्टरी वाले एडवरटाइज़मेंट कराते हैं।

तीसरा केस दिल्ली म्यूनिसपल कारपोरेशन का है। कारपोरेशन का आफिस ७-४-५८ को एक आदमी को बतौर चीफ़ एकाउंटेंट के रख लेता है जिसकी कि एडवरटाइजमेंट की इत्तिला वह कमिशन को १२-५-६१ को देता है अर्थात् पूरे तीन साल, एक महीने और पांच दिन के बाद देता है। यह एडवरटाइज़मेंट्स भी एक बिलकुल आईवाश ही होकर रह जाते हैं क्योंकि जिनको उन्हें रखना था उनको तो वह पहले ही रख चुके हैं और उनको आगे भी बनाये रखने के लिये उनके पास यह ग्राउन्ड हो जाती है कि मौजूदा लोगों को उन कामों का तजुर्बा है और इसलिये वे उनमें तजुर्बेकार लोग ही रखना चाहेंगे।

[श्रीमती लक्ष्मी बाई]

रिपोर्ट को पढ़ने से मैं तो इसी नतीजे पर पहुंची हूं कि इसमें कमिशन और उसके मैम्बर्स की इतनी गलती नहीं है, ग़लती एडमिनिस्ट्रेशन और पोलिटिकल लोगों की है। इसलिये इन गड़बड़ियों के लिये कमिशन को इतना बदनाम करना बेकार बात है। अब किस तरह से पोलिटिकल इनफलुएंस काम करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन दखलअंदाज़ी करता है इसका पता इस चीज़ से लगता है कि कमिशन कंडीडेट्स का टैस्ट और इंटरव्यू वगैरह लेता है और कंडीडेट्स सैलेक्ट हो जाते हैं लेकिन दो महीने बाद रिगरेटफुल लैटर्स आ जाते हैं कि यू आर नौट कंसिडर्ड फिट फार एपायंटमैंट लेकिन जिन केसेज में पोलिटिकल प्रैशर पड़ जाता है उनके लिए ६, ७ महीने बाद दूसरा लैटर आ जाता है कि यू आर एपायंटेड। अब मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि एक बार उनको अनफिट करार दिये जाने के बाद वह फिट कैसे हो जाते हैं? स्पष्ट है कि पोलिटिकल प्रैशर पड़ता है और इस तरह से कमिशन के नामों में एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे लोगों द्वारा इंटरफीएरेंस किया जाता है। जिसको एक बार अनफिट होने का लैटर आ गया उसी को ६, ९ या १० महीने बाद दूसरा लैटर फिट होने का आ जाना साफ़ जाहिर करता है कि किस तरह से वहां पर प्रैशर डाला जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिये। यूनियन पबलिक सर्विस कमिशन देश में लोगों को नौकरियों के लिये चुनने की सर्वोच्च संस्था है और यह बहुत ज़रूरी है कि वह बिलकुल एक इंडिपेंडेंट बौडी की तरह काम करे और उसके काम में किसी तरह का कोई दखल या प्रैशर आउटसाइड क्वार्टर का न पड़े।

लेडी कैंडीडेट्स के बारे में मुझे यह कहना है कि सन् १९६०–६१ में विभिन्न सर्विसेज के लिए कुल बारह लड़कियां सेलैक्ट की गई हैं। एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव साइड में रक्खी गई है, एक पुलिस सर्विस में रक्खी गई है और दस लड़कियां क्लास वन सर्विस यानी आफिसर्स कैडर के लिए चुनी गई हैं। मेरा कहना यह है कि यह १२ की तादाद बहुत ही कम ह। लड़कियों का परसेंटेज विभिन्न सर्विसेज में इससे अधिक होना चाहिए। हमारी कुल चोदह स्टेट्स हैं जबकि लड़कियों की तादाद केवल बारह है अर्थात् फी स्टेट एक लकड़की भी नहीं ली गई है। आज समय का तकाजा है कि लड़कियों की तादाद सर्विसेज में बढ़ाई जाय।

आजकल स्कूल, कालिज और युनिवरसिटीज सब जगहों में हालांकि लड़कियों की तादाद लड़कों की अपेक्षा कम होती है, लेकिन उनका जो नतीजा निकलता है उसमें फर्स्ट और सैकेंड क्लास में पास होने वालों में लड़कियों की तादाद लड़कों की अपेक्षा अधिक रहती है। लड़कियों का पास होने का परसेंटेज लड़कों से ज्यादा रहता है। जहां तक लड़कियों द्वारा घर का काम और सर्विस करने का सवाल है लड़कियों ने मौका मिलने पर सिद्ध कर दिया है कि वे यह दोनों काम बखूबी अंजाम दे सकती हैं। वे नौकरी भी ठीक प्रकार से करती हैं और घर भी अच्छी तरह से चला लेती हैं। मैं ऐसे अनेकों उदाहरण दे सकती हूं जिनमें लड़कियां सर्विस कर रही हैं और घर भी वे अपना कुशलता से चला रही हैं, बच्चों को ठीक से पाल पोस रही हैं। इसलिए लड़कियों को इतनी कम तादाद में लेना, केवल १२ को सैलेक्ट करना यह एक अफसोस की बात है।

इसके अलावा होम डिपार्टमेंट ने आई० ए० एस० परीक्षा में उत्तीर्ण हो कर निकलने वाली लड़कियों के लिए एक बड़ा रिजिड रूल बना रक्खा है और वह यह कि इस पोस्ट पर लिये जाने पर वह शादी नहीं करेंगीं। वह जिंदगी भर अविवाहित ही बनी रहेंगी जिसका कि नतीजा यह होता है कि अनेकों मां, बाप अपनी लड़कियों को इस सर्विस में कम्पीट करने के

लिए भेजते ही नहीं। हमारे देश में कुछ कस्टम ऐसा पड़ा हुआ है कि कोई मां, बाप, अपनी लड़की को जिंदगी भर कुंवारी रखना पसन्द नहीं करता है । होम मिनिस्टर महोदय से मेरी विनती है कि इस शादी के रिजिड रूल को हटा लिया जाये ताकि लड़कियां अधिक तादाद में आई० ए० एस० के लिए कम्पीट कर सकें। यह डर कि इस सर्विस में आकर लड़की दोनों काम नहीं कर सकेंगी, मुनासिब नहीं है । वे घर और आफिस दोनों बखूबी सम्हाल सकेंगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि लेडी कैंडीडेट्स के बारे में जो इतने रिजिड रूल्स हैं उनको रिलैक्स किया जाये, ढीला किया जाये तब आप देखेंगे कि कितनी अधिक संख्या में इस सर्विस में लेडी कैंडीडेट्स आती हैं।

यहां पर पब्लिक स्कूल्स का गुणगान आये दिन होता है कि वहां का कैसा अच्छा इंतजाम होता है और कैसी अच्छी बच्चों को तालीम दी जाती है लेकिन मैं उनको यह बतलाना चाहती हूं कि आखिर इन पब्लिक स्कूलों को चलाने वाली औरतें ही तो हैं जिनके कि कारण हम देखते हैं कि वहां पर ऐडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा होता है और बच्चे कितने अच्छे रहते हैं। इसलिए मौजूदा रूल्स को सुधारना चाहिए। उनको इस तौर पर रिजिड नहीं रखना चाहिए।

स्टेट में भी जो पब्लिक सर्विस कमिशंस चलते हैं वहां पर भी यही तमाशा होता है । वहां पर भी इसी तरह का इंटरफीएरेंस और पोलिटिकल दबाव और अन्य दबाव काम करते हैं

†**श्री हजरनवीस** : जो राज्यों में होता है, मैं उसके लिए उत्तरदायी नहीं हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : राज्य में एक अलग लोक सेवा आयोग भी है ।

†**श्रीमती लक्ष्मी बाई** : मैं यह जानती हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसलिये इस की यहां चर्चा नहीं हो सकती। यह सुसंगश नहीं होगा।

श्रीमती लक्ष्मी बाई : अब अगर मैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशंस में जो गड़बड़ियां चलती हैं या दूसरे जो दबाव काम करते हैं उनका जिक्र करना चाहती हूं तो मैं इररैलेवेंट करार दी जाती हूं लेकिन जब स्टेट्स को रिआर्गेनाइज करना होता है और टुकड़े करना होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आ जाती है लेकिन जब उन गड़बड़ियों को दूर करने और उनका काम किस तरह से ठीक से चलाया जाय इसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं तो यह कह दिया जाता है कि वह तो स्टेट्स का सबजैक्ट है, यह मैं बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं हूं। वहां पर भी काफी गड़बड़ियां चलती हैं जिनको कि सुधारा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या का समय समाप्त हो चुका है ।

श्रीमती लक्ष्मी बाई : ठीक है अगर समय मेरा समाप्त हो चुका है तो मैं और अधिक नहीं बोलना चाहती हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अब्दुल गनी गोनी (जम्मू तथा काश्मीर) : कुछ क्षेत्र, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी संघ लोक सेवा आयोग बिल्कुल अवहेलना करता है । इससे आयोग में कहीं अविश्वास न हो जाए ।

माननीय मंत्री ने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोगों और संघ लोक सेवा आयोग में कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं इस से सहमत नहीं हूं। मेरा सुझाव है कि जो क्षेत्र दूर हैं और जहां कि उम्मीदवारों को इन्टरव्यू के स्थानों को आने में कठिनाई होती है, और पिछड़े क्षेत्र के लोगों को मौका देने के लिए आरम्भिक परीक्षाएं राज्य लोक सेवा आयोग ले लें और इन क्षेत्रों के लोगों की सेवा में लिए जाने की सिफारिश करें। इस काम में संघ सेवा आयोग काफी हद तक सहायक होगा ?

विभिन्न राज्यों में जो अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारी हैं उनको एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलना चाहिए। इससे एक तो राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी । दूसरे भ्रष्टाचार में कमी होगी। एक पदाधिकारी एक हीं स्थान में बहुत देर तक रह कर वहां प्रभावशाली बन जाता है। अतः उसकी तबदीली करना बहुत आवश्यक है ।

सारे भारत में इंजीनियरिंग, जंगलों, शिक्षा, चिकित्सा सम्बन्धी सेवाओं का एकीकरण किया जाना चाहिए ताकि इन सेवाओं के लोग जो कि आई० ए० एस० के लोगों से कम योग्य नहीं हैं, के साथ भेदभाव न हो ।

जब आई० ए० एस० अधिकारी और लोक सेवा आयोग स्वतंत्र संस्थाओं और स्वतंत्र व्यक्तियों की तरह से काम करेंगे तो भारत एक खुशहाल देश हो जाएगा ।

श्री धुरेश्वर मीना (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर परसों से बहस चल रही है । मैं इस रिपोर्ट पर विशेष तौर से इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं कि, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है, यह एक पैसा कमाने का कमीशन है । माननीय मंत्री महोदय ने इस का विरोध किया और कुछ एग्जाम्प्ल्ज मांगे ।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रकार की एग्जैम्पल्ज एक दो नहीं बल्कि कई आपको मिल सकती हैं। यू० पी० एस० सी० द्वारा जितने भी इम्तहान लिये जाते हैं, आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, आई० एफ० एस० इत्यादि के, उन में हम यह मान कर चलते हैं कि सारे देश का शासन इन्हीं अफसरों के द्वारा चलाया जाना है और इनके अन्दर इस प्रकार की बेईमानी और घूसखोरी नहीं चलनी चाहिये और अगर चलती है तो बहुत भारी भूल है । अगर पैसा मांग कर के, या सिफारिश के आधार पर किसी की किसी पोस्ट के अगेंस्ट नियुक्ति होती है तो यह बहुत ही गलत बात है और यह नहीं होनी चाहिये। इन सर्विसस के अन्दर बहुत ही तजुर्बेकार तथा बहुत ही अनुभवी आदमियों की जरूरत होती है । इस वास्ते में प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की बेईमानी को दूर करने का प्रयत्न किया जाए ।

शायद उनके दिमाग में यह चीज हो कि इस प्रकार की कोई बात नहीं हो रही है और उनको पता न हो कि वाकई में आफिसर्स क्या कर रहे हैं ; अगर एसी बात है तो उनको परसनली आफिसेस में जाकर देखना चाहिये ।

ढेबर कमिशन की रिपोर्ट पर जब चर्चा हुई थी तो मैंने कहा था कि जहां तक शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज कैंडीडेट्स का ताल्लुक है इनकी परीक्षा अलहदा होनी चाहिये। कुछ माननीय सदस्यों न बताया कि जो कुछ भी इस सम्बन्ध में सुझाव रखा गया था वह सब रिजैक्ट कर दिया गया है। मालूम नहीं, उन सदस्यों को ये फैक्ट्स कहां से प्राप्त हुए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों का कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन अगर अलग नहीं हुआ तो यह मान कर चलना कि उन्हें जितना भी आप रिजर्वेशन देना चाहते हैं या जितनी भी सीट्स देना चाहते हैं, वे उनको मिल जाएंगी, तो यह कभी नहीं हो सकेगा। उनका स्टैंडर्ड आफ लिविंग, उनका खान पान, उनका रहन सहन सभी भिन्न है, बहुत नीचा है, इसलिए इस प्रकार की कम्पीटीटिव परीक्षाओं में वे कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं।

जब कभी भी यू० पी० एस० सी० के द्वारा एडवर्टिजमेंट निकलते हैं, उनमें हमेशा यह लिखा रहता है :—

> "यदि उचित उम्मीदवार न उपलब्ध हुए तो अन्य उम्मीदवारों द्वारा रिक्त स्थान पूरे किए जाएंगे"

मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का जो सैंटेंस है, इसको हमेशा के लिए काट दिया जाना चाहिये। एसा होने पर जो रिक्त स्थान रह जाते हैं वे दूसरे कैंडीडेट्स द्वारा भर लिये जाते हैं और इस तरह से उन लोगों का चांस मारा जाता है। इस प्रकार से जो बैकैंसीज रह जाती हैं, उनको बाद में जब सूटेबल कैडीडेट्स अवेलबल हों, भरा जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि यह जो सुझाव मैंने ढेबर कमिशन की रिपोर्ट पर हुई बहस के दौरान दिया था, इसको स्वीकार कर लिया जाएगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि कलैक्टर, कमिशनर इत्यादि जो हाई आथोरिटीज हैं, उनके आफिसिस के काम करने के घंटे बढ़ा दिये जायें जिससे काम ज्यादा हो सके और अच्छा हो सके। मेरी मान्यता इस सम्बन्ध में यह है एक इंसान अपनी एफिशेंसी से ज्यादा काम नहीं कर सकता है। अगर घंटों के ड्यूरेशन को आप बढ़ा देते हैं तो भी उतना ही काम होगा जितना पहले हुआ करता था क्योंकि बढ़ाये गए वक्त में आदमी एफिशेंटली काम नहीं कर सकेगा। अगर आप छः के बजाय सात घंटे कर दें तो आप देखेंगे कि जितनी एफिशेंटली वह चार घंटे में काम कर सकता है और अच्छा कर सकता है, उतना काम वह बढ़ाये हुए घंटों में नहीं कर सकेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि बड़े बड़े आफिसिस, सरकारी आफिसिस के काम के घंटे बढ़ाने के बजाय उनके अन्दर काम करने की क्षमता को देखते हुए आपको इस ड्यूरेशन को रखना चाहिये।

श्री काशीराम गुप्त (अलवर): काम के घंटों का यू० पी० एस० सी० से क्या ताल्लुक है ?

श्री घुलेश्वर मीना : अप्रत्यक्ष रूप में उसका भी सम्बन्ध इसके साथ हो जाता है। यू० पी० एस० सी० के आदेशानुसार ही सब परीक्षायें चलती हैं।

एक बात और कह कर मैं समाप्त कर दूंगा। आप कहते हैं कि स्टेट्स के ऊपर आपका कोई दखल नहीं है, वह आपकी रिसपांसिविलिटी नहीं है। लेकिन आप देखें कि यहां के आफिसर्स वहां जाकर काम करते हैं और आपके जो आर्डर्ज हैं, उनको व कैरी आउट

[श्री धूलेश्वर मीना]

करती हैं। इस तरह से सैंटर और स्टेट्स की परीक्षाओं का जहां तक सवाल है, उसकी भी जिम्मेवारी केन्द्र पर आ जाती है। इसलिए इस पर भी आपको ध्यान देना होगा।

†श्री श० ना० चतुर्वेदी (फिरोजाबाद) : संघ लोक सेवा आयोग एक पवित्र संस्था है। यदि कोई नुक्ताचीनी करनी हो तो बड़े अच्छे ढंग से की जानी चाहिए।

आयोग का प्रतिवेदन, आंकड़ों आदि से भरा पड़ा है। आयोग को ऐसी कई बातों पर राए प्रकट करनी चाहिए जिससे कि प्रशासन में कुछ सुधार हो। उनको बताना चाहिए कि क्या अच्छे योग्य उम्मीदवार मिलते हैं शिक्षा प्रणाली में कुछ सुधार की आवश्यकता तो नहीं और क्या इन पदों के लिये अच्छे उम्मीदवारों को खींचने के लिए सेवा शर्तें आकर्षक नहीं हैं।

आयोग को यह बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि जिन तरीकों से उम्मीदवार चुने जाते हैं वे ऐसे हों कि देश के योग्य लोगों को चुना जाए।

आयोग के प्रतिवेदन के पैरा १७ में लिखा है कि ९५.८६ प्रतिशत उम्मीदवार जो कि आयोग की सिफारिश से नियुक्त किए गए थे, परीक्षा में संतोषजनक सिद्ध हुए, २.४० प्रतिशत असंतोषजनक और १.७४ प्रतिशत मिले जुले। लोगों का अनुमान इससे भिन्न है। यदि आयोग का अनुमान सही है तो प्रशासन में कार्यक्षमता की कमी की शिकायत नहीं होनी चाहिए।

व्यक्तित्व की जांच के समय उम्मीदवारों की दिमागी योग्यताओं के साथ साथ नैतिक योग्यताओं को भी आंकना चाहिए।

भारत में जनशक्ति की कमी नहीं है, परन्तु हम उसका सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते। चूंकि आई० ए० एस० और आई० ऐफ० एस० ज्यादा अच्छी सेवाएं समझी जाती हैं। कुछ लोग जिनकी योग्यता का लाभ अन्य सेवाएं उठा सकती हैं वे नहीं उठा सकतीं। इसलिए एकीकृत सिविल सर्विस होनी चाहिए। इस तरह से व्यक्तित्व के जांच के समय जिस सेवा के लिए उम्मीदवार को उचित समझा जाए उसमें लगा दिया जाए।

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजारी बाबू) : सदस्यों ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मेहनत से और कुशलता से काम करते की जो सराहना की है, मैं उसके लिए आभारी हूं।

चूंकि श्री कामत को ३.३० बजे कुछ काम से जाना है, अतः उनके कहने पर मैं उन के द्वारा उठाए गए मामलों को पहले लेता हूं। उन्होंने कहा है

हम संघ लोक सेवा आयोग के प्रति जो भूलें करते हैं उनके लिए उत्तरदायी होने के लिए हमें संविधान को शंशोधन करना चाहिए। उनका कहना है कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रति हमारे जो उत्तरदायित्व हैं उन्हें अधिक करना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि उनका सुझाव संविधान के अन्तर्गत जो राजनैतिक ढांचा बनाया गया है उससे

†मूल अंग्रेजी में

बिल्कुल असंगत है। हमारी संसदीय कार्यपालिका है और मेरा दृढ़निश्चय है कि संसद के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व कम सीधा करने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए।

संविधान के उपबन्धों को देखिये। अनुच्छेद ३१५ में कहा गया है :—

"(१) इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहत हुए संघ के लिये एक लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिये एक लोक-सेवा आयोग होगा. . . ."

अगले अनुच्छद में लिखा हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और अन्य सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते है। अनुच्छेद ३१६ के उपखण्ड (२) में लिखा है :—

"लोक सेवा आयोग का सदस्य, अपने पद-ग्रहण की तारीख से छः वर्ष की अवधि तक, अथवा यदि वह संघ आयोग है तो पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक तथा यदि वह राज्य आयोग या संयुक्त आयोग है तो साठ वर्ष की आयु को प्राप्त होने तक, जो भी इनमें से पहिले हो, अपना पद धारण करेगा:

परन्तु. . . .

(ख) लोक-सेवा आयोग का कोई सदस्य अपने पद से अनुच्छेद ३१७ के खंड (१) या खंड (३) में उपबन्धित रीति से हटाया जा सकेगा।"

लोक-सेवा आयोग के सदस्य की पदावधि न्यायपालिका के सदस्य की पदावधि की तरह सुरक्षित है। उस अनुच्छेद के उपखण्ड (३) में दिया हुआ है :—

"कोई व्यक्ति जो लोक सेवा-आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर पुर्ननियुक्ति के लिए अपात्र होगा।"

यह उस आलोचना का उत्तर है जिसके अनुसार लोक सेवा आयोग के सदस्य भविष्य बनाने के इच्छुक होते है। उनको राष्ट्र की प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। यही स्थिति अनुच्छेद ३१९ में भी दी गई है जिसके कारण पदावधि खत्म होने पर वह सरकार से कोई पक्षपात नहीं करवा सकता। अनुच्छेद ३२० में लोक सेवा आयोग के उत्तरदायित्वों का जिक्र है। उस अनुच्छेद का परन्तुक भी है। आखिर में अनुच्छेद ३२३ में दिया हुआ है :

"(१) संघ आयोग का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किये गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे, तथा ऐसे प्रतिवेदन के मिलने पर राष्ट्रपति उन मामलों के बारे में, यदि कोई हों, जिनमें कि आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया गया, ऐसी अस्वीकृति के लिये कारणों को स्पष्ट करन वाले ज्ञापन के सहित उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाये गा"

जहां संघ लोक सेवा आयोग की राए मन्जूर करने के और संसद को अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करने के प्रशासन के उत्तरदायित्व के बारे में सीधे ढंग से कहा गया है।

[श्री हजरनवीस]

संघ लोक सवा आयोग सेवाओं की नियुक्ति आदि के बारे में प्रस्ताव देने में कुछ प्रक्रियाओं का अनुसरण करता है । यदि हम उनका उल्लंघन करें तो यह संसद जो सर्वोच्च है को प्रतिवेदन में इसके बारे बता देता है। हम सही हों या आयोग यह निर्णय तो संसद करता है।

संसदीय सरकार में कार्य पालिका का संसद के प्रति पूरा और सीधा उत्तरदायित्व होना चाहिये । अतः उनका सुझाव संसदीय लोकतंत्र के विरुद्ध जाता है ; यदि कोई गलत बात हो तो वह सभा में उठाई जाती है। लोक सेवा आयोग तथ्य देता है। तभी उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और आयोग की राय न स्वीकार करने के कारणों के बारे हम बताते हैं ।

†**श्री हरिविष्णु कामत** (होशंगाबाद) : इस प्रतिवेदन में जो २० या अधिक परिशिष्ट दिये हुये हैं उनमें जिन भूलों का जिक्र है उनके बारे सरकार द्वारा कोई व्याख्या यदि को जाती है। अतः माननीय मंत्री उसे अब दे दें ।

†**श्री हजरनवीस:** हो सकता है उनकी राय मानने में देरी हो सकती है । या हम उन्हें मना लेते हैं या वे हमें मना लेते हैं। भिन्न राय रखने के बारे में सहमत होने से पहले तक काफी चर्चा करते हैं। जिस समय से हम किसी नौकरी के लिये आदमी मांगते हैं, तभी से चर्चा आरम्भ हो जाती है। मान लीजिये हमने किसी पद के लिये कुछ अर्हताओं वाले व्यक्ति की मांग की और आयोग समझता है कि इस अर्हता वाला व्यक्ति यह काम नहीं कर सकेगा, तो वे हमें उनमें परिवर्तन करने के लिये कहते हैं। वे बहुत जागरूक रहते हैं और राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं। चूंकि यह संस्था बिना डर और पक्षपात के काम करती है, अतः राष्ट्र को इनकी अनुगृहीत होना चाहिये। इसी लिये कुछ देरी होती है। अतः मेरे विचार में जिस संवैधानिक कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार काम करती है उससे श्री कामत का सुझाव असंगत है।

उन्होंने एक और प्रश्न यह पूछा था कि जब उम्मेदवारों की संख्या १९०२ है, तो इन्टरव्यू १९२१ के क्यों किये गये। जो परीक्षायें हम लेते हैं, उनमें से कुछ सैनिक सेवाओं के लिये होती हैं। लिखित परीक्षा हम लेते हैं किन्तु इन्टरव्यू सैनिक सेवा बोर्ड लेते हैं। यह अन्तर इस कारण है।

जहां तक आई० सी० एस० में 'चिट' प्रणाली के प्रचलित होने का संबंध है, में अपने अध्ययन के आधार पर कह सकता हूं कि इसमें भारतीयों की भरती के मामले में किसी प्रकार के दवाब या प्रभाव का प्रश्न नहीं होता था ।

कल वाद-विवाद सुनने के बाद मैंने आयोग के सभापति से पूछा था कि ऐसा कोई मामला हुआ है जिस में हमने किसी व्यक्ति को सिफारिश या प्रभाव लाने के कारण अनर्ह कर दिया हो। उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई मामला नहीं था क्योंकि किसी ने पहुंचने की कोशिश नहीं की। यदि किसी उम्मीदवार की ओर से ऐसा किया गया होता तो उसे तुरन्त अनर्ह कर दिया गया होता।

इस प्रश्न पर दो राय हो सकती हैं कि व्यक्तित्व परीक्षण उचित होता है या नहीं। किन्तु इस विषय पर स्वयं उम्मेदवार कोई राय कायम नहीं कर सकता। इन्टरव्यू वहां के सदस्यों और उम्मेदवार के बीच होता है और उम्मेदवार यह नहीं कह सकता कि वह अपनी आशाओं या अपने संबंधियों

---

†मूल अंग्रेजी में

की आशाओं तक नहीं पहुंचा। हो सकता है कि उसकी धारणायें बोर्ड की धारणाओं से भिन्न हों। किन्तु इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि किसी प्रकार का व्यक्तिगत प्रभाव न पड़े।

श्री कामत ने कहा था कि मौखिक परीक्षा लिखित परीक्षा से पहले होनी चाहिये। मैं भी इस विचार से आकर्षित हुआ हूं। किन्तु जहां तक मुझे मालूम है, बोर्ड का कोई सदस्य लिखित परीक्षा में किसी के अंक जानने का प्रयत्न नहीं करता। उसका संबंध केवल इन्टरव्यू में उम्मेदवार की सफलता से होता है। किन्तु यदि श्री कामत का यह सुझाव मान लिया जाये तो ६००० उम्मेदवारों का इन्टरव्यू करने के लिये कितने बोर्ड और कितना समय लगेगा। कोई कसौटी ऐसी होनी आवश्यक है जिन पर चुने जाने वाले उम्मेदवारों का पूरा उतरना आवश्यक है। जब श्री कामत परीक्षा में बैठे थे, तो उम्मेदवार २०० या ३०० होंगे और मुझे बताया गया है कि मौखिक और लिखित परीक्षा एक साथ होती थी। जब कभी किसी उम्मेदवार का दिन खाली होता था, तो उस दिन उसकी मौखिक परीक्षा ले ली जाती थी।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यह लिखित परीक्षा के बाद कभी नहीं होता था।

†**श्री हजरनवीस :** नहीं, दोनों एक साथ किये जाते थे। अतः मैं सहमत हूं कि इन्टरव्यू से पहले लिखित परीक्षा के परिणाम मालूम नहीं होते थे।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** तो मेरे सुझाव को क्यों नहीं अपनाया जाता?

†**श्री हजरनवीस :** किन्तु ६००० उम्मेदवारों के मामले में इसको कैसे अपनाया जा सकता है और यह संख्या बढ़ रही है? यह सुझाव भी नहीं माना जा सकता कि लोक सेवा आयोगों को केन्द्रीय सेवाओं के लिये उम्मेदवारों का अग्रिम परीक्षण करने के लिये कहा जाये। श्री कामत ने उपराष्ट्रपति और आतिथ्य विभाग को आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने की आलोचना की थी। पुराने भारत प्रशासन अधिनियम के अन्तर्गत गवर्नर-जनरल के निजी कर्मचारी उस समय के फेड्रल लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर थे। अतः राष्ट्रपति के कर्मचारियों के मामले में यह प्रथा अंग्रेजों के समय से चली आ रही है और जो चीज राष्ट्रपति पर लागू होती है वह उपराष्ट्रपति पर भी लागू होती है। आतिथ्य विभाग भी राष्ट्रपति के सैनिक सचिव के अधीन है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैंने अगले वर्ष नियुक्ति नियम और उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया था।

†**श्री हजरनवीस :** मेरे माननीय मित्र उपमंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दे दिया है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय देश का कानून है और इसे लागू किया जायेगा। उसके साथ साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हितों का संरक्षण किया जायेगा। यह एक कठिन समस्या है और हम इस पर विचार कर रहे हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या उन उम्मेदवारों को जो १९६० की परीक्षा में सफल हुये थे परन्तु जिन्हें अगले वर्ष नियुक्ति नियम के अधीन चुना नहीं गया था, अब चुन लिया जायेगा?

†**श्री हजरनवीस :** मैंने निर्णय का अध्ययन नहीं किया। हम शीघ्र ही एक निर्णय करेंगे और इसे लागू करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हजरनवीस]

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अंग्रेजों के दिनों में भी एक कलेक्टर या जिला अधिकारी क्या कर सकता था यदि माननीय सदस्य नरसिंहपुर जाये, तो उन्हें मालूम होगा कि आई० सी० एस० का एक सदस्य लोगों के कितने करीब हो सकता है। एक दो निर्देश ऐसे हो सकते हैं, जो में श्री कामत की अनुपस्थिति में करूंगा।

अब में आई० सी० एस० की उत्पत्ति और परम्पराओं का वर्णन करूंगा। एक धारणा यह है कि यह सेवा ब्रिटश असैनिक सेवा के नमूने पर बनाई गई थी, में इस राय से सहमत नहीं हूं। में ने जो अध्ययन किया है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि आई० सी० एस० ऐसी सब से पुरानी सेवा है जिसमें केवल गुणों के आधार पर प्रवेश किया जा सकता था और इस में प्रवेश करने के लिये बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था यह परम्परा अब तक चली आ रही है।

[डा० सरोजनी महिषी पीठासीन हुईं।]

१८३३ में जब मैकाले नियंत्रण बोर्ड के सचिव थे, यह प्रस्ताव माना गया था कि ईस्ट इंडिया कम्पनी में नियुक्तियां राजनीतिज्ञों के संरक्षण के रूप में की जायें। और प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर नहीं। १८७१ तक यही स्थिति रही। असैनिक सेवा के ऊंचे अधिकारी जिन्हें प्रशासी वर्ग कहा जाता है, केवल संरक्षण के द्वारा भरती किये जाते थे। बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्तियों का यह विचार था कि यदि ऐसा न हुआ, तो सत्तारूढ़ दल ब्रिटिश लोकसभा पर नियंत्रण नहीं रख सकेगा। ऐसे उदाहरण भी हैं, जबकि सरक्षण द्वारा नियुक्त किये व्यक्ति बहुत अच्छे और योग्य प्रशासक सिद्ध हुये हैं। इनमें कुछ नाम माऊंटस्टूअर्ट एलफिन्सट्न, मेटकाफ, जान लारेंस और थाम्पसन उल्लेखनीय हैं। इस विषय पर हमेशा विवाद रहा है कि प्रतियोगिता वाले अच्छे हैं या संरक्षण द्वारा नियुक्त किये गये उम्मेदवार अच्छे हैं। जहां तक भारतीय असैनिक सेवा का संबंध है, हमने यह आग्रह किया है कि यह प्रतियोगिता सब के लिये खुली होनी चाहिये और केवल गुण ही देखे जाने चाहिये। अतः मेरा इस सदन से निवेदन है कि इस सेवा की अपनी परम्परा है, इसमें प्रवेश बहुत कठिन प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा होता है और इसमें उन्नति केवल गुणों के आधार पर ही हो सकती है। यह इस सेवा की परम्परा है और यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से नकल की गई हो।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : क्या आप का कहना है कि आई० सी० एस० का जो ठोस ढांचा था, वह बना रहना चाहिये ?

†**श्री हजरनवीस** : यह एक और प्रश्न है। मैं 'ठोस ढांचा' शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता क्योंकि इसके साथ बहुत अरुचिकर परम्परायें हैं, किन्तु लोक प्रशासन का कोई भी विद्यार्थी यह कहेगा कि प्रशासकीय सेवा किसी भी सरकार का आधार है।

मैं यह कह रहा हूं कि सेवा में प्रवेश के लिये सबको समान अवसर मिलना चाहिये। संरक्षण को प्रवेश करने का एक घटिया तरीका माना गया है। १९वीं शताब्दी में और २०वीं शताब्दी के पहले भाग में प्रतियोगिता वालों को संरक्षण वालों से घटिया समझा जाता था। किन्तु आई० सी० एस० ने इस भावना को खत्म कर दिया था और हम इस परम्परा को जारी रख रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रस्ताव

मेरा सदन से निवेदन है कि संघ लोक सेवा आयोग अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक है और यह प्रयत्न करता है कि सेवा के प्रति लोगों का आदर बना रहे । उसका यह प्रयत्न है कि प्रत्येक योग्य व्यक्ति को सेवा में प्रवेश करने का समान अवसर मिले, जिसमें केवल वेतन ही आकर्षण नहीं है, बल्कि उसकी परम्परा भी एक आकर्षण है और यह भी सन्तोष है कि उम्मीदवार एक प्रतियोगिता परीक्षा की चुनौती को स्वीकार करके इसमें प्रवेश कर सकते हैं । अतः यह आवश्यक है कि वह अपना काम ऐसे तरीके से करे कि उम्मीदवारों को आयोग के न्याय में पूर्ण विश्वास हो ।

संघ लोक सेवा आयोग के ६ या ७ सदस्य एक बहुत बड़ा कठिन काम कर रहे हैं । मैं स्वयं कुछ बार चुनाव समितियों में बैठा हूं और कह सकता हूं कि इन्टरव्यू करने वाले का काम उम्मीदवार के काम से अधिक कठिन होता है । यदि दो उम्मीदवार लगभग बराबर योग्यता के हैं, तो यह निर्णय करना कि किसको ११५ अंक दिये जायें और किसको १२० बहुत कठिन होता है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : विभागाध्यक्ष वहां होता है और वह यह निर्णय कर सकता है ।

†**श्री हजरनवीस** : यह उसके लिए भी कठिन होगा । अतः हमें उन पर निराधार आरोप लगा कर उनके काम को और कठिन नहीं बनाना चाहिये ।

जैसाकि मैंने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद में उन्नति की ओर नहीं देखते । वे जानते हैं कि आयोग का सदस्य बन जाने से उनके पद सम्बन्धी उन्नति समाप्त हो गई है और यदि उन्होंने कोई गलती की, तो उसका प्रभाव सारे देश पर पड़ेगा । यद्यपि इन प्रतिवेदनों पर हर वर्ष बहस होती है, ऐसा एक भी मामला सामने नहीं आया जिसमें आयोग के सदस्य अपने कर्तव्य के सीधे मार्ग से भटक गये हों। उनका जितना उत्तरदायित्व है,उसके अनुरूप उन्हें वेतन भी नहीं मिलता । गैर-सरकारी सदस्यों को तो निवृत्ति-वेतन भी नहीं मिलता । फिर भी वे सदस्यता स्वीकार कर लेते हैं इस ख्याल से कि वे राष्ट्र की और जनता की सेवा कर रहे हैं।

अतः जब उनकी निष्पक्षता पर आघात किया गया तो मुझे बहुत दुःख हुआ था । मुझे दिल्ली में रहते पांच छः वर्ष हो गये हैं और मैं सिवाय श्री झा के, जो गृह-कार्य सचिव थे, आयोग के किसी सदस्य से नहीं मिला । वे अलग थलग रहते हैं और अपनी स्वतन्त्रता और ख्याति की कद्र करते हैं । यदि कोई ऐसा मामला हो जहां पर शक हो कि कड़े मापदंड का पालन नहीं किया गया, तो अवश्य उस पर ध्यान दिया जाना चाहिये किन्तु किसी सदस्य को उनकी निष्पक्षता पर शक नहीं करना चाहिये । श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने पूछा था कि परीक्षाओं में ब्रिटिश इतिहास या यूरोपियन इतिहास के विषय क्यों रक्खे जाते हैं, और उनमें एशियाई इतिहास, भारतीय इतिहास और अफ्रीकन इतिहास के विषय क्यों नहीं रखे जाते ।

मैं मानता हूं कि उन्हें भारतीय संस्कृति, इतिहास और सभ्यता का गहरा ज्ञान होना चाहिये परन्तु क्या ब्रिटिश संवैधानिक इतिहास के बिना भारतीय संविधान समझा जा सकता है । उदाहरणतया अनुच्छेद २६५ में उपबन्ध है कि कोई कर विधि के प्राधिकार के बिना न लगाया जाये । क्या ब्रिटिश संविधान को समझे बिना इन शब्दों का महत्व समझा जा सकता है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या अपने इतिहास को समझे बिना इसको समझा जा सकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हजरनवीस** : मैंने यह नहीं कहा कि भारतीय इतिहास को न पढ़ा जाये। उदाहरणतया यदि मैं कहूं कि तार्किक भौतिकवाद बहुत अच्छी चीज है और इसका अध्ययन करना चाहिये, क्योंकि इसे बहुत से प्रगतिवादी देशों में पढ़ा जाता है और इसे रूसी क्रांति की ओर निर्देश किये बिना पढ़ा जाये, जहां पर लागू किया जाता है, तो आप केवल सिद्धान्त पढ़ेंगे और उनकी व्यावहारिकता पर ध्यान नहीं देंगे ।

इसी तरह ब्रिटिश इतिहास एक अनिवार्य विषय है। मेरा विचार यह है कि भारत के संविधान को समझने के लिए ब्रिटेन के इतिहास और संविधान का अध्ययन बड़ा ही आवश्यक है। गत एक शताब्दी में उनको कौन से विषय पढ़ाये जाते रहे ? अन्य देशों में जो कुछ चलता है उसका मैंने समानान्तर अध्ययन किया है। हैलीबरी कालिज में प्रशिक्षण के समय में भी विधि और विधि शास्त्र का विषय पढ़ाया जाता है। ब्रिटिश विधि का ज्ञान दिया जाता है। यह भी ठीक ही है कि जिन लोगों ने वहां प्रशिक्षण लिया, उनमें से बहुत ही अच्छे प्रशासक निकले और बहुत से न्यायाधीश भी बने। सर जार्ज कैम्फल कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उनके लिखे हुए निर्णय योग्यता से भरे होते थे, बाद में राज्यपाल भी बन गये थे। सर जोन स्ट्रैचे भी ऐसे ही लोगों में से थे जो पहिले न्यायाधीश बने और बाद में राज्यपाल। इन अधिकारियों में विधि शास्त्री होने की पूर्ण योग्यतायें थीं। ये लोग संवैधानिक इतिहास के प्रवीण थे।

फ्रांस के इकोल नैशनलड अर्डामनिस्ट्रेशन में भी इसी प्रकार के विषय पढ़ाये जाते थे। इसकी ओर भी काफी लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ था। अभी हाल ही में मैंने एक लेख पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि फ्रांस के आज के विकास में वहां के असैनिक अधिकारियों का पूरा हाथ है। राष्ट्रपति दिगाल और उनमें पूर्ण सहयोग की स्थिति है। वे लोग समझते हैं कि हमें अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र तथा राजनीतिक संस्थाओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या वह फ्रेंच इतिहास का अध्ययन नहीं करते ?

†**श्री हजरनवीस** : वह फ्रेंच इतिहास का भी अध्ययन करते हैं, परन्तु दूसरी चीजों का भी अध्ययन करते हैं। प्रत्येक सदस्य को भारतीय इतिहास को पढ़ना ही चाहिए इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता। मैं तो यह देखने का प्रयत्न कर रहा हूं कि जो कुछ और जगह हो रहा है और अपने यहां नहीं आता। इसके लिए कुछ स्पष्टीकरण चाहिए। ऐसा लगता है कि हमने किसी बात को करने में जरूर कहीं भूल कर दी है। और यह प्रश्न कई बार मैं अपने आप से पूछता हूं। यहां पर जो प्रश्न प्रस्तुत होते हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जिस तरह हम लोगों को भरती कर लेते हैं उसका प्रभाव आज अथवा कल तक सीमित रहता नहीं। काफी बरसों तक चलता है। २० से ३० वर्षों तक। इन महत्वपूर्ण समस्याओं पर हम विविध रूप स विचार करते हैं। इसके विविध अंगों को देखते हैं। इन मामलों पर तुरन्त निर्णय कर देना सरल बात नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: : जो नयी शक्तियां उभर रही हैं उनका भी हमें अध्ययन करना होगा तथा एशिया के इतिहास पर दृष्टि डालनी होगी। हमारे देश में तथा अफ्रीकी देशों में जो नये तत्वों का उदय हो रहा है उसकी ओर आपका ध्यान गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हजरनवीस** : ठीक है ज्ञान बहुत ही व्यापक होना चाहिए। परन्तु मैं यह तर्क स्वीकार करने को तत्पर नहीं कि यदि एक व्यक्ति भूतत्व ज्ञान का स्नातक है तो वह अच्छा प्रशासक नहीं हो सकता। और उसका स्थान केवल प्रयोगशाला में ही हो सकता है। बहुत से लोग विभिन्न विपरीत दिशाओं से आये परन्तु अनुभवों के आधार पर अच्छे प्रशासक बन गये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : भ्रष्ट अधिकारी को सजा देने के बारे में सरकार ने आयोग की सिफ़ारिशों को स्वीकार नहीं किया इसके क्या कारण हैं ? जो तर्क दिये गये हैं वे सन्तोषजनक नहीं हैं।

†**श्री हजरनवीस** : यदि कोई सन्तुष्ट न होना चाहे तो मैं उसे सन्तुष्ट कैसे कर सकता हूं। हमने उस अधिकारी को सजा तो दी है। परन्तु उचित सजा क्या है, इस बारे में दो राय होना सम्भव है। १०००० मामलों में से हमने केवल एक से ही अपनी असहमति प्रकट की है। हमें अपनी जिम्मेदारियों का अहसास है। मुझे इस बात का खेद है कि भर्ती की प्रणाली को सुधारने के बारे में हमें समुचित सुझाव प्राप्त नहीं हुये। इसकी मुझे बहुत आशा थी। दूसरे देशों की लिखित परीक्षा न लेने की प्रणाली का उल्लेख किया गया है। इस ढंग से चुने गये असैनिक कर्मचारी भी काफी अच्छे सिद्ध हुए हैं। मेरी इच्छा थी कि विभिन्न दिशाओं में माननीय सदस्यों को जो अनुभव प्राप्त हुए उनके आधार पर कोई व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करेंगे। कुछ भी हो आखिरकार भूल तो हमें इस सदन के आदेशानुसार ही है, हमारा प्रदर्शन किया जा सकता। अतः अगली बार जब इस विषय पर चर्चा होगी तो मैं आशा करूंगा कि माननीय सदस्य अपने बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत करेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा १ अप्रैल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक की अवधि के लिए संघ लोक सेवा आयोग के बारहवें प्रतिवेदन पर, उस पर सरकारी ज्ञापन सहित, जो २८ अगस्त, १९६३ को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

भेषज तथा शृंगार सामग्री (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा की सिफारिश से सहमति का प्रस्ताव

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा अपनी २८ अगस्त, १९६३ की बैठक में स्वीकार किये गये और २ सितम्बर, १९६३ को इस सभा में भेजे गये प्रस्ताव में की गयी राज्य सभा की इस सिफारिश से कि लोक-सभा भेषज तथा शृंगार सामग्री अधिनियम १९४० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, सहमत है और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिए लोक-सभा के निम्नलिखित १० सदस्यों को मनोनीत किया जाये

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सुशीला नायर]

अर्थात् डा० रा० बनर्जी, श्री त्रिदिब कुमार चौधरी, डा० गायतोंडे, श्री शिव चरण गुप्त, श्री हरि विष्णु कामत, श्री लहरी सिंह, श्री बृज बिहारी मेहरोत्रा, डा० मेलकोटे, श्री मुरारका, श्री पाराशर, श्री द० ब० राजू, श्री राने, डा० सारा-दीश राय, श्री अ० त्रि० शर्मा, डा० सरोजिनी महिषी, श्रीमती जयाबेन शाह, श्री कृष्णपाल सिंह, डा० श्रीनिवासन, श्री नगेन्द्र प्रसाद यादव और डा० सुशीला नायर ।"

इस सम्मानीय सदन में बहुत बार औषधियों में मिलावट के बारे में चर्चा हो चुकी है। वर्तमान अधिनियम में औषध की परिभाषा के बारे में इस सदन में तथा राज्य सभा में भी काफी असन्तोष प्रकट किया जा चुका है । इसमें आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों को सम्मिलित नहीं किया गया। औषधियों पर पूरा नियंत्रण रखने के बारे में संसद् के दोनों भागों में तो चर्चा होती ही रही है । प्राक्कलन समिति ने अपने १३वें प्रतिवेदन में भी इस बात को उठाया है। औषध परामर्श समिति ने भी इसी प्रकार की सिफारिश की हैं। इसी प्रकार का एक प्रस्ताव केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् भी पास कर चुकी है । इन सब का कहना है कि आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों के निर्माण, वितरण और बिक्री पर नियंत्रण रखे जाने की आवश्यकता है ।

इस संशोधन विधेयक में परिभाषा तनिक और व्यापक बना दी गयी है ताकि इसके अन्तर्गत आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियां भी सम्मिलित हो सकें। यद्यपि इरादा यह है कि इन औषधियों पर बहुत कम नियंत्रण रखने का मेरा इरादा है । प्रथम बात यह कि इन औषधियों को बनाने में काफी सफाई रखी जानी चाहिए। दूसरे लेबल लगाने चाहिएं ताकि उसको ठीक तरह से चैक किया जा सके। तीसरे यह कि इन औषधियों के निर्माताओं को यह विश्वास हो कि औषधि का प्रयोग ठीक ढंग से और ठीक मात्रा में हो रहा है। विधेयक में मिलावट के लिए दंड को बढ़ाने का विचार किया गया है। दो वर्ष का दंड बढ़ा कर दस वर्ष करने का विचार है । इसमें यह भी व्यवस्था करने का विचार है कि यदि जानबूझ कर की गयी मिलावट सिद्ध हो जायेगी तो मिलावट कर रहे सब यंत्र इत्यादि जब्त कर लिये जायेंगे । मतलब यह कि इस व्याधि को रोकने का प्रयत्न किया गया है ।

कुछ छोटे छोटे संशोधन हैं। सब आनुषंगिक हैं। यदि आयुर्वेदिक और यूनानी औषध इस विधेयक के अन्तर्गत आ गये तो औषध नियंत्रण की प्रविधिक समिति में आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा प्रणालियों के ४ विशेषज्ञ शामिल कर लिये जायेंगे । हमारी प्रस्थापना यह है कि विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये, ताकि दोनों सदनों के विद्वान व्यक्ति उस पर विचार कर सकें। उद्देश्य यही है कि इस विधेयक के उपबन्धों को अधिक से अधिक संतोषजनक बनाया जाये। इन शब्दों से मैं अपने प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने की प्रार्थना करती हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : श्रीमान् जी, यह मेरा औचित्य प्रश्न है । मैं आपका ध्यान राज्य सभा द्वारा पारित प्रस्ताव की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं ।

---

†मूल अंग्रजी में

में इस प्रस्ताव के पास होने के रास्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं करना चाहता, परन्तु प्रश्न यह है कि हमें नियमों का ध्यान तो रखना ही चाहिए। नियम ७४ जोकि प्रक्रिया का नियम है कि इसे माननीय मंत्री प्रस्तुत करते हैं परन्तु राज्य सभा में क्या नियम हैं वह माननीय उपाध्यक्ष बतलायेंगे, क्योंकि वह राज्य सभा के कई वर्षों तक पीठासीन अधिकारी रहे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वहां भी यही नियम है। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : प्रवर समिति की बात नियम २९८ से ३०५ तक के अन्तर्गत आती है। इन नियमों के अनुसार प्रवर समिति का प्रतिवेदन सदन के समक्ष रखा जाता है। यह प्रतिवेदन जिससे हमें सहमत होने को कहा जा रहा है, वह राज्य सभा के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। मंत्री महोदय ने यह उल्लेख तो कहीं किया नहीं कि प्रतिवेदन इस सदन के समक्ष भी प्रस्तुत की जाये। मान लीजिए कि हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो समिति के लिए इस सदन के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा। क्योंकि प्रस्ताव में इस बारे में कुछ भी नहीं है। दूसरे सदन के समक्ष ही इसे रखा जायेगा। इस विधेयक का चार्ज लेने के लिए विधि मंत्री को यहां होना चाहिए।

बुलेटिन संख्या २ में कहा गया है कि विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए भेजा गया है। परन्तु यह कल नहीं था, शायद इसे आज किया गया है। संविधान के अनुच्छेद ११७(३) के अन्तर्गत जो अपेक्षित सिफारिशें कल सदन के समक्ष नहीं रखी गयी थी। खैर वह बहुत सौभाग्य शालिनी है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व ही उन्हें राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त हो गयी।

मैं संविधान के अनुच्छेद ११७(३) की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करवाता हूं। उसमें कहा गया है :—

"जिस विधेयक के अधिनियमित किये जाने और प्रवर्तन में लाये जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक संसद् के किसी सदन द्वारा तब तक पारित न किया जायेगा, जब तक कि ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से राष्ट्रपति ने सिफारिश न की हो।"

अनुच्छेद ११७(१) भी स्पष्ट है और ११७(३) भी स्पष्ट है।

अनुच्छेद ११७(१) भी लागू होता है, क्योंकि अनुच्छेद ११० में दिए गए पद (ङ) के बारे में यह व्यवस्था करता है। अतः जो प्रस्ताव माननीय मंत्री ने किया है वह विभिन्न आधारों पर नियम विरुद्ध है और जब तक ये गलतियां दूर नहीं की जातीं, तब तक इस पर चर्चा नहीं की जा सकती।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : दोनों सभाओं में सामान्य प्रथा यह रही है कि जिस सभा में विधेयक पेश किया जाता है, उसी के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम संयुक्त समिति पर लागू होते हैं। अब जो प्रस्ताव किया गया है, वह यह अनुमति प्राप्त करने के लिए है कि क्या सभा संयुक्त समिति के लिए प्रस्ताव से सहमत है। इस प्रश्न पर कोई औचित्य प्रश्न नहीं उठता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय]

यह तो वित्तीय विधेयक है । वित्तीय ज्ञापन दिया है और इस पर विचार के लिए राष्ट्रपति ने भी सिफारिश की है । वित्तीय विधेयक राज्य सभा में पेश किया जा सकता है। केवल धन विधेयक नहीं पेश किया जा सकता । अतः कोई औचित्य प्रश्न नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : जब तक सभा के सामने ऐसा प्रस्ताव नहीं है कि संयुक्त समिति का प्रतिवेदन सभा को पेश किया जाएगा, तब तक सभा को प्रतिवेदन पेश करना उनके लिए आवश्यक नहीं होगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संयुक्त समिति का एक सदस्य प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रख देता है । जब दूसरी सभा विधेयक को पारित करती है तो यह सभा उस विधेयक पर चर्चा करती है । जब विधेयक इस सभा में पेश किया जाता है, तो संयुक्त समिति का प्रतिवेदन दूसरी सभा के पटल पर रखा जाता है और इस सभा के पास आने के बाद जब दूसरी सभा को विधेयक भेजा जाता है, तभी वह चर्चा करती है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या दोनों सभाओं की प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में इन मामलों के बारे में स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक नहीं है ? इस पर नियम समिति को विचार करना है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आप अध्यक्ष महोदय को सुझाव दीजिए ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : जब पीठासीन हों तो आप अध्यक्ष होते हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह तो सहमति के लिए प्रस्ताव है। कोई औचित्य प्रश्न नहीं उठता । श्री कक्कड़ ।

श्री गौरीशंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत समय के बाद इस प्रकार का प्रयास सरकार की ओर से किया गया कि जड़ी-बूटियों में अशुद्धता के बारे में कड़ा कदम उठाया जाए। परन्तु मुझे बड़ा खेद है कि यह जो संशोधन इस विषय में प्रस्तुत किया गया है, यह एक काम्प्रिहैंसिव बिल नहीं है। इस में इस बात की कोशिश तो जरूर की गई कि अभी तक पुराने एक्ट में जो यूनानी और आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में उल्लेख नहीं था, उस को इस में बढ़ा दिया जाये। परन्तु इन पद्धतियों के अतिरिक्त और भी चिकित्सा-पद्धतियां हमारे देश में हैं — जैसे होमियोपैथी का सिस्टम है—, जिन के बारे में इस बिल में कोई उल्लेख नहीं है । यह नहीं कहा जा सकता कि होमियोपैथी में जो औषधियां तैयार होती हैं, उन में प्रायः मिलावट नहीं होती है, या वे हानिकारक नहीं होती हैं । इस लिए मैं समझता हूं कि इतने समय के बाद जब इस प्रकार का एक संशोधन इस सदन के सामने आया, तो उस में देश में प्रचलित दवा-दारू की सब पद्धतियों पर ध्यान देना चाहिए ।

इस विषय में एक बात मुझे विशेष तौर पर कहनी है और वह यह है कि जिस प्रकार ऐलोपैथी की औषधियों में अशुद्धता होने पर सजा या दण्ड दिया जाता है, उसी प्रकार इस बिल के द्वारा यूनानी और आयुर्वेदिक औषधियों के संबंध में व्यवस्था कर दी गई है । परन्तु प्रश्न यह है कि क्या भारत सरकार का व्यवहार आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों के साथ उसी प्रकार का रहा है, जिस प्रकार कि ऐलोपैथी पद्धति के साथ रहा है । क्या सरकार ने आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों को

---

†मूल अंग्रेजी में

भी वही प्रोत्साहन दिया है, जो कि ऐलोपैथी को दिया है। मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि इस विषय में कई कमेटियां बिठाई गईं, इस विषय में कई बार जांच कराई गई, परन्तु हमारे सामने जो भी रिपोर्ट मौजूद हैं, आज तक सरकार ने उन पर अमल नहीं किया है।

सब से पहले आयुर्वेदिक पद्धति के बारे में विचार करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रियों की एक कांफ्रेंस १९४६ में हुई। उस कांफ्रेंस के आधार पर चोपड़ा कमेटी नियुक्त की गई और उस कमेटी की रिपोर्ट आ जाने के बाद अन्त में दवे कमेटी मुकर्रर की गई। उस के पश्चात् मिनिस्ट्री आफ हैल्थ, गवर्नमेंट आफ इंडिया ने अभी जो कमेटी मुकर्रर की, उस के चेयरमैन डा० के० एन० उडुपा थे। उसकी भी रिपोर्ट हमारे सामने है।

†एक माननीय सदस्य : क्या यह सभी देशीय औषधियों के लिए था ?

†श्री गौरीशंकर कक्कड़ : यह देशीय औषधियों के लिये था। देश में जो भी आयुर्वेदिक आदि देशी औषधियां तैयार की जाती हैं, इन सब कमेटियों ने उनके विषय में सिफारिशें कीं, परन्तु मुझे बड़ा खेद है कि उन सिफारिशों की तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि जब आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों को तैयार करने में सरकार ने कोई साइंटिफ़िक मैथड एडाप्ट नहीं किया और उस को अपनी मान्यता नहीं दी, तो फिर सरकार का इस प्रकार का नियंत्रण लगाना कि आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों में मिलावट पर उसी प्रकार दण्ड दिया जाये, उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि पहले आयुर्वेदिक और यूनानी आदि देशी औषधियों की तैयारी के संबंध में वही अवसर मिलना चाहिए था, जो कि ऐलोपैथिक दवाइयों की तैयारी में मिलता है और, जैसा कि कमेटी की सिफारिश है, उन के संबंध में साइंटिफिक रिसर्च की व्यवस्था की जाती है और ऐसी प्रयोगशालायें स्थापित की जातीं, जिन में ये औषधियां तैयार होतीं, तब फिर अगर इस प्रकार का नियंत्रण होता, तो ज्यादा उचित होता।

इस के मानी ये नहीं हैं कि मैं इस का विरोध करता हूं। कोई भी जड़ी या औषधि हो, चाहे वह यूनानी चिकित्सा पद्धति की हो और चाहे आयुर्वेदिक पद्धति की, उस को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उस में मिलावट न हो सके। परन्तु खेद इस बात का है कि सरकार न तो यूनानी हमेश और आयुर्वेदिक पद्धतियों को ठुकराया, उन को प्रोत्साहन नहीं दिया और बराबर यह कहा कि वे तो साइंटिफिक मैथड पर आधारित नहीं हैं और उनसे लाभ नहीं होगा। स्वास्थ्य मंत्राणी जी का ध्यान इस रिपोर्ट की ओर दिलाता हूं, जिसमें साफ तौर से लिखा गया है कि देहाती क्षेत्रों में दस करोड़ से अधिक लोगों का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से होता है। और यह स्वाभाविक भी है। देश की जो पापुलेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ जो गरीबी है उसको देखते हुए अगर आपने आंकड़े लें तो आपको पता चलेगा कि आधे से अधिक लोग सिर्फ आयुर्वेदिक पद्धति का सहारा लेते हैं। इसका कारण यह है कि यह सस्ती है और एलोपैथिक पद्धति के मुकाबले में इसकी दवाइयां कम दाम में मिल जाती हैं। जब यह पद्धति इतनी प्राचीन है और साथ ही साथ इतनी महत्वपूर्ण है तो फिर उसको इस तरह से ठुकराना, उसको मान्यता न देना, उसको प्रोत्साहन न देना, उसको न अपनाना, कहां तक उचित होगा, इसको आप देखें :

आप ने जब देशी दवाओं की रोकथाम के बारे में यह संशोधन करने का कदम उठाया है, तो मैं आप से निवेदन करूंगा कि क्लाज ३ में जो बोर्ड की बात आपने रखी है, इस पर मुझे कुछ आपत्ति है। इस धारा को पढ़ने से मालूम होता है कि जगह जगह पर आपने केन्द्र द्वारा मनोनीत

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गौरी शंकर कक्कड़]

सदस्य रख दिए हैं। ऐसा क्यों किया गया है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई है। सब पैरा १० में लिखा हुआ है :—

"जो व्यक्ति राज्य में औषधि नियन्त्रण का इन्चार्ज है उसे केन्द्रीय सरकार नामज़द करेगी"

सब पैरा १४ में लिखा हुआ है :—

दो व्यक्ति जो आयुर्वेदिक और यूनानी औषधि उद्योग के प्रतिनिधि होंगे उन को केन्द्रीय सरकार नामजद करेगी":

इस विषय में मुझे यह कहना है कि जब खुद सरकारों ने आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशंज़ को रिकगनिशन दिया है, अपनाया है और ये चल रही हैं तो यह जो बोर्ड है, इसमें आप केवल सरकारी आदमियों को ही या अपने द्वारा मनोनीत आदमियों को ही क्यों रखते हैं। जो बोर्ड है, वह देखेगा कि शुद्ध औषधियां तैयार हों, उन औषधियों पर नियंत्रण हो। ऐसी सूरत में उस पर जो लोग हों, तो उस में जो आप आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों को भी शामिल करते हैं, तो सही तौर पर, वास्तविक रूप में उन संस्थाओं के प्रतिनिधि भी आने चाहियें। इस प्रकार की संस्थायें जब प्रचलित हैं और प्राय: काफी सरकारों ने उनको मान्यता भी प्रदान कर दी है तो उनको यह अधिकार क्यों नहीं होना चाहिये कि वे अपने में से प्रतिनिधि चन कर भेजें। केन्द्रय सरकार का इस में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये।

स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स को पढ़ कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं और जिस रिपोर्ट का मैंने अभी हवाला दिया है, उस में भी यह लिखा हुआ है कि आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों को बनाने में भी बहुत दाम खर्च होते हैं, वे भी बहुत महंगी पड़ती है क्योंकि उन में सोना चांदी की भस्म होती है। आप चाहते हैं कि उस पर नियंत्रण हो। इस रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख है कि हमारे देश में जो औषधियां तैयार होती हैं, उनका व्यय, उनका खर्चा जो अंग्रेजी दवायें होती हैं, उन से कम नहीं होता है, कई बार तो अधिक होता है। उनका प्रयोग भी यहां पर ज्यादा होता है। ऐसी दशा में और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। कि इस ओर आप ध्यान दें। उनकी मांग बहुत जबर्दस्त होती है, उनमें व्यय भी काफी अधिक होता है और काफी अधिक रोगी भी उससे ठीक होते हैं, वे उनकी दवा दारू का साधन होती हैं। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान इस ओर जाए और उनको भी प्रतिनिधित्व इस में मिले।

कई बार लोक सभा में इस बात की चर्चा हुई और बहुधा यह देखा गया है कि ड्रग्ज़ की अशुद्धता के कारण लोगों की जानें चली जाती हैं। अब तो यह भी देखा जाता है कि बड़े बड़े शहरों में डाक्टर जो इंजैक्शन लगाते हैं, उन इंजैक्शनों की खराबी के कारण मौते भी हो जाती हैं। इस प्रकार के एक दो नहीं काफी संख्या में केस हो चुके हैं। जो एक्सपर्टस हैं, जो क्वालिफाइड हैं, जो अंग्रेजी कालेजों में पढ़े हुए डाक्टर हैं, एलोपैथी के डाक्टर हैं, उन से भी यह मिसटेक हो जाती है। आपने कहा है कि इस संशोधन में दण्ड की सीमा बढ़ा दी गई है। दो वर्ष से दस वर्ष कर दी गई है और एक वर्ष की सजा अनिवार्य कर दी गई है। यह पुराने एक्ट में नहीं थी। मेरा कहना यह है कि अगर औषधियों के गोलमाल के कारण, अशुद्धता के कारण लोगों की जानें से डाक्टर लोग खेलते हैं और वे डाक्टर जो क्वालीफाइड हैं तथा जो क्वैक्स भी हैं, जो कि इन दवाओं का प्रयोग करते हैं, उके बारे में भी जो आपने अभी अभी दण्ड बढ़ाया है, वह भी संतोषजनक नहीं है। इसी सदन में कई बार कहा गया है, माननीय कामत जी ने भी कहा है कि इह प्रकार की अशुद्धता चाहे वह खाद्य पदार्थों में हो और चाहे औषधियों में हो, अगर कोई करता है तो उसको पब्लिक के सामने

खड़ा करके कोड़ा लगना चाहिये, उसको फांसी की या ट्रांस्पोर्टेशन की सजा हो। परन्तु हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय का ध्यान इस हद तक नहीं गया है। मैं नहीं समझ सकता हूं कि जब तक इतना कठोर और इतना कड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक इस प्रकार के रोग पर कैसे काबू पाया जा सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि मिलावट वाली चीज में कभी कमी नहीं आ सकती है।

मैंने इसकी धाराओं को पढ़ा है। इनमें यह अवश्य लिखा है कि सजायें बढ़ा दी गई हैं। अशुद्ध औषधियां जिस गाड़ी में या जिस चीज में आयेंगी, उनके बारे में लिखा हुआ है कि उसको भी जब्त कर लिया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था आम तौर पर सभी कानूनों में होती है। परन्तु एक चीज विशेष तौर से इसमें होनी चाहिये। अगर यह एक बार साबित हो जाता है मुकदमे के जरिये, न्यायालय के जरिये से कि किसी औषधि में अशुद्धता किसी फर्म के द्वारा हुई है तो सदैव के लिए जो लाइसेंस या जो परमिशन उसको मिली हुई है, वह कैंसल कर दी जानी चाहिये। इस चीज की बहुत बड़ी कमी मैं इस संशोधन में पाता हूं। जब तक आप ऐसा कदम नहीं उठायेंगे, तब तक संतोषजनक परिणाम हासिल करने की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं।

यह बहुत अच्छी बात है कि यह बिल ज्वाइंट सिलैक्ट कमेटी के पास जा रहा है। मेरा सुझाव है कि कमेटी इन चीजों पर ध्यान दे। जो मैनुफैक्चरर है, उसके खिलाफ अगर अपराध सिद्ध हो जाता है, तो सदैव के लिए उन औषधियों को मैनुफैक्चर करने का अधिकार, उसके पास नहीं रहना चाहिये, वह छीन लिया जाना चाहिये। साथ ही जहां पर सजा बढ़ाई गई है वहां पर मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि कम से कम अगर माननीय मंत्रीगण जो पब्लिक प्रासीक्यूटिंग के विरुद्ध हैं तो ट्रांस्पोर्टेशन अवश्य इसमें रख दिया जाए। जीवन और मौत का यह प्रश्न है। एक बार अगर औषधियों में मिलावट होनी शुरू हो गई तो उसके बहुत भयंकर परिणाम होंगे। अभी तो अन्न में मिलावट होती है और उसके कारण हमारे देश के नागरिक स्वस्थ नहीं रह पाते, बेमौत मरते हैं। परन्तु एक बार रोगग्रस्त हो जाने के बाद भी अगर औषधियों में मिलावट है तो उनका हर प्रकार से मरना हो जाता है। अन्न शुद्ध न पाने से और रोगग्रस्त होने के बाद शुद्ध औषधि न पाने से, दोनों तरीकों से लोगों के मरने का प्रबन्ध हो जाता है। यह जो संशोधन आया है, यह बहुत ही नाकाफी है। एक बार कम से कम केन्द्रीय सरकार के द्वारा ऐसा कड़ा कदम उठाया जाना चाहिये, जैसा कदम उठाने का मैंने सुझाव दिया है। इसका असर प्रान्तीय सरकारों पर भी बड़ेगा और प्रान्तीय सरकारों द्वारा अलग अलग जो फूड एडलट्रेशन एक्ट बनाये गये हैं, उनमें भी वे कड़े कदम उठाने की व्यवस्था करेंगी।

प्रायः देखा गया है कि बड़ी बड़ी फर्मों पर दस बीस हजार रुपया जुर्माना करके उनको छोड़ दिया जाता है। इस तरह से इस चीज को आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। मुझे उत्तर प्रदेश की केवल एक मिसाल देनी है। एक बहुत बड़े व्यापारी का फूड एडलट्रेशन के बारे में केस पकड़ा गया। पचास हजार ब्लाटिंग पेपर्ज का इंडेंट उनके यहां गया। वह लखनऊ का एक बहुत बड़ा व्यापारी है। वह केस बाद में न्यायालय में गया और उस पर दस हजार रुपया जुर्माना हो गया। आप देखें कि उसकी दैनिक आय क्या थी? उसकी दैनिक आय दस हजार रुपये थी। इस प्रकार से इस मिलावट के रोग को आप कभी खत्म नहीं कर सकते हैं।

वक०५/

[श्री गौरी शंकर कक्कड़]

इन सब चीजों को भी संशोधन के रूप में इसमें आना चाहिये और मैं ज्वाइंट सिलैक्ट कमेटी के सदस्यों का ध्यान विशेषकर इन सभी सुझावों की ओर आकर्षित करूंगा।

श्री काशीराम गुप्त : आपने हृदय परिवर्तन का नुस्खा तो नहीं बता दिया ?

†**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई नगर मध्य-दक्षिण): संयुक्त समिति के सदस्य बड़े योग्य व्यक्ति हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री और उपमंत्री भी इस कानून के काम को लेने के योग्य हैं।

यह बहुत महत्वपूर्ण कानून है। हमारा विशाल देश है और यदि हम ने उचित तरीके से डाक्टरी सहायता कर देनी है, तो औषधियां के व्यापार को बढ़ाना होगा।

धारा १७ (ख) में अनुपूरक की आवश्यकता है। इसका संशोधन करना चाहिए ताकि उसमें कुछ ऐसी औषधियों का भी उल्लेख हो जिनके सामान्य तौर पर रखने पर खराब होने की सम्भावना है। यह संशोधन प्रस्तावित नई धारा १७ (ख) की उपधारा (ख) के बाद या उपधारा (ख) में शामिल किया जाए।

हममें से कुछ महसूस करते हैं कि नयी धारा १७ (ख) आवश्यक नहीं है, क्योंकि वर्तमान अधिनियम में काफी व्यवस्थाएं हैं।

इस नई धारा १७ (ख) को रखने से बाद में कुछ तकनीकी कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। सरकार यूनानी और आयुर्वेदिक पद्धतियों के विस्तार को ध्यान में रख कर यह व्यवस्था करना चाहती है।

धारा १९ (३) जिसे मूल अधिनियम से निकालने का विचार है वह उचित नहीं है। धारा १९ (३) को रखने से निर्माण कर्ताओं पर बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। उनकी स्थिति धारा १८ के मुकाबले में वैसे ही रहेगी।

सजाओं की व्यवस्था खण्ड २७ और ३० में की गई है। कारावास की अधिकतम कालावधि बढ़ा कर दस वर्ष कर दी गई है।

[अध्यक्ष महोदय पठासीन हुए]

सरकार को इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए तंत्र को मजबूत करना चाहिए। दण्ड को अधिक कड़ा करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। हम लोगों को डरा सकते हैं उनका सुधार नहीं कर सकते।

आगरा के निकट विमान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : आप की अनुमति से मुझे एक छोटा सा वक्तव्य देना है।

कल के वक्तव्य के आगे मुझे यह बताना है कि विमान में राडर उपकरण लगा हुआ था तथा अन्य नौवहन सम्बन्धी तथा सुरक्षा के उपकरण जिनके बारे में ब्योरा सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य में दिया हुआ है; भी लगे हुए थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

(प्रस्ताव)

विमान चालक अथवा इंजीनियरी कर्मचारियों में से किसी ने भी नागपुर में विमान की यात्रा सम्बन्धी पड़ताल के दौरान किसी त्रुटि की सूचना नहीं दी ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता दक्षिण पश्चिम) : यह विमान ४.३० बजे पालम आना था। समाचारों के अनुसार ५.३० बज तक पालम अधिकारियों ने नहीं सोचा कि कोई चीज खराब हो गई होगी। क्या मैं सही स्थिति जान सकता हूं ?

†श्री राज बहादुर : उड़ान के बाद परिस्थिति में यदि कोई परिवर्तन हो जाये तो विमान चालक सामान्यतः सूचना देते हैं। यदि कोई बात न हो तो वे केवल यही करते हैं कि वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं। यह ३.३६ बजे हुआ था। उस के बाद कोई सूचना नहीं मिली। ३.३० बजे की सूचना में यह कहा था कि वह ४.३० बजे पालम उतरेंगे। अतः ५ बजे तक किसी पैगाम की आशा नहीं थी। ५ बजे पालम कन्ट्रोल आफिस ने सम्बन्धित अधिकारियों को टेलीफून किया। प्रभारी अधिकारी ने पूछताछ की। उन्होंने विभिन्न हवाई अड्डों को वेतार पैगाम भेजे कि क्या कोई विमान वहां उतरा है। यह पता लगाने के लिये कि क्या हुआ है वे दो विमान भेजने की त्यारी कर रहे थे। उनको सब प्रबन्ध करना था। इसी समय में भारतीय वायु सेना ने इस विमान की तलाश के लिये विमान भेजे।

†श्री रंगा (चित्तूर) : हर पांच मिनट बाद या उचित समय के बाद सम्बन्धित हवाई अड्डे को उड़ रहे विमानों के सम्पर्क में रहना चाहिये ताकि ऐसी घटना न हो। एक घण्टे ३० मिनट तक दिल्ली को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। बम्बई को नहीं पता था कि क्या उस का सम्बन्ध नहीं रहा था। बीच में यह दुर्घटना हो गई ।

†श्री राज बहादुर : आर० टी० सिस्टम होता है जिस से विमान का जमीन से सम्बन्ध जोड़ा जाता है। रेडियो टैलीफून सिस्टम में कोई भी विमान थोड़ी सी गड़बड़ पर भी फौरन सूचना देगा। यह एक हवाई अड्डे को सूचना नहीं देगा, परन्तु उन सभी हवाई अड्डों को देगा जो पैगाम की इन्तज़ार में होते हैं। जब पिछली सूचना आई तो बिल्कुल कोई खतरा नहीं था ।

†अध्यक्ष महोदय : श्री रंगा ने कहा है कि उन को थोड़े थोड़े समय बाद किसी न किसी हवाई अड्डे के साथ सम्पर्क रखना चाहिए।

†श्री राज बहादुर : इस सुझाव का उचित रूप से ख्याल रखा जाएगा ।

†श्री श्यामलाल सर्राफ़ : क्या बम्बई से सम्पर्क तोड़ने पर दिल्ली से सम्पर्क स्थापित हुआ था और क्या दिल्ली हवाई अड्डे पर कोई खतरे की सूचना मिली थी ।

†श्री राज बहादुर : जहां तक मैं जानता हूं कोई खतरे की सूचना नहीं मिली थी ?

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : क्या वाइकाउंट विमानों में कोई बुनियादी नुक्स पाया गया है ?

†श्री राज बहादुर : मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि छोटा सा नुक्स भी यदि मिला तो उस की ओर फौरन ध्यान दिया जाएगा। वाइकाउंट निर्माणकर्त्ता स्वयं यह जानने के इच्छुक

---

†मूल अंग्रेजी में

(प्रस्ताव)

[श्री राज बहादुर]

होंगे कि उन में कोई नुक्स तो नहीं। मैं आश्वासन दिलाता हूं कि हम इस सम्बन्ध में पूरे पूर्वोपाय लेंगे। यह दूसरी दुर्घटना थी।

†अध्यक्ष महोदय : जहां दूसरे देशों में वाइकाउट उड़ते हों उन की राए भी लेनी चाहिए।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : निर्माण कर्त्ता।

†अध्यक्ष महोदय : हां। यह मालूम करने के लिये कि क्या कोई बात में नुक्स उन्हें पता चला है।

†श्री राज बहादुर : उस को पूरा ध्यान रखा जाएगा।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : जहां दुर्घटना हुई वहां से पालम तक उड़ान में कितना समय लगता है।

†श्री राज बहादुर : इस का उल्लेख किया गया था : ०३३६ से ०४३० घण्टे।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, १३ सितम्बर, १९६३/२२ भाद्र, १८८५ (शक) तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, १२ सितम्बर, १९६३
---
२१ भाद्र, १८८५ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--		२८२३—४७
तारांकित प्रश्न संख्या		
६२९	रूस से उपकरण	२८२३–२४
६३५	भाखड़ा बांध	२८२४–२५
६३०	विदेशों में भारतीयों के औद्योगिक एकक	२८२६—२८
६३१	तेल शोधक कारखानों में जीवन बीमा निगम की पूंजी	२८२८–२९
६३२	राज्य विद्युत् बोर्ड	२८२९–३०
६३३	रोहे	२८३०—३३
६३४	ग्राम्य जल प्रदाय मण्डल	२८३३—३७
६३६	घग्घर नदी	२८३७–३८
६३७	दिल्ली में भूमि अधिग्रहण	२८३८—४२
६३८	कैंसर नाशक जड़ी	२८४२—४४
६३९	केरल में समुद्र द्वारा भूमि का कटाव	२८४४–४५
६४०	दामोदर घाटी निगम	२८४५—४७
प्रश्नों के लिखित उत्तर--		२८४७—७१
तारांकित प्रश्न संख्या		
६४१	बिजली लग जाने से मृत्यु	२८४७–४८
६४२	कांस्टीट्यूशन हाउस	२८४८
६४३	तुंगभद्रा परियोजना	२८४८–४९
६४४	अमरीका से ऋण	२८४९–५०
६४५	दिल्ली में चेचक	२८५०–५१
६४६	दण्डकारण्य परियोजना प्रतिवेदन	२८५१
६४७	जल संसाधनों का सर्वेक्षण	२८५२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

तारांकित
प्रश्न संख्या

४४८	तापीय विद्युत् जनन	२८५२
६४९	लिंक रोड पर होस्टल . .	२८५३
६५०	थैंकरसे संस्थाओं द्वारा कर अपवंचन .	२८५३
६५१	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना .	२८५४

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१८१८	दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र में सड़कें .	२८५४
१८१९	दण्डकारण्य में नये ग्राम . . .	२८५४
१८२०	उड़ीसा में गृह निर्माण सम्बन्धी अग्रिम धन .	२८५५
१८२१	उड़ीसा में ग्राम आवास योजना .	२८५५
१८२२	दण्डकारण्य में इंजीनियरिंग उपक्रम . .	२८५६
१८२३	आन्ध्र प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा . .	२८५६–५७
१८२५	उत्तर प्रदेश में सिंचाई और विद्युत् योजनायें .	२८५७
१८२६	नेशनल प्रोजेक्टस कारपोरेशन लिमिटेड .	२८५७
१८२७	प्रवर्गीकरण (विषमताएं निवारण) समिति. . .	२८५७–५८
१८२८	राजस्थान में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना . .	२८५८
१८२९	राजस्थान में सिंचाई और विद्युत् योजनायें .	२८५८
१८३०	राजस्थान में सिंचाई और विद्युत् परियोजनाएं	२८५८–५९
१८३१	नागपट्टिनम संयंत्र .	२८५९–६०
१८३२	नये पैसे के सिक्के . .	२८६०
१८३३	विद्युत् जनन	२८६०
१८३४	पश्चिम बंगाल में नगरपालिकाओं का सुधार .	२८६०
१८३५	संसदीय कार्य के लिये छापाखाना .	२८६१
१८३६	इस्पात की प्लेटों के लिये इंग्लैंड से अनुदान . .	२८६१
१८३७	मार्क वूल्फ का मामला . . .	२८६१–६२
१८३८	सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान . .	२८६२
१८३९	दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र . .	२८६२
१८४०	रामगंगा परियोजना . . .	२८६२–६३
१८४१	वेतन आयोग की सिफारिशें	२८६३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१८४२	बिहार में बिजली की कमी	२८६३–६३
१८४३	यूनानी तिबिया सम्मेलन	२८६४
१८४४	बम्बई में दूषित औषधियां	२८६४
१८४५	संयुक्तराष्ट्र बाल आपात निधि से दुग्ध चूर्ण . .	२८६५
१८४६	उच्च शिक्षा के लिये विदेशी मुद्रा . . .	२८६५
१८४७	कोसी नदी	२८६६
१८४८	बर्मा से भारतीय बैंकों की आस्तियां . . .	२८६६
१८४९	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से ऋण . . .	२८६६
१८५०	राजनैतिक पीड़ितों को ऋण	२८६६–६७
१८५१	भरत साधु समाज तथा भारत सेवक समाज . .	२८६७
१८५२	केन्द्रीय स्वास्थ्य पदाली . . .	२८६७
१८५३	बर्ड एण्ड कम्पनी	२८६७
१८५४	यूनिवर्सल हैल्थ इंस्टीट्यूट, बम्बई . . .	२८६८
१८५५	केन्द्रीय मुद्रणालय	२८६८
१८५६	आय कर जांच आयोग	२८६८
१८५७	सोने की खानें . . .	२८६८–६९
१८५८	बैंक आफ चाइना	२८६९
१८५९	पानी के मीटर	२८६९–७०
१८६०	राजेन्द्र स्मारक अनुसंधान संस्था और राजेन्द्र इंस्टीट्यूट	२८७०
१८६१.	रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर . .	२८७०
१८६२	केरल में स्वर्णकारों के लिये रोजगार की व्यवस्था .	२८७०–७१
१८६३	विदेशी मुद्रा की चोरी . . .	२८७१

अनिवार्य जमा योजना के बारे में . . २८७१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना २८७२–७७

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने दिल्ली में तथा अन्य स्थानों पर सुनारों द्वारा बताई गई स्वर्ण नियंत्रण आदेश के कारण होने वाली कठिनाइयों और सरकार

विषय पृष्ठ

द्वारा की जाने वाली प्रतिकारात्मक कार्यवाही की ओर यदि कोई हो तो, वित्त मंत्री का ध्यान दिलाया ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र २८७७–७८

(१) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३१ अगस्त, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १४१९ ।

(ख) दिनांक ३१ अगस्त, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १४२० ।

(ख) दिनांक ३१ अगस्त, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १४२१ ।

(२) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३१ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४१२ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (उन्नीसवां संशोधन) नियम, १९६३ ।

(ख) दिनांक ३१ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४१७ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (बीसवां संशोधन) नियम, १९६३ ।

(३) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३१ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४२२ की एक प्रति ।

(४) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सरकारी बचत प्रमाण पत्र अधिनियम, १९५९ की धारा १२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक २४ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३८५ में प्रकाशित डाक-घर बचत प्रमाण-पत्र (दूसरा संशोधन) नियम, १९६३ ।

विषय पृष्ठ

(दो) आय-कर अधिनियम, १९६१ की धारा २९५ के अन्तर्गत दिनांक ३० अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २५०८ में प्रकाशित आय-कर (संशोधन) नियम, १९६३ ।

राज्य सभा से सन्देश २८७८–७९

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :—

(एक) कि राज्य सभा लोक-सभा द्वारा परिसीमन विधेयक, १९६३ में किये गये संशोधन से सहमत हो गई ।

(दो) कि राज्य सभा लोक-सभा द्वारा विशेष विवाह (संशोधन) विधेयक, १९६३ में किये गये संशोधन से सहमत हो गई ।

(तीन) कि राज्य सभा लोक-सभा द्वारा पारित किये गये भाण्डागार निगम (संशोधन) विधेयक, १९६३ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई ।

(चार) कि राज्य सभा ने भेषज तथा चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) संशोधन विधेयक, १९६३ को पारित कर दिया ।

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया २८७९

भेषज तथा चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) संशोधन विधेयक, १९६३ ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित । २८७९

छठा प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

चीनी की स्थिति के बारे में चर्चा २८७९—८८

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) द्वारा चीनी की स्थिति और उसका मुकाबला करने के उपायों के बारे में दिये गये वक्तव्य और चीनी (नियंत्रण) आदेश, १९६३ पर, जो १७ अप्रैल, १९६३ को सभा पटल पर रखा गया था, श्री काशीनाथ पांडे द्वारा उठाई गई चर्चा जारी रही ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) ने चर्चा का उत्तर दिया ।

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव २८८८—२९०७

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतवीस) द्वारा प्रस्तुत संघ लोक सेवा आयोग के बारहवें प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हुई । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विषय	पृष्ठ
विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने की राज्य-सभा की सिफारिश से सहमति देने का प्रस्ताव--विचाराधीन .	२६०७—१४
स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) ने भेषज तथा श्रृंगार सामग्री (संशोधन) विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने की राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रकट करने का प्रस्ताव किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
मंत्री द्वारा वक्तव्य	२६१४—१६
परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) ने ११ सितम्बर, १९६३ को हुई इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान की दुर्घटना के बारे में एक और वक्तव्य दिया।	
शुक्रवार, १३ सितम्बर, १९६३/२२ भाद्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि	
विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने की राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रकट करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार।	

GMGIPND—RS—1281 (AI) LS—19-10-63—300

पृष्ठ

भेषज शृंगार सामग्री (संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति को सौंपने की राज्य सभा की सिफारिश से सहमति देने का

प्रस्ताव २९०७—१४

डा० सुशीला नायर २९०७—१०

श्री गौरी शंकर कक्कड़ २९१०—१४

श्री व० बा० गांधी २९१४

आगरा के निकट हुई विमान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य २९१४—१६

दैनिक संक्षेपिका २९१७—२२

PLS. 41. XXI. 23. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।